MADHYA PRADESH TOURISM BOARD

REPLY TO QUERIES RAISED BY KMEW

Expression of Interest (EOI) for Organizing Cruises between Kukshi, District Dhar, Madhya Pradesh to Statue of Unity, Gujarat (River Narmada)

NIT No: 09/C.S /MPTB/2025 System No:2025_MPTB_392349

01.01.2025

<table>
<tr><th>Sr. No.</th><th>Section No. Clause No.</th><th>Current Tender clause</th><th>Request/Comment/Amendment requested</th><th>Reply from MPTB</th></tr>
<tr><td>1</td><td>6.1.3 MPTB Guidelines for Water Tourism</td><td>Under this application for the license for boats with the certification from Indian Register of Shipping shall have to be made and on this the MPTB shall issue the license for one year with renewal annually.</td><td>We request the Madhya Pradesh Tourism Board to give the license to build and operate for the minimum 15 years initially and then renew it for further 15 years. The funding by bank will not be possible for license period of 1 year as the capex recovery will be in excess of 8 years.</td><td>The permission for operation of the vessel shall be granted for the vessel's lifetime, as recommended by a member surveyor of the International Association of Classification Societies.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>6. Government Support & Guidelines</td><td>State Government’s Support for Cruise Operations Madhya Pradesh Tourism Policy, 2016 amended 2019 offers 15% Capital Investment subsidy maximum up to Rs 3.00 Crore for creation of infrastructure and establishment of Adventure Tourism, Water Tourism, Water Sports, Cruise/House Boat, Navigation infrastructure etc. by way of investment and interest subsidy to promote private sector investments.</td><td>As the initial capex on backup area, berthing jetties, cruise vessels and other ancillary installations is between 125 Crores to 150 Crores. The project is going to remain cashflow negative for a period of first 3 to 5 years. We request the Madhya Pradesh Tourism Board to subsidize the ticket cost by 50% for the first year, 40% for the second year, 30% for the third year, 20% for the fourth year and 10% for the fifth year.</td><td>Please refer the provisions of MP Tourism Policy 2025 clause number 6.19 Investment promotion assistance to set-up Large/Mega/Ultra-mega tourism projects:
<table>
<tr><th rowspan="2">Category of the project</th><th rowspan="2">Minimum capital expenditure, as approved by the department</th><th rowspan="2">Minimum number of employment (for residents of M.P.)</th><th rowspan="2">Percentage of Investment Promotion Assistance on capital investment made by the unit</th><th rowspan="2">Maximum ceiling of Investment Promotion Assistance (Rs in crore)</th><th colspan="4">Year wise Percentage of Disbursement of Investment Promotion Assistance Amount</th></tr>
<tr><th>First year</th><th>Second year</th><th>Third year</th><th>Fourth year</th></tr>
<tr><td>Large</td><td>Rs. 10.00 crore or more</td><td>50</td><td>30%</td><td>15</td><td>10%</td><td>10%</td><td>5%</td><td>5%</td></tr>
<tr><td>Mega</td><td>Rs.50.00 crore or more</td><td>100</td><td>30%</td><td>30</td><td>10%</td><td>10%</td><td>5%</td><td>5%</td></tr>
<tr><td>Ultra-mega</td><td>Rs.100 crore or more</td><td>200</td><td>30%</td><td>90</td><td>10%</td><td>10%</td><td>5%</td><td>5%</td></tr>
</table>
It also offers 15% Capital Investment subsidy maximum up to Rs 3.00 Crore for creation of infrastructure and establishment of Adventure Tourism, Water Tourism, Water Sports, Cruise/House Boat, Navigation infrastructure etc. and under clause 6.29 (Additional Capital Grant for Promoting Electric Cruises) additional 5% capital grant on the approved project cost will be provided under relevant provisions of the policy to encourage electric cruises
Investors may avail corresponding benefits based on the scale of investment. There is no provision for direct ticket subsidies in the extant policy.</td></tr>
</table>

3	7.2 Scope of Work and Minimum obligation of the Agency	Setting up and running a restaurant service on the vessel	We request the Madhya Pradesh Tourism Board to permit for preparation and consumption of non-vegetarian food (except beef) on board the cruise vessel.	Operators must adhere to local laws and must follow practices of local communities apart from any additional guidelines from state including the provisions of Hindu Religious Places of Worship (Prohibition of marketing, Slaughtering, Trading, Cooking, Serving and Consumption of Meat and other non-Vegetarian Food) Act, 2022(As attached in Annexures)
4	7.2 Scope of Work and Minimum obligation of the Agency	Setting up and running a restaurant service on the vessel	We request the Madhya Pradesh Tourism Board to permit for storage and consumption of Alcoholic Beverages on board the cruise vessel.	Operators must adhere to local laws, Excise Department regulations, the operator must follow the practices of local communities apart from any additional guidelines from state. At present the state government has banned the sale of liquor within a five-kilometer radius of the Narmada River (As attached in Annexures)
5	7.2 Scope of Work and Minimum obligation of the Agency	Running the day-to-day operations of the Cruise vessel	We request the Madhya Pradesh Tourism Board to permit for installation, and operation of gaming machines on board the cruise vessel.	The current EOI does not include /exclude provisions for gaming machines specifically on cruise vessel. However, Games on board that do not involve any money exchange can be allowed, but activities such as casino, gambling and betting will not be permitted (refer public gambling act of 1867). Other activities will be allowed as per the norms and guidelines of the State / Central Government
6	Appendix -1	Available Parcel of Land	We request the Madhya Pradesh Tourism Board to allocate land 50 Hectors in total for the purpose of onshore support, entertainment, rest for tourist, restaurants, parking, hotel etc. The land should be allocated for a period of 99-year lease.	A chunk of 2-hectare land may be provided as per clause 13.5 of MP tourism policy 2025 and direct allotment of parcel can be done under ultra mega tourism projects

MADHYA PRADESH TOURISM BOARD

REPLY TO QUERIES RAISED BY KMEW

Expression of Interest (EOI) for Organizing Cruises between Kukshi, District Dhar, Madhya Pradesh to Statue of Unity, Gujarat (River Narmada)

NIT No: 09/C.S /MPTB/2025 System No:2025_MPTB_392349

01.01.2025

7	8 (a) and (d) Who should Submit EOI?	The applicant may be a regional/ national / International Tourism sector operator/ player with a proven track record in implementing tourism projects commensurate with the size and nature of the proposed project. Preference will be given to applicants who have proven experience in carrying out the same kind of project/ activities in the past.	We request the Madhya Pradesh Tourism Board to allow for shipping companies with more than 10 vessels operating in India, profit making for the last 5 years and Net Worth in excess of 100 Crores to be eligible to participate and get the approval for issuance of the license	Preference may be given to applicants with marine/tourism/ shipping background. The net worth and other criteria should be such that it is in line with Floated EOI.
8	8 (a) Who should submit EOI?	The applicant may be a regional/national/International Tourism sector operator /player with a proven track record in implementing tourism projects commensurate with 9the size and nature of the proposed project.	We request the Madhya Pradesh Tourism Board to ensure that the participants have the capability of constructing new vessels in the last 3-5 years. A tie up with a shipyard for the construction of the cruise vessels should be a must.	Preference may be given to applicants with marine/tourism/ shipping background. The net worth and other criteria should be such that it is in line with Floated EOI.
9	7.Scope of Work	7.1 Types of Cruises	We request the Madhya Pradesh Tourism Board to provide the status of the contracts for the jetty construction that have been awarded.	MPTB has initiated infrastructure development and installed jetties at Kukshi and Sakarja. Details of construction can be provided upon request.

MADHYA PRADESH TOURISM BOARD

REPLY TO QUERIES RAISED BY KMEW

Expression of Interest (EOI) for Organizing Cruises between Kukshi, District Dhar, Madhya Pradesh to Statue of Unity, Gujarat (River Narmada)

NIT No: 09/C.S /MPTB/2025 System No:2025_MPTB_392349

01.01.2025

10	6.1 Government Support & Guidelines	MPTB Guidelines for Water Tourism	We request the Madhya Pradesh Tourism Board to provide the requisite permissions from the state of Maharashtra and Gujarat to operate the cruise vessel	Operators must obtain separate approvals from Maharashtra and Gujarat for operations within their jurisdiction. How ever a SPV is being formed and MoU has been done for the same. With the respective states.
11	5. Project Background	Site and Location Overview	We request the Madhya Pradesh Tourism Board to provide the complete hydrographic survey chart of the complete route.	The WAPCOS report, which includes hydrographic data, is attached herewith for your reference "https://drive.google.com/drive/folders/1mktFz85kthMP-ZxLIHxTvhCQR5JEg8FZ?usp=sharing"
12	Inviting Expression of Interest (EOI) for Organizing Cruises at Dhar in Madhya Pradesh	2. Tourism in Madhya Pradesh	We request the Madhya Pradesh Tourism Board to provide the latest statistics on Tourism in the state of Madhya Pradesh. The industry size and footfall.	The latest statistics can be provided upon request.
13	7.2 Scope of Work and Minimum obligation of the Agency	Running the day-to-day operations of the Cruise vessel	We request the Madhya Pradesh Tourism Board to allow us to build a terminal to suite our cruise vessels and operate the same.	Not possible.

14	6.1.3 MPTB Guidelines for Water Tourism ; Page	On issuance of Letter of Acceptance, a time period of one year for Big Boats and 6 months shall be given for small boats to make them available.	We request the Madhya Pradesh Tourism Board to amend “On issuance of Letter of Acceptance, a time period of 18 Months for Big Boats and 12 months shall be given for small boats to make them available.	The timeline for successful bidders to operationalize cruise vessels shall be fixed at two (2) years from the date of award. A penalty-based extension of up to one (1) year may be granted in case of genuine delays, subject to due approval by the competent authority. For other boats, the delivery time line will remain as it is.
15	9. Selection Process	Based on the evaluation of the application and technical presentation, the Authority will release a final list of “Private Operators”, to whom a license will be awarded to operate the Cruise service from Kukshi to the Statue of Unity.	We request the Madhya Pradesh Tourism Board to provide a guarantee of exclusivity for a 10 years period to prevent excessive competition in the early years.	The EOI does not provide exclusivity. Permissions will be based on carrying capacity of Navigation channel as decided by the authority.
16	5. Project Background	MPTB has already undertaken key steps to develop the infrastructure Narmada riverbank including the installation of Jetties at Kukshi and Sakarja.	We request the Madhya Pradesh Tourism Board to ensure that basic operational infrastructure (such as docking facilities, reliable road connectivity, and steady electricity supply) is fully operational before the cruise launch.	MPTB has already initiated infrastructure development, including jetties at Kukshi and Sakarja.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27] भोपाल, बुधवार, दिनांक 18 जनवरी 2017—पौष 28 शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2017

कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर
देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन की व्यवस्था वर्ष 2017—18

कैम्प भोपाल, दिनांक 18.01.2017

क्रमांक सात—ठेका/2017—18/15 कैम्प भोपाल :— सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिये राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि वर्ष 2017—18 के लिये अर्थात दिनांक 01 अप्रैल 2017 से दिनांक 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिये सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में वर्ष 2016—17 में संचालित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों (जिन्हें आगे मदिरा दुकानों/एकल समूहों के नाम से सम्बोधित किया गया है) का निष्पादन निम्न प्रक्रिया एवं शर्तों के अधीन आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाकर संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा किया जाएगा।

1. ***<u>निष्पादन की प्रक्रिया :—</u>***

1.1 प्रथमतः वर्ष 2016—17 के मदिरा दुकानों/एकल समूहों के वर्तमान अनुज्ञप्तिधारियों से वर्ष 2017—18 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य पर नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगें।

1.2 **जिन मदिरा दुकानों/एकल समूहों पर नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होंगे, उन मदिरा दुकानों/एकल समूहों पर अन्य इच्छुक सभी पात्र आवेदकों से निर्धारित आरक्षित मूल्य पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जावेंगे। ऐसे आवेदन पत्रों को परिभाषित करने के लिए उन्हें लॉटरी आवेदन पत्र कहा जायेगा।**

1.3 नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों तथा अन्य इच्छुक पात्र आवेदकों से प्राप्त लॉटरी आवेदन पत्रों को सम्मिलित करते हुये, समग्र में यदि जिले में संचालित देशी/विदेशी मदिरा दुकानों/एकल समूहों पर वर्ष 2017–18 के लिये निर्धारित आरक्षित मूल्य में निहित राजस्व के 70 प्रतिशत अथवा उससे अधिक राशि के आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो ऐसी समस्त आवेदित मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन जिले में गठित जिला समिति द्वारा, पात्र आवेदकों के हित में किया जायेगा। वर्ष 2017–18 के लिये नवीनीकरण आवेदन तथा लॉटरी आवेदन पत्रों के माध्यम से निष्पादन की कार्यवाही उपरान्त निष्पादन से शेष रही मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन वर्ष 2017–18 के निर्धारित आरक्षित मूल्य के विरूद्ध ई–टेण्डर आमंत्रित कर किया जावेगा।

1.4 जिले में मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लिये लॉटरी आवेदन पत्र आमंत्रित करने की दशा में किसी मदिरा दुकान/एकल समूह पर एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन जिला समिति द्वारा लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।

1.5 राजस्व हित में जिन जिलों में वर्ष 2016–17 में संचालित मदिरा दुकानों/ एकल समूहों पर नवीनीकरण के लिए प्राप्त आवेदन पत्र तथा अन्य इच्छुक पात्र आवेदकों के लॉटरी आवेदन पत्रों को सम्मिलित कर समग्र में वर्ष 2017–18 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य के राजस्व में निहित 70 प्रतिशत आरक्षित मूल्य से कम राशि के आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो ऐसे जिलों की समस्त मदिरा की दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन वर्ष 2017–18 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य पर ई–टेण्डर आमंत्रित कर किया जायेगा।

2. <u>निष्पादन का कार्यक्रम एवं निष्पादन स्थल :–</u>

2.1 वर्ष 2017–18 के लिये मदिरा दुकानों/एकल समूहों के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र वर्तमान अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दिनांक 24 जनवरी 2017 से 30 जनवरी 2017 के कार्यालयीन समय सायंकाल 5:30 बजे तक संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में जमा किये जा सकेंगे।

2.2 जिन मदिरा दुकानों/एकल समूहों पर नवीनीकरण के आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होंगे, उन मदिरा दुकानों/एकल समूहों का परीक्षण जिला स्तर पर सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा किया जायेगा। नवीनीकरण के आवेदन रहित ऐसी मदिरा दुकानों/एकल समूहों का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में कराया जायेगा। इसके पश्चात् नवीनीकरण के आवेदन रहित मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लिये लॉटरी आवेदन पत्र दिनांक 01 फरवरी 2017 से 08 फरवरी 2017 को सायंकाल 5:30 बजे तक इच्छुक पात्र आवेदकों से आमंत्रित किये जायेंगे।

2.3 नवीनीकरण के लिये प्राप्त आवेदन पत्र एवं इच्छुक पात्र आवेदकों से प्राप्त लॉटरी आवेदन पत्रों का (कंडिका क्रमांक–1 में वर्णित) प्रक्रिया अनुसार परीक्षण कर निष्पादन की कार्यवाही संबंधित जिले की जिला समिति द्वारा दिनांक 09 फरवरी 2017 दिन गुरूवार को सम्पादित की जायेगी। दिनांक 09.02.2017 को निष्पादन से शेष, मदिरा दुकानों/एकल समूहों की सूची राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी तथा इन मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन की कार्यवाही ई–टेण्डर द्वारा की जायेगी। दिनांक 14 फरवरी 2017 से 22 फरवरी 2017 को सायंकाल 5.30 बजे तक म.प्र. राज्य इलेक्ट्रोनिक विकास निगम के पोर्टल **www.mpeproc.gov.in** पर ई–टेण्डर प्राप्त किये जायेंगे तथा उक्त अवधि में प्राप्त पात्र ई–टेण्डरों की निविदा राशि एवं अन्य अभिलेखों का दिनांक 23 फरवरी 2017 को प्रातः 11.00 बजे से जिला समिति द्वारा परीक्षण किया जाकर मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन की निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2.4 नवीनीकरण/लॉटरी आवेदन पत्रों तथा ई–टेण्डर के माध्यम से मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन निम्नांकित कार्यक्रम (टाइम टेबल) अनुसार, कण्डिका 63 में दर्शाये गये संबंधित जिले के नाम के समक्ष अंकित निष्पादन स्थल पर किया जायेगा। नवीनीकरण के माध्यम से/इच्छुक पात्र आवेदकों से प्राप्त लॉटरी आवेदन पत्रों के माध्यम से मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन की तिथियां, समय एवं कार्यक्रम:–

क्रमांक	विवरण	तिथि व समय
1.	नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र क्रय करने की तिथियां एवं समय	संबंधित जिला कार्यालय से दिनांक 24 जनवरी 2017 प्रातः 10:30 बजे से दिनांक 30 जनवरी 2017 के दोपहर 03:00 बजे तक।
2.	नवीनीकरण आवेदन पत्र जमा करने की तिथियां एवं समय	संबंधित जिला कार्यालय में दिनांक 24 जनवरी 2017 प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 30 जनवरी 2017 के सायंकाल 05:30 बजे तक।
3.	नवीनीकरण के आवेदन पत्र रहित मदिरा दुकानों/एकल समूहों पर इच्छुक पात्र आवेदकों को लॉटरी आवेदन पत्र क्रय करने की तिथियां एवं समय	संबंधित जिला कार्यालय से दिनांक 01 फरवरी 2017 प्रातः 10:30 बजे से दिनांक 08 फरवरी 2017 के दोपहर 03:00 बजे तक।
4.	इच्छुक पात्र आवेदकों द्वारा लॉटरी आवेदन पत्र जमा करने की तिथियां एवं समय	संबंधित जिला कार्यालय में दिनांक 01 फरवरी 2017 प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 08 फरवरी 2017 के सायंकाल 05:30 बजे तक।
		संबंधित संभागीय उपायुक्त आबकारी कार्यालय में दिनांक 01 फरवरी 2017 प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 07 फरवरी 2017 के सायंकाल 05:30 बजे तक।
		आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के मोतीमहल स्थित कार्यालय में दिनांक 01 फरवरी 2017 प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 06 फरवरी 2017 के सायंकाल 05:30 बजे तक। **टीपः– आबकारी आयुक्त/संबंधित उपायुक्त कार्यालय में लॉटरी आवेदन पत्र पूर्ण होने पर तथा वांछित अभिलेख संलग्न करने पर ही जमा किये जायेंगे। अपूर्ण लॉटरी आवेदन पत्र जमा नहीं किये जायेंगे।**
5.	नवीनीकरण हेतु प्राप्त तथा इच्छुक प्राप्त आवेदकों द्वारा प्रस्तुत लॉटरी आवेदन पत्रों का जिला समिति द्वारा परीक्षण करने एवं निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय	दिनांक 09 फरवरी 2017 को प्रातः 10:30 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक।

ई–टेण्डर के माध्यम से मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन की तिथियां एवं कार्यक्रम :–

1.	ई–टेण्डर हेतु ऑन–लाईन टेंडर प्रपत्र डाउनलोड करने का समय एवं तिथियां	दिनांक 14 फरवरी 2017 को प्रातः 11:00 बजे से 22 फरवरी 2017 दोपहर 03:00 बजे तक।
2.	ऑन–लाईन ई–टेण्डर आफर सबमिट करने का अंतिम समय एवं तिथि	दिनांक 22 फरवरी 2017 सायंकाल 05:30 बजे तक।
3.	जिला समिति द्वारा ई–टेण्डर के निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय	दिनांक 23 फरवरी 2017 को प्रातः 11:00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक

3. <u>मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन के सम्बन्ध में उपयोगी जानकारी, व्यवस्था तथा लागू होने वाले निर्बन्धन एवं शर्तें:–</u>

वर्ष 2017–18 के लिये निष्पादित की जाने वाली सभी देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों /एकल समूहों की सूची (जानकारी), उनका आरक्षित मूल्य, नवीनीकरण आवेदन पत्र/लॉटरी आवेदन पत्र/ई–टेण्डर ऑफर के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि आदि की जानकारी, संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा सार्वजनिक रूप से घोषित की जायेगी। निष्पादन की कार्यवाही से संबंधित उपरोक्त जानकारी, नियमों, विक्रय ज्ञापन, ड्यूटी की दर तथा देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा दुकानों की विगत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष के नौ माह की खपत आदि की जानकारी संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से कंडिका क्रमांक 2 उपकंडिका–2.4 में उल्लेखित समयावधि में किसी भी दिन, **(अवकाश के दिन सहित)** कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकेगी। मदिरा दुकानों के निष्पादन के संबंध में विज्ञप्ति, वेब साईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउनलोड की जा सकती है।

मदिरा दुकानों/एकल समूहों से संबंधित आवश्यक जानकारी संबंधित जिला कलेक्टर के कार्यालय के साथ–साथ, संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कराई जायेगी। संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा यथासंभव स्थानीय समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन, <u>समाचार के रूप में कराया जाएगा।</u> **किसी भी जिले की मदिरा दुकानों/एकल समूहों के संबंध में संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को ई–मेल भेजने पर उक्त वांछित जानकारी यथा संभव ई–मेल द्वारा भी उपलब्ध कराई जा सकेगी।**

ई–टेंडर के माध्यम से निष्पादित होने वाली मदिरा दुकानों/एकल समूहों के सम्बंध में आवश्यक जानकारी जिलेवार ई–टेंडर सुविधा प्रदाता मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिक विकास निगम के पोर्टल (www.mpeproc.gov.in) पर भी अपलोड/घोषित की जायेगी। ई–टेण्डर की कार्यवाही में जो व्यक्ति/फर्म/कम्पनी भाग लेना चाहें, वे इस संबंध में उल्लेखित वर्णित प्रक्रिया, शर्तों एवं प्रतिबंधों के अन्तर्गत ई–टेण्डर द्वारा मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिक विकास निगम के पोर्टल (www.mpeproc.gov.in) पर ऑफर दे सकते हैं।

4. <u>मदिरा दुकानों के निष्पादन हेतु प्रत्येक जिले में गठित समिति निम्नानुसार होगी :–</u>

4.1	कलेक्टर	अध्यक्ष
4.2	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
4.3	संबंधित संभाग के उपायुक्त आबकारी	सदस्य
4.4	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत)	सदस्य
4.5	सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी	सदस्य सचिव

जिला समिति की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति का 'कोरम' कलेक्टर एवं सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को सम्मिलित कर, कम से कम तीन सदस्यों का होगा। कोरम पूरा न होने की स्थिति में कलेक्टर किसी एक अन्य अधिकारी को, कोरम हेतु सदस्य मनोनीत कर सकेंगे। **कलेक्टर मदिरा दुकानों के ई–टेण्डर से निष्पादन की प्रक्रिया में आवश्यकता अनुरूप NIC के किसी अधिकारी को भी अतिरिक्त सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकेंगे।** यह जिला समिति आबकारी आयुक्त के सामान्य पर्यवेक्षण एवं निर्देशन के अध्यधीन निम्न कार्य संपादन करेगी :–

(1) देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन शासन द्वारा निर्धारित प्रकिया अनुसार कराया जाना।

(2) **माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.12.2016 के पालन में राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग के किनारे स्थापित/संचालित, प्रभावित होने वाली मदिरा दुकानों की अवस्थिति के परिक्षेत्र का पुनर्निर्धारण किया जाना। इस पुनर्निर्धारण से अगर अन्य मदिरा दुकान/दुकानों की अवस्थिति के परिक्षेत्र के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता पड़ती है तो तद्नुसार जिले की मदिरा दुकान/दुकानों की अवस्थिति के परिक्षेत्र का पुनर्निर्धारण किया जाना।**

(3) **01 अप्रैल, 2017 से नर्मदा किनारे के शहरों में 5 किलोमीटर तक की दूरी में स्थित देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों को बंद किया जायेगा। नर्मदा किनारे के निर्दिष्ट सभी गांवों में मदिरा दुकानों को बंद किया जायेगा। उपरोक्त बंद की जाने वाली मदिरा दुकान/दुकानों का वर्ष 2016–17 का वार्षिक मूल्य संबंधित जिले की जिला समिति द्वारा विवेकानुसार निकटवर्ती किसी एक मदिरा दुकान/एकल समूह अथवा एक से अधिक मदिरा दुकान/एकल समूहों में विभाजित किया जाकर अंतरित किया जाना।**

(4) जिले के प्रत्येक शहर/नगर/ग्राम में एक से अधिक मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानें होने की स्थिति में, प्रत्येक दुकान की अवस्थिति (**Location**) के परिक्षेत्र का निर्धारण कर, उसका उल्लेख जिले के विक्रय ज्ञापन में अंकित कराया जाना।

(5) वर्ष 2016–17 में संचालित जो देशी अथवा विदेशी मदिरा दुकान/दुकानें वर्तमान में जिस नाम से स्वीकृत हैं, यदि वे वर्तमान स्थान पर उससे भिन्न नाम से संचालित हैं अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पालन *अथवा* शासन निर्णय के परिपालन में मदिरा दुकान/दुकानों को वर्तमान से भिन्न क्षेत्र में अवस्थिति निर्धारित करने की स्थिति निर्मित होती है तो ऐसी मदिरा दुकान/दुकानों को उनके स्थापना क्षेत्र के नाम की घोषणा कर ही वर्ष 2017–18 के लिए निष्पादित करने का निर्णय लिया जाना।

(6) शासन निर्देशानुसार देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के समूहों का गठन अथवा पुनर्गठन कराया जाना।

(7) मदिरा दुकानों के निष्पादन उपरान्त जन आन्दोलन अथवा अन्य कारणों से मदिरा दुकानों के विस्थापित होने की स्थिति में अथवा पुलिस/आबकारी विभाग द्वारा लायसेंसी को आरोपी बना देने अथवा मदिरा दुकानों के संचालन में आ रही अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु, प्रत्येक तीन माह में एक बार अथवा वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक आयोजित कर उपरोक्त एवं अनुषांगिक विषयों की समीक्षा कर निराकरण किया जाना।

(8) राज्य शासन एवं आबकारी आयुक्त द्वारा निर्देशित अन्य कार्य।

5 <u>नवीन मदिरा दुकानों का खोला जाना :–</u>

वर्ष 2017–18 के लिए राज्य में कोई भी नवीन मदिरा दुकान खोली जाना प्रस्तावित नहीं है।

6. <u>वर्तमान मदिरा दुकानों को बन्द किया जाना</u>

वर्ष 2016–17 में नर्मदा किनारे के शहरों में 5 किलोमीटर तक की दूरी में स्थित देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों को दिनांक 01.04.2017 से बंद *किया जायेगा।* नर्मदा *किनारे* के निर्दिष्ट सभी गांवों में मदिरा दुकानों को बंद किया जायेगा।

7. **मदिरा दुकानों के नाम में परिवर्तन किया जाना**

7.1 वर्तमान वर्ष 2016–17 में संचालित कोई देशी मदिरा अथवा विदेशी मदिरा दुकान जिस नाम से स्वीकृत है, यदि वह उससे भिन्न नाम से संचालित है, तो ऐसी मदिरा दुकान के पूर्व नाम को परिवर्तित कर, उसे वर्तमान स्थान पर ही, वर्तमान स्थान के नाम से वर्ष 2017–18 के लिए निष्पादित कराया जा सकेगा।

7.2 मदिरा दुकानों के नाम परिवर्तन के फलस्वरूप ऐसी मदिरा दुकान का स्थान एवं उस मदिरा दुकान का वार्षिक मूल्य/आरक्षित मूल्य यथावत (अपरिवर्तित) रहेगा।

7.3 **राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर मदिरा दुकानों की अवस्थिति**

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील क्रमांक 12164– 12166/2016 में पारित आदेश के पालन में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग पर मदिरा दुकानों की अवस्थिति के संबंध में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में दिनांक 01.04.2017 से यह पालन करना अनिवार्य होगा कि–

1) मदिरा की कोई भी दुकान राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग अथवा राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के सर्विस लेन के बाहरी किनारे (Outer edge) से 500 मीटर से कम दूरी पर अवस्थित नहीं होंगी।

2) मदिरा की कोई भी दुकान राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग से दृश्यमान नहीं होगी।

3) मदिरा की उपलब्धता को इंगित करने वाला कोई साईन बोर्ड अथवा विज्ञापन राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग पर निषिद्ध रहेगा।

4) मदिरा की कोई दुकान राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग से सीधे पहुंचने के योग्य (Directly accessible) नहीं होगी।

7.4 कंडिका क्रमांक 7.3 के परिपालन में यदि किसी देशी/विदेशी मदिरा दुकान को अपने वर्तमान स्थान से हटाकर किसी अन्य स्थान पर स्थापित किये जाने का निर्णय जिला समिति द्वारा लिया जाता है तो जिला समिति द्वारा निर्धारित परिवर्तित स्थान का नाम निष्पादन के पूर्व घोषित किया जाकर उक्त मदिरा दुकान का निष्पादन वर्ष 2017–18 के लिये किया जायेगा। किंतु ऐसे परिवर्तन के फलस्वरूप उस मदिरा दुकान का वार्षिक मूल्य/आरक्षित मूल्य यथावत (अपरिवर्तित) रहेगा।

8. **देशी मदिरा दुकानों का स्वरूप परिवर्तन किया जाना।**

8.1 वर्ष 2017–18 में नवीनीकरण/लॉटरी आवेदन पत्र के माध्यम से निष्पादन के अभाव में, जिन जिलों में समस्त मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन, ई–टेण्डर द्वारा किया जायेगा। ऐसे जिलों में स्थानीय आवश्यकतानुसार, राजस्व हित में देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का स्वरूप विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के रूप में परिवर्तित कर, उनका निष्पादन विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के रूप में किया जा सकेगा।

8.2 देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का स्वरूप, स्थानीय आवश्यकतानुसार राजस्व हित में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के रूप में परिवर्तित करने के लिये, संबंधित जिले की जिला समिति, जिसमें संभाग के उपायुक्त आबकारी की स्पष्ट राय, अनिवार्य रूप से अंकित हो, के प्रस्ताव पर आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

8.3 स्वरूप परिवर्तन के फलस्वरूप ऐसी विदेशी मदिरा दुकान का आरक्षित मूल्य निम्नलिखित **कंडिका क्रमांक 9.6** में वर्णित अनुसार परिगणित किया जायेगा।

9. **आरक्षित मूल्य का निर्धारण**

9.1 वर्ष 2016–17 में जिन एकल समूहों में सम्मिलित देशी मदिरा दुकान से विदेशी मदिरा की दुकान में या विदेशी मदिरा दुकान से देशी मदिरा की दुकान में, वार्षिक मूल्य में अन्तरण

अनुमत किया गया है, तो ऐसा आदेश लागू होने के दिनांक से उसे दिनांक 31 मार्च 2017 तक की अवधि के लिए अन्तरण मानकर (भले ही लायसेंसी द्वारा आदेश जारी किये जाने के उपरान्त अन्तरण योग्य मदिरा का प्रदाय लिया गया हो अथवा नहीं लिया गया हो), एकल समूहों में सम्मिलित देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा दुकानों का वर्ष 2016–17 के लिए वार्षिक मूल्य पुनर्गणित (**Re-calculate**) किया जायेगा।

9.2 जिन एकल समूहों में वार्षिक मूल्य का ऐसा अन्तरण वर्ष 2016–17 में अनुमत नहीं किया गया है, ऐसे एकल समूह के साथ–साथ अन्य एकल मदिरा दुकानों का वर्ष 2016–17 के लिये वार्षिक मूल्य वही रहेगा, जिस वार्षिक मूल्य पर वे वर्ष 2016–17 के लिये निष्पादित की गई थी।

9.3 वर्ष 2016–17 के लिये जिले की मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन किये जाने के पश्चात् यदि निष्पादन वर्ष की अवधि में किसी मदिरा दुकान/एकल समूह का पुनः निष्पादन किया गया है तो ऐसी मदिरा दुकान/एकल समूह का भी, वर्ष 2016–17 हेतु वार्षिक मूल्य का पुनःनिर्धारण वर्ष 2016–17 के लिये मूल निष्पादन उपरांत, लायसेंस निरस्तीकरण के फलस्वरूप उक्त लायसेंस के लिये जमा धरोहर राशि, जमा प्रतिभूति राशि, जमा वार्षिक बेसिक लायसेंस फीस एवं जमा वार्षिक लायसेंस फीस के योग व उक्त मदिरा दुकान/एकल समूह के वर्ष 2016–17 की शेष अवधि के लिये पुनर्निष्पादन के फलस्वरूप प्राप्त वार्षिक मूल्य एवं संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह के विभागीय संचालन अवधि (यदि कोई हो) में प्राप्त शुद्ध राजस्व के योग के आधार पर पुनर्गणित (**Re-calculate**) किया जायेगा।

9.4 01 अप्रैल, 2017 से नर्मदा किनारे के शहरों में 5 किलोमीटर तक की दूरी में स्थित देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों को बंद किया जायेगा। नर्मदा किनारे के निर्दिष्ट सभी गांवों में मदिरा दुकानों को बंद किया जायेगा। उपरोक्त बंद की जाने वाली मदिरा दुकान/दुकानों का वर्ष 2016–17 का निर्धारित/पुनर्गणित वार्षिक मूल्य संबंधित जिले की जिला समिति द्वारा विवेकानुसार निकटवर्ती किसी एक मदिरा दुकान/एकल समूह अथवा एक से अधिक मदिरा दुकान/एकल समूहों में विभाजित किया जाकर अंतरित किया जायेगा। नर्मदा किनारे की बंद की जाने वाली मदिरा दुकानों का वार्षिक मूल्य, जिले के वर्ष 2016–17 के कुल वार्षिक मूल्य में निहित होगा।

9.5 उपरोक्तानुसार प्रत्येक देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के वर्ष 2016–17 के परिगणित/पुनर्गणित (Re-calculate) वार्षिक मूल्य में 15 प्रतिशत वृद्धि कर वर्ष 2017–18 के लिए आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाएगा।

9.6 **कण्डिका क्रमांक 8** अनुसार स्वरूप परिवर्तन के फलस्वरूप ऐसी विदेशी मदिरा दुकानों का आरक्षित मूल्य, उपरिलिखित **कंडिका क्रमांक 9.5** में वर्णित अनुसार परिगणित राशि में, ऐसी देशी मदिरा दुकान के वर्ष 2016–17 के वार्षिक मूल्य के 20 प्रतिशत राशि के समतुल्य राशि की अतिरिक्त वृद्धि कर, निर्धारित किया जायेगा। अर्थात् वर्ष 2016–17 के परिगणित वार्षिक मूल्य में 35 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर वर्ष 2017–18 के लिये उसका आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जायेगा।

10. देशी मदिरा/विदेशी मदिरा की एकल दुकानों के समूह का पुनर्गठन

10.1 देशी मदिरा/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के जो समूह वर्तमान वर्ष 2016–17 में निर्धारित है, वर्ष 2017–18 के लिये उन्हें नवीनीकरण/लॉटरी आवेदन पत्रों के माध्यम से निष्पादन हेतु यथावत रखा जायेगा। मदिरा दुकानों/एकल समूह में सम्मिलित कोई भी दुकान नर्मदा किनारे होने के कारण बंद की गई है तो एकल समूह से बंद की जाने वाली दुकान/दुकानों को कम किया जाकर ही एकल समूह का निष्पादन किया जायेगा।

10.2 वर्ष 2017–18 के लिये नवीनीकरण/लॉटरी आवेदन पत्र के माध्यम से निष्पादन के अभाव में जिन जिलों में समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन ई–टेण्डर द्वारा किया जायेगा, केवल उन जिलों में निष्पादन की दृष्टि से स्थानीय आवश्यकता एवं राजस्व हित में वर्ष 2017–18 के लिये समूहों का पुनर्गठन किया जा सकेगा।

10.2.1 नगर निगम एवं जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा क्षेत्र से 10 किलोमीटर के सीमा क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्रों में भौगोलिक निरन्तरता के आधार पर स्थित अधिकतम चार मदिरा दुकानों का एकल समूह, जिसमें यथासंभव दोनों स्वरूप की मदिरा दुकानें हों, आवश्यकता अनुसार राजस्व हित में अनिवार्यतः संबंधित उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता की सहमति से जिले के नजरी नक्शे के आधार पर जिला समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार पुनर्गठित किया जा सकेगा।

10.2.2 इसी प्रकार जिला मुख्यालय से भिन्न अन्य नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भौगोलिक निरन्तरता के आधार पर अधिकतम चार मदिरा दुकानों का एकल समूह, जिसमें यथासंभव दोनों स्वरूप की मदिरा दुकानें हों, आवश्यकता अनुसार राजस्व हित में अनिवार्यतः संबंधित उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता की सहमति से जिले के नजरी नक्शे के आधार पर जिला समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार पुनर्गठित किया जा सकेगा।

11. <u>वार्षिक मूल्य, वार्षिक लायसेंस फीस एवं न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी का निर्धारण</u>

11.1 वर्ष 2017–18 के लिए नवीनीकरण/लॉटरी आवेदन पत्र के माध्यम से निष्पादित की गयी मदिरा दुकान/एकल समूह का वर्ष 2017–18 के लिये घोषित आरक्षित मूल्य ही उसका वार्षिक मूल्य होगा।

11.2 वर्ष 2017–18 के लिए ई–टेण्डर द्वारा निष्पादन की स्थिति में ई–टेण्डर में प्राप्त एवं स्वीकृत उच्चतम ऑफर की राशि, उस मदिरा दुकान/एकल समूह का वर्ष 2017–18 का वार्षिक मूल्य होगा।

11.3 **वर्ष 2017–18 के लिये वार्षिक लायसेंस फीस, समानरूप से संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह के वार्षिक मूल्य का 5 प्रतिशत होगी। अनुज्ञप्तिधारक (लायसेंसी) को वार्षिक लायसेंस फीस के विरूद्ध मदिरा प्रदाय की पात्रता नहीं होगी।**

11.4 **मदिरा दुकान/एकल समूह के वार्षिक मूल्य में से वार्षिक लायसेंस फीस की राशि कम किये जाने पर, अवशेष कुल राशि संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह की वर्ष 2017–18 के लिए वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी निर्धारित होगी। जिसके विरूद्ध अनुज्ञप्तिधारक (लायसेंसी) को मदिरा प्रदाय की पात्रता होगी।**

12. <u>धरोहर राशि एवं उसको जमा कराया जाना</u>

12.1 वर्ष 2017–18 के लिए नवीनीकरण एवं लॉटरी आवेदन पत्र के माध्यम से अथवा ई–टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकान/एकल समूह के लिये धरोहर राशि संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह के आरक्षित मूल्य का 5 प्रतिशत होगी।

12.2 **नवीनीकरण/लॉटरी आवेदन पत्र के माध्यम से वर्ष 2017–18 के लिये मदिरा दुकानों का निष्पादन किये जाने की स्थिति में, <u>धरोहर राशि की 50 प्रतिशत राशि नवीनीकरण आवेदन पत्र/लॉटरी आवेदन पत्र के साथ</u> संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा में देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश ऑर्डर के रूप में जमा करानी होगी <u>व शेष 50 प्रतिशत राशि निष्पादन की तिथि से तीन दिवस के अंदर</u> संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा में देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश ऑर्डर के रूप में अथवा साईबर ट्रेजरी में ऑन लाईन जमा करानी होगी। 03 दिवसों की**

गणना में निष्पादन की कार्यवाही का दिन एवं अवकाश के दिन (बैंक बंदी दिवस अथवा बैंक हड़ताल दिवस सहित, यदि कोई हो) को गणना में नहीं लिया जायेगा।

12.3 नवीनीकरण/लॉटरी आवेदन पत्र के माध्यम से मदिरा दुकानों के निष्पादन की स्थिति में, धरोहर राशि *की शेष राशि* **कंडिका–12.2** *में वर्णित अवधि* में जमा न किये जाने पर पृथक से बिना किसी अन्य सूचना के संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह का आवेदन स्वतः निरस्त मान्य किया जायेगा तथा ऐसी मदिरा दुकान/एकल समूह पुनः निष्पादन पर रखी जावेगी। जिन लॉटरी आवेदकों का मदिरा दुकान/एकल समूह के आवंटन के लिये चयन नहीं होगा उनके द्वारा जमा धरोहर राशि नियमानुसार वापिस की जायेगी।

12.4 **ई–टेण्डर द्वारा वर्ष 2017–18 के लिये मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन किये जाने की स्थिति में टेण्डरदाता को धरोहर राशि की 50 प्रतिशत राशि ई–टेण्डर ऑफर के साथ संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा में देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश ऑर्डर के रूप में अथवा म.प्र. राज्य इलेक्ट्रोनिक विकास निगम के पोर्टल (www.mpeproc.gov.in) पर ऑन लाईन जमा करानी होगी व शेष 50 प्रतिशत राशि निष्पादन की तिथि से तीन दिवस के अंदर अथवा दिनांक 31 मार्च, 2017 जो भी पहले हो तक, संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा में देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश ऑर्डर के रूप में अथवा साईबर ट्रेजरी में ऑन लाईन जमा करानी होगी। 03 दिवसों की गणना में निष्पादन की कार्यवाही का दिन एवं अवकाश के दिन (बैंक बंदी दिवस अथवा बैंक हड़ताल दिवस सहित, यदि कोई हो) को गणना में नहीं लिया जायेगा।**

12.5 वर्ष 2017–18 के लिये ई–टेण्डर द्वारा मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन यदि माह मार्च, 2017 की किसी अंतिम तिथियों में होता है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह की शेष 50 प्रतिशत धरोहर राशि 31 मार्च 2017 तक जमा करना अनिवार्य होगा।

12.6 वर्ष 2017–18 के लिये ई–टेण्डर द्वारा मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन की स्थिति में नियत अवधि में धरोहर राशि कंडिका *क्रमांक* **12.4 एवं 12.5** अनुसार जमा न किये जाने पर पृथक से बिना किसी अन्य सूचना के संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह का ऑफर/लायसेंस निरस्त किया जायेगा व उसका पुनर्निष्पादन वर्तमान उच्चतम टेण्डरदाता के उत्तरदायित्व पर किया जायेगा।

12.7 वर्ष 2017–18 के लिये नवीनीकरण/लॉटरी आवेदन पत्र के माध्यम से तथा ई–टेण्डर द्वारा निष्पादित मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लिये जमा धरोहर राशि, संबंधित मदिरा दुकान /एकल समूह की देय वार्षिक लायसेंस फीस के विरूद्ध समायोजन योग्य होगी। यदि धरोहर राशि देय वार्षिक लायसेंस फीस से अधिक जमा है तो अधिक जमा राशि उसकी निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के विरुद्ध वर्ष के अंतिम पक्ष में समायोजन योग्य होगी। जमा धरोहर राशि वार्षिक लायसेंस फीस से कम होने पर अंतर की राशि संबंधित द्वारा निष्पादन तिथि से 03 दिवस में अथवा 31 मार्च, 2017 जो पहले हो में जमा करना होगी।

12.8 असफल आवेदक/टेण्डरदाता द्वारा जमा धरोहर राशि, उसे अधिसूचित व्यवस्था अनुसार वापस की जायेगी।

13. **प्रतिभूति राशि एवं उसको जमा कराया जाना।**

वर्ष 2017–18 के लिये प्रतिभूति राशि संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह के लिये प्राप्त वार्षिक मूल्य में, धरोहर राशि को कम कर, शेष राशि के 11 प्रतिशत के समतुल्य प्रभारित की जायेगी। वर्ष 2017–18 के

लिये किसी भी स्वरुप में जमा सम्पूर्ण प्रतिभूति की राशि के संबंध में आवेदक/लायसेंसी को यह उल्लेखित एवं प्रमाणित करना होगा कि उसके द्वारा संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह के लिये प्रस्तुत/जमा प्रतिभूति राशि वर्ष 2017–18 के दौरान संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह के अतिरिक्त मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी जिले में आवेदक/लायसेंसी के नाम से स्वीकृत किसी भी अन्य मदिरा दुकान/एकल समूह में की गई अनियमितताओं के लिये भी बंधनकारी होगी। प्रतिभूति की राशि यदि बैंक गारंटी/बैंक की सावधि के रुप में जमा की गई है तो बैंक द्वारा अपने पत्र में यह उल्लेखित एवं प्रमाणित करना होगा कि उनके द्वारा मदिरा दुकान/एकल समूह के लिये प्रस्तुत/जमा प्रतिभूति राशि वर्ष 2017–18 के दौरान संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह के अतिरिक्त मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी जिले में आवेदक/लायसेंसी के नाम से स्वीकृत किसी भी अन्य मदिरा दुकान/एकल समूह में की गई अनियमितताओं के लिये भी बंधनकारी होगी। बैंक द्वारा ऐसा पत्र नियत मूल्य के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर तैयार कर जारी किया जायेगा। प्रतिभूति राशि की बैंक गारंटी, भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार **0.25 Percent of the amount, subject to a maximum of twenty five thousand rupees** मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर तैयार कराकर प्रस्तुत की जायेगी। बैंक गारण्टी एवं बैंक के अग्रेषण पत्र को लायसेंसी द्वारा ***"मेरे द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया गया है"*** ऐसा अंकित कर, अपने दिनांकित हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

13.1 नवीनीकरण/लॉटरी आवेदन पत्र/ई–टेंडर के माध्यम से मदिरा दुकानों के निष्पादन की स्थिति में कंडिका क्रमांक 13 के पालन में प्रतिभूति राशि जमा कराया जाना :–

13.1.1 वर्ष 2016–17 के लायसेंसी द्वारा अपने नवीनीकरण आवेदन के साथ वर्ष 2016–17 के लिए प्रस्तुत प्रतिभूति राशि दिनांक 30.04.2018 तक के लिए जमा मान्य करने की सहमति प्रस्तुत की जायेगी। यदि प्रतिभूति राशि बैंक गारंटी/सावधि जमा के रूप में है, तो नवीनीकरण आवेदक द्वारा ऐसी बैंक गारंटी/सावधि जमा की वैधता अवधि में दिनांक 30.04.2018 तक की वृद्धि किये जाने सम्बन्धी बैंक के पत्र को संलग्न प्रस्तुत किया जायेगा। बैंक अपने पत्र में यह उल्लेखित एवं प्रमाणित करेगा कि वैधता अवधि की वृद्धि की अवधि में, उक्त बैंक गारंटी/सावधि जमा यथावत संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में बंधक रहेगी। नवीनीकरण की स्थिति में प्रतिभूति की सम्पूर्ण राशि निष्पादन की तिथि से 15 दिवस की अवधि में जमा करना अनिवार्य होगा।

13.1.2 वर्ष 2017–18 के लिए निर्धारित प्रतिभूति की राशि वर्ष 2016–17 के लिए जमा प्रतिभूति की राशि से अधिक रहने की स्थिति में निर्धारित प्रतिभूति के अंतर की राशि निर्धारित अवधि में संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा में देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश ऑर्डर/सावधि जमा/बैंक गारंटी के रूप में अथवा साईबर ट्रेजरी में ऑन लाईन निर्धारित अवधि में जमा करना आवश्यक होगा। प्रतिभूति राशि बैंक गारंटी/सावधि जमा के रूप में प्रस्तुत करने पर परिपक्वता अवधि कम से कम, दिनांक 30.04.2018 तक की होगी।

13.1.3 लॉटरी आवेदन पत्र के माध्यम से चयनित आवेदक/ई–टेंडर में सफल टेंडरदाता द्वारा वर्ष 2017–18 के लिये सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा में देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश ऑर्डर के रूप में प्रस्तुत की जा सकेगी अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में बन्धक किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बैंक गारंटी/सावधि जमा के रूप में, जिसकी परिपक्वता अवधि कम से कम, दिनांक 30.04.2018 तक की होगी,

निष्पादन के दिनांक से 07 दिवस की अवधि में अथवा 31 मार्च, 2017 के पूर्व जो भी पहले आये प्रस्तुत की जा सकेगी। प्रतिभूति की राशि साईबर ट्रेजरी में ऑन लाईन भी नियत अवधि में जमा करायी जा सकेगी।

13.1.4. संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह का लायसेंस, प्रतिभूति राशि जमा हो जाने के पश्चात ही जारी किया जायेगा। ई–टेण्डर द्वारा जिन मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन दिनांक 26 मार्च 2017 के पश्चात की किसी तिथि को अंतिम होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिभूति की राशि निष्पादन तिथि से 05 दिवस की अवधि में अर्थात दिनांक 31 मार्च 2017 तक के बाद भी जमा करायी जा सकेगी किंतु प्रतिभूति की राशि जमा होने पर ही लायसेंस जारी किया जायेगा। ऐसी स्थिति में मदिरा दुकान का संचालन न होने के लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगा, इसके लिये उसे किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी। सफल टेंडरदाता द्वारा प्रतिभूति की राशि विनिर्दिष्ट अवधि में जमा नहीं कराये जाने पर उसके उत्तरदायित्व पर उक्त मदिरा दुकान/एकल समूह का पुनर्निष्पादन किया जायेगा। पुनर्निष्पादन के फलस्वरुप जो भी खिसारा आयेगा उसकी वसूली संबंधित से भू–राजस्व के बकाया की भांति की जायेगी।

13.1.5 प्रस्तुत बैंक गारण्टी अथवा सावधि जमा नवीनीकरण आवेदक/लॉटरी आवेदन पत्र के माध्यम से चयनित आवेदक/सफल टेंडरदाता, (व्यक्ति/भागीदारी फर्म/कम्पनी) के नाम से जारी होने पर ही स्वीकार की जायेगी।

13.1.6 लॉटरी द्वारा चयनित आवेदक/सफल टेण्डरदाता मदिरा दुकान/एकल समूह के निष्पादन के दिनांक से निर्धारित समयावधि में यदि प्रतिभूति की सम्पूर्ण राशि जमा नहीं करता है तथा निर्धारित समयावधि में प्रतिभूति की देय राशि की 50 प्रतिशत राशि अग्रिम साईबर ट्रेजरी में ऑन लाईन जमा कर, शेष 50 प्रतिशत राशि की बैंक गारंटी दिनांक 30 अप्रैल 2017 तक प्रस्तुत करने का आवेदन करता है, तो (इस प्रतिबंध के अधीन कि देय प्रतिभूति की 50 प्रतिशत अग्रिम ऑन लाईन जमा राशि, मुख्य राजस्व शीर्ष 0039 राज्य उत्पादन शुल्क में जमा करायी जाकर, उसका समायोजन माह मार्च 2018 में देय निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी के विरूद्ध आदेशित/मान्य किया जायेगा) आवेदक लायसेंसी के आवेदन को मान्य किया जायेगा।

13.1.7 लॉटरी द्वारा चयनित आवेदक/सफल टेण्डरदाता द्वारा दिनांक 30 अप्रैल 2017 तक प्रतिभूति की शेष 50 प्रतिशत राशि प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में, उसे स्वीकृत लायसेंस निरस्त किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार दुकानों के संचालन की अन्य व्यवस्था की जायेगी।

13.1.8 वर्ष 2017–18 के लिये जमा की गई प्रतिभूति की राशि के प्रकार में, किसी सफल ठेकेदार द्वारा वर्ष 2017–18 की अवधि के लिये कोई परिवर्तन चाहा जाता है अर्थात ऑन लाईन जमा राशि/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश आर्डर अथवा बैंक सावधि जमा के स्थान पर परस्पर बैंक गारण्टी या बैंक गारण्टी के स्थान पर बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश आर्डर/ऑन लाईन जमा राशि अथवा बैंक सावधि जमा आदि प्रतिस्थापित करना चाहता है, तो संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी ऐसा करने के लिये अधिकृत होंगे। परंतु सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा ऐसा प्रतिस्थापन अनुमत करने के पूर्व सुसंगत अभिलेखीय प्रमाण के साथ यह सुनिश्चित किया जावेगा कि प्रत्येक समय सफल ठेकेदार की निर्धारित प्रतिभूति की राशि विभाग के पास निरंतर जमा रहे।

13.1.9 प्रतिभूति की सम्पूर्ण राशि विर्निदिष्ट अवधि में उपरोक्तानुसार जमा न करायी जाने की स्थिति में सफल ठेकेदार द्वारा जमा सम्पूर्ण राशि राजसात की जायेगी तथा उसके उत्तरदायित्व पर मदिरा दुकान/एकल समूह के पुनर्निष्पादन की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी एवं पुनर्निष्पादन के फलस्वरुप जो भी खिसारा आयेगा उसकी वसूली संबंधित से भू–राजस्व के बकाया की भांति की जायेगी।

14. मदिरा दुकानों का स्वरुप

वर्ष 2017–18 में देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का अनुज्ञप्तिधारी केवल बोतल बन्द देशी मदिरा का तथा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का अनुज्ञप्तिधारी केवल विदेश में निर्मित एवं मूल में बोतल बंद **(Bottled in Origin)** आयातित विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर) एवं बोतल बन्द भारत निर्मित विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर) का ही संग्रह एवं विक्रय कर सकेगा।

15. नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र/लॉटरी आवेदन पत्र/ई–टेण्डर प्रपत्र का मूल्य

15.1 वर्ष 2017–18 के लिए नवीनीकरण/लॉटरी आवेदन पत्र/ई–टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकानों के लिए नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र/ लॉटरी आवेदन पत्र/ ई–टेण्डर प्रपत्र का मूल्य प्रत्येक मदिरा दुकान के लिए रूपये 10,000/– (रुपये दस हजार) प्रभारित किया जायेगा। किसी मदिरा दुकान/एकल समूह के लिए नवीनीकरण/लॉटरी आवेदन पत्र/ई–टेण्डर तभी मान्य किया जायेगा, जब उसकी कीमत संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों की संख्या के मान से नवीनीकरण/लॉटरी आवेदन पत्र/ई–टेण्डर प्रपत्र के लिये भुगतान योग्य समेकित कीमत से कम न हो। नवीनीकरण के आवेदन पत्र अथवा लॉटरी आवेदन पत्र अथवा ई–टेंडर क्रय के लिये भुगतान की गई राशि/मूल्य निष्पादन की प्रक्रिया में भाग न लेने अथवा निष्पादन की प्रक्रिया में असफल रहने की स्थिति में भी वापसी योग्य नहीं होगा।

15.2 वर्तमान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नवीनीकरण का आवेदन प्रस्तुत करने के बाद निष्पादन की प्रक्रिया में विहित प्रावधानों के अनुसार मदिरा दुकानों के आवंटन की स्थिति में, ऐसी नवीनीकरण की जा रही मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लायसेंसी को निम्नानुसार प्रति दुकान नवीनीकरण विशेषाधिकार राशि का भुगतान निष्पादन के दिनांक से 03 दिवस की अवधि में करना होगा :–

(1) नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्र में स्थित प्रति मदिरा दुकान के लिए रुपये 50,000/–

(2) नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र मे स्थित प्रति मदिरा दुकान के लिए रुपये 40,000/–

16. मदिरा दुकानों का निष्पादन– नवीनीकरण के माध्यम से मदिरा दुकानों के निष्पादन की व्यवस्था, शर्तें एवं निर्बन्धन निम्नानुसार रहेंगे :–

16.1
- वर्ष 2017–18 के लिये देशी/विदेशी मदिरा दुकानों/एकल समूहों के वर्तमान वर्ष 2016–17 के ऐसे लायसेंसी, जिन्होंने वर्ष के दौरान कोई गम्भीर अनियमितता नहीं की है, को वर्ष 2017–18 के लिए अपनी एकल दुकान/एकल समूह के लायसेंस के नवीनीकरण के आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की पात्रता होगी।
- मदिरा दुकानों के नवीनीकरण द्वारा निष्पादन के सन्दर्भ में राजस्व हित को ध्यान में रखते हुये जिला समिति द्वारा ही प्रकरणवार विचार कर, यह निर्णय लिया जायेगा कि अनुज्ञप्तिधारक द्वारा क्या वास्तव में वर्ष 2016–17 में आदतन, दुर्भावना पूर्ण ऐसी कोई गंभीर अनियमितता की गई है, जिससे उसका आचरण उसे मदिरा की फुटकर विक्रय की दुकान का लायसेंस धारण करने के लिये अपात्र बनाता है ?
- नवीनीकरण द्वारा मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन की कार्यवाही कंडिका–1 में वर्णित प्रतिबंधों के अनुरुप रहेगी।

16.2
- वर्ष 2016–17 के ऐसे लायसेंसी, जिनके विरूद्ध माह जनवरी, 2017 प्रथम पक्ष अंत तक देय कोई बेसिक लायसेंस फीस एवं वार्षिक लायसेंस फीस बकाया नहीं है, उन्हें अपने मदिरा दुकान/एकल समूह के लायसेंस का वर्ष 2017–18 के लिए नवीनीकरण का आवेदन पत्र वांछित सहपत्रों सहित **दिनांक 30 जनवरी 2017 दिन सोमवार को सायंकाल 5.30 बजे तक** संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त /जिला आबकारी अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित प्रारूप का आवेदन पत्र, उपरोक्त **कण्डिका क्रमांक–15** में उल्लेखित नियत राशि संबंधित जिले के सहायक आबकारी

आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा पर देय, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक अथवा बैंक कैश आर्डर अथवा Cyber Treasury में ऑन लाईन जमा की गई राशि की रसीद प्रस्तुत किये जाने पर कार्यालयीन समय में संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से प्रदाय किया जायेगा। मदिरा दुकानों के एकल समूह के लिए आवेदन पत्र, एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों की संख्या के अनुरूप, उपरोक्तानुसार समेकित मूल्य के अग्रिम भुगतान पर प्रदाय किये जायेंगे।

- **नवीनीकरण हेतु इच्छुक आवेदक की वर्ष 2016–17 की 12 प्रतिशत अग्रिम प्रतिभूति वर्ष 2017–18 हेतु मान्य की जायेगी। वर्ष 2017–18 के लिये देय अग्रिम प्रतिभूति की अंतर की शेष राशि निष्पादन तिथि से 15 दिवस के अंदर Cyber Treasury में ऑन लाईन जमा अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी, बंधक किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा में देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश ऑर्डर के रूप में अथवा सावधि जमा के रूप में जिसकी परिपक्वता अवधि कम से कम, दिनांक 30.04.2018 तक की होगी अथवा किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 2018 तक की वैधता अवधि के अधीन संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी की गई बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगी।**

16.3 नवीनीकरण हेतु इच्छुक लायसेंसी अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित जानकारी/अभिलेख भी प्रस्तुत करेंगे :–

(क) विभाग द्वारा निर्गत निर्धारित प्रारूप में नवीनीकरण का आवेदन पत्र ।

(ख) वर्ष 2016–17 के लिए प्रस्तुत प्रतिभूति राशि दिनांक 30.04.2018 तक के लिए जमा मान्य करने की सहमति। यदि प्रतिभूति राशि बैंक गारंटी के रूप में है, तो ऐसी बैंक गारंटी की वैधता अवधि में दिनांक 30.04.2018 तक की वृद्धि किये जाने सम्बन्धी बैंक का पत्र। {बैंक द्वारा अपने पत्र में यह उल्लेखित एवं प्रमाणित किया जायेगा कि प्रस्तुत बैंक गारन्टी वर्ष 2016–17 के संदर्भ में तथा वर्ष 2017–18 के दौरान लायसेंसी द्वारा इस मदिरा दुकान/एकल समूह के अतिरिक्त, मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी जिले में आवेदक लायसेंसी के नाम से स्वीकृत किसी भी अन्य मदिरा दुकान/एकल समूह द्वारा की गई अनियमितताओं के लिए भी बंधनकारी होगी। बैंक द्वारा ऐसा पत्र नियत मूल्य के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर तैयार कर जारी किया जायेगा।} बैंक का उक्त पत्र लायसेंसी द्वारा **"मेरे द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया गया है"** ऐसा अंकित कर, अपने दिनांकित हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

यदि आवेदक/लायसेंसी वर्ष 2017–18 के लिए प्रतिभूति की राशि Cyber Treasury में ऑन लाईन जमा अथवा बैंक की नवीन सावधि जमा अथवा नवीन बैंक गारन्टी के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे ऑन लाईन जमा की गई राशि की रसीद, बैंक की सावधि जमा रसीद अथवा नवीन बैंक गारन्टी, निष्पादन तिथि से 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना होगी। जब तक नवीन प्रतिभूति राशि की बैंक की सावधि जमा अथवा नवीन बैंक गारन्टी प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक वर्ष 2016–17 के लिए प्रस्तुत अग्रिम प्रतिभूति की राशि, यदि नगद जमा है, तो उसका समायोजन वर्ष 2016–17 के अवशेष वार्षिक

मूल्य (वार्षिक बेसिक लायसेंस फीस एवं वार्षिक लायसेंस फीस) के विरुद्ध अनुमत नहीं होगा। यदि प्रतिभूति की राशि बैंक की सावधि जमा अथवा बैंक गारन्टी के रूप में है, तो ऐसी बैंक सावधि जमा अथवा बैंक गारन्टी का समायोजन वर्ष **2016–17 के वार्षिक मूल्य के अन्तर्गत अनुमत नहीं होगा।**

(ग) संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह की कण्डिका क्रमांक–12 में उल्लेखित देय धरोहर राशि की 50 प्रतिशत राशि का, संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा पर देय, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक अथवा बैंक कैश आर्डर।

(घ) **नवीनीकरण हेतु इच्छुक वर्तमान लायसेंसी (आवेदक) को वर्ष 2017–18 के लिये कण्डिका क्रमांक–12 में उल्लेखित देय धरोहर राशि की अवशेष 50 प्रतिशत राशि तथा कंडिका क्रमांक 15.2 में उल्लेखित नवीनीकरण विशेषाधिकार राशि निष्पादन की तिथि से तीन दिवस के अंदर जमा करनी होगी।** तद्नुसार आवेदक **इस आशय का नोटराइज्ड शपथ पत्र भी कण्डिका क्रमांक–21.1 में उल्लेखित प्रारूप में संलग्न प्रस्तुत करेगा, जिसमें यह घोषणा होगी कि–**

(1) आवेदक वर्ष 2017–18 की देय वार्षिक लायसेंस फीस/निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि यथासमय जमा करेगा।

(2) यदि आवेदक कण्डिका क्रमांक–12 में उल्लेखित धरोहर राशि की शेष 50 प्रतिशत राशि तथा नवीनीकरण विशेषाधिकार राशि निष्पादन की तिथि से तीन दिवस के अंदर जमा नहीं करता है, तो उसके द्वारा वर्ष 2016–17 के लिए पूर्व में जमा प्रतिभूति राशि अथवा उसकी बैंक गारंटी तथा वर्ष 2017–18 के लिए जमा धरोहर राशि एवं अन्य कोई जमा राशि राजसात कर ली जाए तथा उसे आवंटित मदिरा दुकान/एकल समूह का वर्ष 2017–18 के लिए सार्वजनिक रूप से निष्पादन कर दिया जाए। इस निष्पादन के फलस्वरूप यदि शासन को आरक्षित मूल्य से कम राशि का ऑफर प्राप्त होता है, तो अन्तर की खिसारा राशि आवेदक द्वारा देय होगी तथा यह राशि उससे भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी। इसमें उसे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(3) **यदि जिले में नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं लॉटरी आवेदन पत्र प्राप्त कर लेने के पश्चात् यह परिलक्षित होता है कि उस जिले के वर्ष 2017–18 हेतु निर्धारित आरक्षित मूल्य के 70 प्रतिशत से कम मूल्य की मदिरा दुकानों/एकल समूहों पर ही नवीनीकरण/लॉटरी आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं तब नवीनीकरण/लॉटरी आवेदन पत्र प्राप्त कर निष्पादन की कार्यवाही के स्थान पर उस जिले की समस्त मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन ई–टेण्डर आमंत्रित कर किये जाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं होगी।**

(4) आवेदनकर्ता को शपथ पत्र में अपना मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल एड्रेस का विवरण भी अनिवार्यतः उल्लेखित करना होगा। जिससे आवश्यकता की स्थिति में संबंधित से सम्पर्क किया जा सके अथवा किसी भी सूचना/कारण बताओ सूचना पत्र आदि का निर्वहन ई–मेल के माध्यम से किया जा सके।

17. **वर्ष 2016–17 में संचालित मदिरा दुकानों/एकल समूहों के वर्तमान अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वर्ष 2017–18 के लिये जिन मदिरा दुकान/एकल समूह के लिए नवीनीकरण के आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो ऐसे अनुज्ञप्तिधारी, उन मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लिये लॉटरी आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये पात्र नहीं होंगे।**

17 (क) <u>नवीनीकरण के आवेदन रहित मदिरा दुकानों/एकल समूहों का अन्य पात्र आवेदकों से लॉटरी आवेदन पत्र आमंत्रित कर निष्पादन किये जाने संबंधी, व्यवस्था एवं शर्तें:—</u>

1. वर्ष 2017—18 के लिये जिन मदिरा दुकानों/एकल समूहों पर नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं ऐसी मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन हेतु अन्य पात्र आवेदकों को लॉटरी आवेदन पत्र वांछित सहपत्रों सहित दिनांक 08 फरवरी 2017 दिन बुधवार सायंकाल 5:30 बजे तक संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित प्रारूप का लॉटरी आवेदन पत्र उपरोक्त <u>कण्डिका क्रमांक—15</u> में उल्लेखित नियत राशि के संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा पर देय, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक अथवा बैंक कैश आर्डर अथवा Cyber Treasury में ऑन लाईन जमा की गई राशि की रसीद प्रस्तुत किये जाने पर कार्यालयीन समय में संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से प्रदाय किया जायेगा। मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लिए आवेदन पत्र, एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों की संख्या के अनुरूप, उपरोक्तानुसार समेकित मूल्य के अग्रिम भुगतान पर प्रदाय किये जायेंगे। **आवेदन पत्रों का वितरण जिला मुख्यालय पर स्थित स्टेट बैंक आफ इण्डिया की सहमति से, उनकी शाखा से जो शासकीय लेन देन का संव्यवहार करती हो, से भी किया जा सकेगा। किसी भी जिले से विक्रय किया गया लॉटरी आवेदन पत्र अन्य किसी भी जिले में उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में दुकान/एकल समूह के लिए लॉटरी आवेदन पत्र तभी मान्य किया जायेगा, जब उसकी कीमत संबंधित दुकान/एकल समूह में सम्मिलित दुकानों की संख्या के मान से लॉटरी आवेदनपत्र की निर्धारित कीमत से कम न हो।**

आवेदकों की भागीदारी को बढ़ाये जाने के उद्देश्य से, लॉटरी आवेदन पत्र क्रय करने हेतु नियत अंतिम तिथि दिनांक 08 फरवरी 2017 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक लॉटरी आवेदन पत्र संबंधित जिला आबकारी कार्यालय से अपरिहार्य स्थिति में तात्कालिक भागीदारी के दृष्टिकोण से <u>नगद राशि जमा</u> करके भी प्राप्त किये जा सकेंगे।

2. **आवेदकों को लॉटरी आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित जानकारी/अभिलेख भी प्रस्तुत करने होंगे :—**

(क) **विभाग द्वारा निर्गत निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र।**

(ख) **संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह की कण्डिका क्रमांक—12 में उल्लेखित देय धरोहर राशि की 50 प्रतिशत राशि का संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा पर देय, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक अथवा बैंक कैश आर्डर,।**

(ग) **नोटराइज्ड शपथ पत्र कण्डिका क्रमांक—21.2 में उल्लेखित प्रारूप में संलग्न प्रस्तुत करेगा, जिसमें यह घोषणा होगी कि—**

(1) **आवेदक वर्ष 2017—18 की देय वार्षिक लायसेंस फीस/निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि यथासमय जमा करेगा।**

(2) यदि आवेदक <u>कण्डिका क्रमांक—12</u> में उल्लेखित धरोहर राशि की <u>शेष 50 प्रतिशत राशि निष्पादन की तिथि से तीन दिवस के अंदर जमा</u> नहीं <u>करता</u> है तो <u>उसके द्वारा वर्ष 2017—18 के लिए जमा धरोहर राशि एवं अन्य कोई जमा राशि राजसात कर ली जाए। इसमें उसे कोई आपत्ति नहीं होगी</u> एवं उक्त मदिरा दुकान/एकल समूह पर उसका किसी भी प्रकार का कोई अधिकार शेष नहीं रहेगा।

(3) यदि जिले में नवीनीकरण आवेदन पत्र एवं लॉटरी आवेदन पत्र प्राप्त कर लेने के

पश्चात् यह परिलक्षित होता है कि उस जिले के वर्ष 2017–18 हेतु निर्धारित आरक्षित मूल्य के 70 प्रतिशत से कम मूल्य की मदिरा दुकानों/एकल समूहों पर ही नवीनीकरण/लॉटरी आवेदन पत्र प्राप्त हुये है तब नवीनीकरण/ लॉटरी आवेदन पत्र प्राप्त कर निष्पादन की कार्यवाही के स्थान पर उस जिले की समस्त मदिरा दुकानों/ एकल समूहों का निष्पादन ई–टेण्डर आंमंत्रित कर किये जाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(4) आवेदनकर्ता को शपथ पत्र में अपना मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल एड्रेस भी अनिवार्यतः उल्लेखित करना होगा। जिससे आवश्यकता की स्थिति में संबंधित से सम्पर्क किया जा सके अथवा किसी भी सूचना/कारण बताओ सूचना पत्र आदि का निर्वहन ई–मेल के माध्यम से किया जा सके।

(घ) कंडिका क्रमांक 17 (ख) में उल्लेखित अभिलेख।

17 (ख) लॉटरी आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया।

1. एक आवेदक, एक मदिरा दुकान/एकल समूह के लिए एक ही लॉटरी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा, परंतु एक आवेदक कई मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लिए अलग–अलग लॉटरी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा।

2. लॉटरी आवेदनकर्ता द्वारा किसी भी मदिरा दुकान/एकल समूह के लिए प्रस्तुत किये गये अपने लॉटरी आवेदन पत्र के साथ, अपनी पहचान एवं निवास स्थान के पते के सत्यापन हेतु निम्नांकित कंडिका क्रमांक 22.1 एवं 22.2 में उल्लेखित दस्तावेजों में से कोई, एक–एक दस्तावेज की स्वप्रमाणित छाया प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

3. लॉटरी आवेदक भागीदार फर्म होने की दशा में फर्म के पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ–साथ पार्टनरशिप–डीड एवं रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसायटी द्वारा जारी फर्म के रजिस्टर की नकल (एक्स्ट्रेक्ट) अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगा। यदि लॉटरी आवेदक कंपनी की ओर से आवेदन देना चाहता है, तो लॉटरी आवेदन पत्र देने के पूर्व उसे संबंधित कंपनी का निगमन प्रमाण पत्र अथवा उसकी विधिवत अभिप्रमाणित प्रतिलिपि, कंपनी का मेमोरेण्डम एण्ड आर्टीकल्स ऑफ एसोसिएशन की मूल या प्रमाणित प्रतिलिपि तथा कंपनी के संचालक मण्डल की ओर से इस आशय का **resolution** के साथ आवेदक के पक्ष में निष्पादित/जारी अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. विभाग द्वारा इस हेतु मुद्रित कराये गये एवं जारी किए गए लॉटरी आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे। लॉटरी आवेदन पत्र प्रदाय करते समय, उपयोग करने वाले आवेदक का नाम व पता आवेदन पत्र के भाग–दो पर तथा लॉटरी आवेदन पत्र के प्रतिपर्ण भाग–एक पर अंकित किया जायेगा। यदि लॉटरी आवेदन पत्र अन्य आवेदक के नाम से प्रस्तुत किया जायेगा, तो उसे अमान्य कर दिया जायेगा। लॉटरी आवेदन पत्र के प्रतिपर्ण एवं लॉटरी आवेदन पत्र के मध्य परफोरेशन बिन्दुओं पर दाहिनी ओर बने ब्लॉक में सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी अथवा लॉटरी आवेदन पत्र निर्गत करने हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा, इस प्रकार सील लगाकर हस्ताक्षर किये जायेंगे, जिससे प्रतिपर्ण व लॉटरी आवेदन पत्र, दोनों पर आंशिक रूप से सील व हस्ताक्षर अंकित हो जाये। लॉटरी आवेदन पत्र के भाग–तीन जिस पर लॉटरी आवेदक का नाम एवं मदिरा दुकान/एकल समूह जिसके लिए उसने आवेदन किया है, का विवरण अंकित होगा, का उपयोग लॉटरी निकालने में किया जायेगा।

5. लॉटरी आवेदन पत्र निर्गत करने के साथ ही निर्गतकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदक को मदिरा दुकान/एकल समूहवार आरक्षित मूल्य, वार्षिक लायसेंस फीस, निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि तथा लॉटरी आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि आदि का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

6. प्रत्येक लॉटरी आवेदन पत्र का एक सरल क्रमांक होगा। लॉटरी आवेदक निर्धारित तिथि एवं समय तक अपना आवेदन, संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। ऐसे लॉटरी आवेदन पत्र यदि समस्त औपचारिकताओं से पूर्ण है, तो कण्डिका क्रमांक 2 उपकंडिका 2.4 में वर्णित दिनांकों में आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर स्थित कार्यालय अथवा संबंधित उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता के कार्यालय में भी प्रस्तुत किये जा सकेंगे। अपूर्ण लॉटरी आवेदन पत्र इन कार्यालयों में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। प्रत्येक लॉटरी आवेदक को इस आवेदन पत्र में अपने संबंध में आवश्यक जानकारी देना होगी। लॉटरी आवेदन पत्र में प्रमाणित फोटोग्राफ, स्वयं की पहचान सुनिश्चित करने एवं निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण हेतु वांछित दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करते हुए, नियमों को पालन करने की सहमति (कंडिका क्रमांक 20.1 अनुसार), भागीदारी फर्म होने की दशा में उसका पंजीयन, इत्यादि तथा आयकर स्थायी लेखा क्रमांक (PAN), बैंक खाता क्रमांक तथा प्रस्तुत की जा रही जानकारी के संबंध में नोटराइज्ड शपथ पत्र (कंडिका क्रमांक 21.2 अनुसार), देना होगा। लॉटरी आवेदन पत्र में वांछित जानकारी तथा उसके संलग्न अभिलेखों के साथ-साथ लॉटरी आवेदक के द्वारा निर्धारित धरोहर राशि की 50 प्रतिशत की राशि/लॉटरी आवेदन पत्र के साथ संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा में देय बैंक ड्राफ्ट /बैंकर्स चैक/बैंक कैश ऑर्डर के रूप में जमा करानी होगी। लॉटरी आवेदन पत्र जमा किये जाते समय सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा लॉटरी आवेदन पत्रों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पहले लॉटरी आवेदन पत्रों की जांच कर यह सुनिश्चित किया जावेगा कि लॉटरी आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरे गये हैं एवं इसके साथ आवश्यक संलग्नक (निर्धारित राशि के ड्राफ्ट, शपथ पत्र, आदि) तथा लॉटरी स्लिप लगे हुए हैं। लॉटरी आवेदन पत्र के परीक्षण पर तथा सही पाये जाने पर प्राधिकृत अधिकारी आवेदक को आवेदन पत्र में संलग्न पावती भाग-चार पर हस्ताक्षर कर सौंपेगा। यदि लॉटरी आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण रूप से भरा पाया जाता है तो, प्राधिकृत अधिकारी उसकी पूर्ति/सुधार तत्काल ही करा लेगा तथा/यदि कोई आवश्यक अभिलेख संलग्न नहीं है तो इस आशय की सूचना लिखित में लॉटरी आवेदक को देगा कि कौन से संलग्नक कम है और उसे लॉटरी आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक का समय इस कमी को पूरा करने के लिए देगा। ऐसे लॉटरी आवेदन पत्रों की कमियों/संलग्नकों की पूर्ति हो जाने के उपरांत ही उपरोक्तानुसार रसीद दी जायेगी। यह रसीद ही लॉटरी के आयोजन स्थल पर प्रवेश हेतु गेटपास के रूप में प्रयुक्त की जा सकेगी। यदि अंतिम दिनांक को निर्धारित समय तक कमियां पूर्ण नहीं की जाती हैं तो, लॉटरी आवेदन पत्र निरस्त हो जावेगा और जमा धनराशि कलेक्टर द्वारा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर राजसात की जा सकेगी। निर्धारित समयावधि पूर्ण होने के पश्चात्, प्रस्तुत किये गये अथवा किये जाने वाले लॉटरी आवेदन पत्र या कमियों की पूर्ति स्वीकार नहीं की जावेगी। इस संबंध में किसी विवाद की स्थिति निर्मित होने पर उसका निराकरण जिला समिति करेगी तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।

7. जिन मदिरा दुकान/एकल समूह हेतु लॉटरी आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तथा समय तक, केवल एक लॉटरी आवेदन पत्र ही प्राप्त होता है, उन्हें आवेदक के पक्ष में निष्पादित किये जाने हेतु, जिला समिति द्वारा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

17 (ग) मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन हेतु सार्वजनिक लॉटरी की प्रक्रियाः—

1. जिन मदिरा दुकान/एकल समूह हेतु एक से अधिक लॉटरी आवेदन पत्र प्राप्त होंगे, उनके लिए सार्वजनिक लॉटरी घोषित कार्यक्रम अनुसार निकाली जायेगी। लॉटरी हेतु प्राप्त सभी लॉटरी आवेदन पत्रों की, दुकान/एकल समूहवार सूचियां "संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह क्रमांक, आरक्षित मूल्य, प्राप्त लॉटरी आवेदन पत्रों की कुल संख्या एवं लॉटरी आवेदकों के नाम आदि की जानकारी निष्पादन स्थल के नोटिस बोर्ड पर लॉटरी के दिनांक को प्रदर्शित की जायेगी। सभी लॉटरी आवेदक इन सूचियों को देखकर यह पुष्टि कर सकते हैं कि आवेदित मदिरा दुकान/एकल समूह के आवेदकों की सूची में उनका नाम सम्मिलित है। सभी लॉटरी आवेदकों को लॉटरी हॉल में आने का अवसर दिया जायेगा। लॉटरी निकाले जाने संबंधी कार्यवाही सभागार/पण्डाल में इस प्रकार संपादित की जायेगी कि पण्डाल में उपस्थित सभी व्यक्ति लॉटरी की कार्यवाही को भली—भांति देख सके। जिससे लॉटरी की कार्यवाही में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे। लॉटरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जायेगी।

2. मदिरा दुकान/एकल समूह की लॉटरी निकालने का कार्य आरक्षित मूल्य के अवरोही क्रम **(Descending order)** में किया जायेगा।

3. मदिरा की दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन हेतु लॉटरी संबंधी समस्त कार्य कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा किया जायेगा। सार्वजनिक लॉटरी की समस्त कार्यवाही इस समिति के सदस्यों की उपस्थिति व देखरेख में की जावेगी। मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन हेतु लॉटरी संबंधी समस्त कार्य, आबकारी आयुक्त के सामान्य पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

4. जिस मदिरा दुकान/एकल समूह हेतु लॉटरी निकाली जाना है, उसके लिए लॉटरी आवेदन पत्रों की तैयार की गई सूची अनुसार, प्राप्त कुल लॉटरी पर्चियों को सार्वजनिक रूप से दिखा कर तथा उन्हें सार्वजनिक रूप से माइक पर उदघोषित भी किया जाकर, विधिवत मोड़कर, लॉटरी के लिए निर्धारित किये गये पारदर्शी पात्र में इस प्रकार डाल दिया जायेगा, ताकि सभी लॉटरी आवेदक आश्वस्त हो सकें कि उनकी पर्ची पात्र में पड़ चुकी है और पात्र में पहले से कोई पर्ची नहीं थी। पात्र का साईज पर्चियों की संख्या के अनुरूप पर्याप्त बड़ा होना चाहिए। ताकि उसमें डाली गई पर्चियों को हिला डुला कर विधिवत मिश्रित किया जा सके। इस कार्यवाही के लिए ऐसे पात्र का उपयोग किया जायेगा, जो लॉटरी के पर्चियां डाले जाने के बाद कम से कम आधा खाली रहे।

5. कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी, सभी लॉटरी आवेदकों की पर्ची को पात्र में डालकर उसे पहले भली प्रकार से हिला लेंगे, तत्पश्चात् किसी एक उपस्थित आवेदक से एक पर्ची निकलवा लेंगे। जिस आवेदक की पर्ची निकालेंगे, उसे सार्वजनिक रूप से दिखाये जाने के पश्चात् आवेदनकर्ता के नाम मदिरा दुकान/ एकल समूह आवंटित किया जायेगा। पहले चयनित लॉटरी आवेदक के नाम की घोषणा के बाद, इसी मदिरा दुकान/एकल समूह के लिए एक अन्य पर्ची भी निकाली जायेगी जो कि दूसरे आवेदक के नाम का चयन करेगी।

6. लॉटरी में चयनित दोनों आवेदकों की लॉटरी की प्रथम एवं द्वितीय पर्ची को समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर के उपरांत, जी—1 पंजी में, मदिरा दुकान/एकल समूह के नाम के समक्ष, चस्पा कर दिया जायेगा एवं पंजी पर चयनित आवेदक के यथा संभव हस्ताक्षर भी कराये जायेंगे।

7. जिस आवेदक को मदिरा दुकान/एकल समूह आवंटित किया जायेगा। उसे शेष 50 प्रतिशत धरोहर राशि निष्पादन की तिथि से तीन दिवस के अंदर संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा में देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश ऑर्डर के रूप में अथवा साईबर ट्रेजरी में ऑन लाईन जमा करानी होगी। उसे मौके पर ही इस आशय का एक

पत्र जारी किया जायेगा कि, अमुक मदिरा दुकान/एकल समूह की लॉटरी उसके नाम से निकली है। निर्धारित समयावधि में अवशेष धरोहर राशि जमा न करने की स्थिति में, इस आवंटन को निरस्त मान्य किया जाकर उसके द्वारा जमा समस्त राशि राजसात कर ली जायेगी एवं दूसरे चयनित आवेदक को घोषित अनुसार निर्धारित अवधि में अवशेष धरोहर राशि जमा करने हेतु अवसर दिया जायेगा।

8. असफल लॉटरी आवेदकों को धरोहर राशि नियमानुसार वापस की जायेगी।

9. जो मदिरा दुकानें/एकल समूह, नवीनीकरण/लॉटरी आवेदन पत्रों के अभाव में निष्पादन की प्रक्रिया से शेष रह जायेंगे, अथवा नवीनीकरण/लॉटरी द्वारा चयनित आवेदकों के द्वारा निर्धारित औपचारिकताओं की पूर्ति नहीं की जायेगी, उनके ई–टेण्डर द्वारा निष्पादन की कार्यवाही की जानकारी संबंधित जिला कलेक्टर, सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर, म0प्र0 राज्य इलेक्ट्रोनिक विकास निगम के पोर्टल **(www.mpeproc.gov.in)** पर तथा स्थानीय समाचार पत्रों में भी यथासंभव प्रकाशित करायी जायेगी।

18. <u>ई–टेण्डर द्वारा मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन की शर्तें।</u>

18.1 वर्ष 2017–18 के लिए नवीनीकरण/लॉटरी आवेदन पत्र के माध्यम से निष्पादन के अभाव में अथवा नवीनीकरण/लॉटरी आवेदन पत्र के माध्यम से निष्पादन की कार्यवाही उपरान्त निष्पादन से शेष रही देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों/एकल समूहों का कण्डिका क्रमांक 2 उपकंडिका 2.4 में दर्शाए गये कार्यक्रम (टाइम टेबल) अनुसार संबंधित जिले के नाम के समक्ष अंकित (कंडिका 63 में दर्शाये गये) निष्पादन स्थल पर ई–टेण्डर द्वारा प्रस्तुत ऑफर के आधार पर निष्पादन किया जायेगा।

18.2 ई–टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकानों/एकल समूहों की सूची, उनका स्थान, उनका आरक्षित मूल्य, जमा की जाने वाली धरोहर राशि, देशी एवं विदेशी मदिरा की खपत (सेलपेपर) एवं ड्यूटी की दर, ई–टेण्डर प्रपत्र क्रय करने, भरने तथा जमा करने की प्रक्रिया आदि की जानकारी मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिक विकास निगम के पोर्टल **(www.mpeproc.gov.in)** पर उपलब्ध रहेगी। इच्छुक टेण्ड़रदाता उक्त पोर्टल से ही ई–टेंडर फार्म डाउनलोड तथा भरा हुआ फार्म संलग्नकों सहित अपलोड कर सकेगे।

कोई भी सामान्य व्यक्ति **www.mpeproc.gov.in** के होमपेज पर लाईव टेंडर के आप्शन के अंतर्गत आबकारी विभाग का चयन कर एडवांस सर्च के माध्यम से वांछित जिले की मदिरा दुकानों/एकल समूहों की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

ई–टेंडर के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकानें/एकल समूहों के संबंध में आवश्यक जानकारी तथा प्रभावशील शर्तें एवं नियम संबंधी जानकारी जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है। जिला आबकारी कार्यालय से पोर्टल पर निविदा भरने की प्रक्रिया की जानकारी भी दी जा सकेगी।

18.3 वर्ष 2017–18 के लिये राज्य के जिन जिलों में मदिरा की दुकानों/एकल समूहों के लायसेंसों का निष्पादन ई–टेण्डर द्वारा किया जायेगा, यथासंभव राज्य स्तर पर प्रमुख समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन कराया जाएगा। संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा यथासंभव स्थानीय समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन समाचार के रूप में भी कराया जाएगा।

18.4 जिले की मदिरा दुकानों/एकल समूहों के ई–टेंडर द्वारा निष्पादन के लिये निर्धारित प्रत्येक मदिरा दुकान/एकल समूह पृथक–पृथक निविदा के रुप में पोर्टल **(www.mpeproc.gov.in)** पर प्रदर्शित होंगे। प्रत्येक मदिरा दुकान/एकल समूह में भागीदारी के लिये पृथक–पृथक निविदा (ऑफर) प्रस्तुत करना होगी।

18.5 ई–टेण्डर की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/टेण्डरदाता यदि पूर्व से उक्त पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है तो उसे उक्त पोर्टल के होमपेज पर न्यू यूजर प्रोफाईल क्रिएशन में जाकर यूजर आई.डी. क्रिएट करनी होगी। इस हेतु इच्छुक व्यक्ति के मोबाइल नम्बर, आयकर स्थाई खाता कमांक, ई–मेल आई.डी., एड्रेस प्रूफ एवं व्यक्तिगत पहचान पत्र की स्कैण्ड कापी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

18.6 मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिक विकास निगम के पोर्टल (www.mpeproc.gov.in) पर रजिस्ट्रेशन की प्रथम वार्षिक फीस रुपये 500 +देय सर्विस टैक्स ऑन लाईन भुगतान करना होगा। इसके पश्चात रुपये 100 + देय सर्विस टैक्स के भुगतान पर प्रतिवर्ष रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कराया जा सकता है। न्यू यूजर प्रोफाईल क्रिएट होने के बाद संबंधित व्यक्ति को ई–मेल आई.डी. एवं मोबाईल पर मेसेज के द्वारा लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होगा।

18.7 टेण्डरदाता को किसी भी मदिरा दुकान/एकल समूह के लिए प्रस्तुत किये गये अपने ई–टेण्डर के साथ, निम्नानुसार अभिलेखों की स्कैण्ड कॉपी ई–टेंडर के साथ आवश्यक रुप से अपलोड करनी होगी :–

1. कंडिका क्रमांक–20.2 में उल्लेखित सहमति करार, जिसपर टेंडरदाता का नाम व उस मदिरा दुकान/एकल समूह का नाम स्पष्ट रुप से अंकित हो।
2. कंडिका क्रमांक–21.3 में उल्लेखित प्रारुप में नोटराइज्ड शपथ पत्र ।
3. कंडिका क्रमांक–22.1 एवं 22.2 में उल्लेखित अपनी स्वयं की पहचान एवं निवास स्थान के पते के सत्यापन हेतु दस्तावेजों में से किसी एक–एक दस्तावेज, जो, राष्ट्रीयकृत/ अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा आयकर अधिकारी अथवा केन्द्रीय/राज्य शासन के राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये गये हो, को "मेरे द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया गया है" अंकित कर, स्वयं के दिनांकित हस्ताक्षर किये गये हों ।
4. टेंडरदाता द्वारा वर्तमान धारित बचत/चालू बैंक खाते का कैंसिल शब्द अंकित चैक।
5. धरोहर राशि जमा करने के ऑफ लाईन विकल्प चुनने पर कंडिका क्रमांक 18.15 में उल्लेखित बैंकिंग इन्स्ट्रूमेंट।

18.8 टेण्डरदाता भागीदार फर्म होने की दशा में फर्म के पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ–साथ पार्टनरशिप–डीड एवं रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसायटी द्वारा जारी फर्म के रजिस्टर की नकल (एब्स्ट्रैक्ट), भागीदारी फर्म के समस्त भागीदारों द्वारा ई–टेंडर प्रस्तुत करने हेतु प्रदत्त अधिकार पत्र अनिवार्यतः अपलोड करेगा। यदि टेण्डरदाता कंपनी की ओर से ई–टेण्डर देना चाहता है, तो ई–टेण्डर देने के पूर्व उसे संबंधित कंपनी का निगमन प्रमाण पत्र अथवा उसकी विधिवत अभिप्रमाणित प्रतिलिपि, कंपनी के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की मूल या प्रमाणित प्रतिलिपि, कंपनी के संचालक मण्डल की सूची तथा संचालक मण्डल की ओर से आवेदक (टेण्डरदाता) के पक्ष में निष्पादित/जारी अधिकार पत्र भी उक्त आशय के **Resolution** के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। केवल आयकर स्थायी लेखा क्रमांक **(PAN)** तथा वर्तमान में धारित बैंक खाते का क्रमांक शपथ पत्र पर उल्लेख करना पर्याप्त नहीं होगा। फर्म/कम्पनी की स्थिति में फर्म/ कम्पनी के आयकर स्थायी लेखा क्रमांक **(PAN)** के अतिरिक्त अधिकारग्रहिता भागीदार/संचालक का स्वयं का आयकर स्थायी लेखा क्रमांक **(PAN)** भी प्रस्तुत करना होगा।

18.9 किसी देशी अथवा विदेशी मदिरा की एकल दुकान/एकल समूह के लिए एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी एक ही ई–टेण्डर प्रस्तुत कर सकेगे। परंतु एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी एक से अधिक अथवा सभी मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लिए अलग–अलग ई–टेण्डर प्रस्तुत कर सकेंगे।

18.10 पंजीयन पश्चात टेण्डरदाता को यूजर आई.डी. पासवर्ड के साथ ही पोर्टल पर डिजिटल लाईब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें वह निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक अभिलेखों की स्कैण्ड/डिजिटल कापी सेव करके रख सकता है, जो आवश्यकतानुसार कहीं भी अपलोड की जा सकती है।

18.11 टेण्डर की प्रारंभिक जानकारी देखने के बाद यदि टेण्डरदाता इच्छुक है, तो समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों की संख्या के मान से प्रदर्शित टेण्डर डाक्यूमेन्ट की फीस एवं स्क्रीन पर मदिरा दुकान/एकल समूह के मूल्य अनुसार प्रदर्शित पोर्टल प्रोसेसिंग फीस (जो न्यूनतम रूपये 250 से अधिकतम रूपये 1300 + देय सर्विस टैक्स तक हो सकती है) का पोर्टल पर ऑनलाईन पेमेन्ट क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेटबैकिंग से करने के बाद टेण्डर डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकता है। भुगतान उपरांत इस प्रकिया का **Transaction Acknowledgement** जनरेट होता है, जो आवश्यकतानुसार डाउनलोड कर प्रिन्ट किया जा सकता है।

18.12 टेण्डरदाता अर्नेस्टमनी की राशि (धरोहर राशि का 50 प्रतिशत) के भुगतान हेतु ऑन लाईन अथवा ऑफ लाईन विकल्पों में से किसी एक विकल्प का ही चयन कर सकता है।

18.13 यदि टेण्डरदाता ऑन लाईन अर्नेस्टमनी की राशि (धरोहर राशि का 50 प्रतिशत) के भुगतान का विकल्प चुनता है तो, उक्त पोर्टल पर **E-Payment** के ही अंतर्गत क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, **Net Banking** एवं **NEFT** के माध्यम से भुगतान कर सकता है। इस भुगतान के उपरांत जनरेटेड चालान का प्रिन्ट टेण्डरदाता आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें।

नोट :– जब टेंडरदाता द्वारा ऑन लाईन अर्नेस्टमनी (धरोहर राशि का 50 प्रतिशत) का भुगतान **NEFT/RTGS** के माध्यम से किया जाये तो उसे यह भुगतान टेंडर सबमिट करने की निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय से न्यूनतम 48 घण्टे पूर्व कर लेना चाहिए ताकि उक्त राशि पोर्टल के संबंधित खाते में यथासमय अंतरित हो सके क्योंकि जमा राशि के पोर्टल के खाते में अंतरण के अभाव में टेंडरदाता अपना टेंडर सबमिट नहीं कर सकेगा। किसी तकनीकी त्रुटि अथवा अन्य कारण से अर्नेष्टमनी की राशि जमा/अपलोड न होने पर विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

18.14 पंजीकृत टेंडरदाताओं को संबंधित पोर्टल पर ई–वॉलेट की सुविधा भी उपलब्ध है। उक्त वॉलेट में टेंडरदाता द्वारा अग्रिम रुप से वांछित धनराशि जमा करके रखी जा सकती है। जिसके द्वारा टेंडरदाता अर्नेस्टमनी (धरोहर राशि का 50 प्रतिशत) का भुगतान तुरंत ही कर सकता है।

18.15 यदि टेंडरदाता द्वारा अर्नेस्टमनी (धरोहर राशि का 50 प्रतिशत) की राशि ऑफ लाईन भुगतान के विकल्प का चयन किया जाता है तो उक्त धरोहर राशि के बैकिंग इन्स्ट्रूमेंट संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा में देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश ऑर्डर की स्कैण्ड कॉपी अनिवार्यतः अपलोड करनी होगी।

18.16 टेंडरदाता द्वारा अर्नेस्टमनी की राशि (धरोहर राशि का 50 प्रतिशत) ऑफ लाईन जमा करने की स्थिति में अर्नेस्टमनी की राशि (धरोहर राशि का 50 प्रतिशत) का बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट (यथा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा में देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश ऑर्डर) टेण्डर खोलने की तिथि एवं समय के पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में संबंधित टेंडर का ऑफर नहीं खोला जायेगा तथा इसे निरस्त मान्य किया जायेगा।

18.17 टेण्डरदाता द्वारा ऑफलाईन अर्नेस्टमनी की राशि (धरोहर राशि का 50 प्रतिशत) जमा करने की स्थिति में असफल टेण्डरदाता की अर्नेस्टमनी की राशि (धरोहर राशि का 50 प्रतिशत)यथासंभव उसी दिवस प्रकिया समाप्ति के उपरांत वापिस कर दी जाएगी। ऑनलाईन जमा अर्नेस्टमनी की राशि (धरोहर राशि का 50 प्रतिशत) असफल टेण्डरदाता के बैंक खाते में वापस प्राप्त होगी, जिसमें प्रक्रियात्मक समय (लगभग 3–4 बैंकिंग कार्य दिवस का समय) लग सकता है।

18.18 यदि कोई टेण्डरदाता ई–टेण्डरिंग की प्रक्रिया में सम्पूर्ण औपचारिकताओं की पूर्ति कर टेण्डर ऑफर सबमिट कर देता है और वह टेण्डर, ऑफर में परिवर्तन करना चाहे तो टेण्डर सबमिट करने की निर्धारित तिथि एवं समय के पूर्व वह टेंडर ऑफर में वांछित परिवर्तन कर सकता है।

18.19 टेंडर सबमिट करने के बाद टेंडरदाता को एक **Acknowledgement of Tender Submission** प्राप्त होगा जिसका प्रिंट आउट लिया जा सकता है। उक्त **Acknowledgement of Tender Submission** का प्रिंट आउट संबंधित टेंडरदाता के निष्पादन स्थल पर उपस्थित होने हेतु प्रवेश पत्र के रुप में मान्य होगा। अतः यह प्रिंट आउट आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जाये।

18.20 किसी भी मदिरा दुकान/एकल समूह के टेंडर के फायनेंशियल ऑफर को खोलने की कार्यवाही के उपरांत कोई भी टेंडरदाता जिसने उस मदिरा दुकान/एकल समूह हेतु टेंडर प्रस्तुत किया है, **www.mpeproc.gov.in** पोर्टल पर जाकर उस मदिरा दुकान/एकल समूह हेतु प्राप्त समस्त ऑफर की जानकारी ऑन लाईन अवलोकन कर सकता है।

18.21 **www.mpeproc.gov.in** पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए टेण्डरदाता के डिजिटल सिग्नेचर **[P.K.I.]** आवश्यक नहीं है, किन्तु कोई ऑफर या बिड प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हैं।

18.22 ई–टेण्डर प्रक्रिया हेतु पोर्टल में पंजीयन करने, भुगतान प्रक्रिया तथा ई–टेण्डर प्रक्रिया का प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल के हेल्प डेस्क, टोल फ्री नम्बर 18002588684 पर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में सम्पर्क कर सकते है। साथ ही ई–मेल आई.डी. **eproc_helpdesk@mpsedc.com** पर अपनी पृच्छा कर सकते हैं।

18.23 **www.mpeproc.gov.in** पोर्टल से **"e-Procurement Help Manual for Contractors"** डाउनलोड किया जा सकता है।

18.24 प्रत्येक मदिरा दुकान/एकल समूह के लिए प्राप्त समस्त ई–टेण्डरों की संख्या की घोषणा निष्पादन स्थल पर की जायेगी। सभी टेण्डरदाता इस कार्यवाही के दौरान अपलोड किये गये ई–टेण्डर के प्रमाण (कंडिका क्रमांक 18.19 में उल्लेखित) के साथ उपस्थित रह सकते है। परंतु टेण्डरदाता की अनुपस्थिति निष्पादन की कार्यवाही में बाधक नहीं होगी।

18.25 ई–टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली सभी मदिरा दुकानों/एकल समूहों के घोषित आरक्षित मूल्य के अवरोही क्रम में, मदिरा दुकानवार/एकल समूहवार प्रस्तुत ई–टेण्डरों के

ऑफर खोले जाने के पूर्व टेण्डरदाता के ई–टेण्डर में भाग लेने की पात्रता की जांच की जाएगी। साथ ही टेण्डरदाता द्वारा संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह की देय धरोहर राशि की विधिवत संतुष्टि होने एवं जांच में समस्त अभिलेख पूर्ण होने एवं समाधानकारक पाए जाने के उपरांत ही, जिला समिति द्वारा ई–टेण्डर का ऑफर, (फाईनेन्शियल बिड) खोला जाएगा। अगर किसी प्रक्रियात्मक/तकनीकी त्रुटि के कारण अपात्र टेंडरदाता का निविदा ऑफर खुल जाता है, तो ऐसा ऑफर निष्पादन की कार्यवाही के लिये विचार में नहीं लिया जायेगा।

18.26 सभी टेंडरदाताओं { ऑफ लाईन एवं ऑन लाईन अर्नेस्टमनी की राशि (धरोहर राशि का 50 प्रतिशत) का भुगतान करने वाले } को टेंडर के साथ अपलोड किये गये अनिवार्य अभिलेखों की मूल प्रतियां संबंधित जिला आबकारी कार्यालय में, टेंडर खोले जाने की तिथि से 03 कार्यालयीन दिवसों में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

18.27 ई–टेण्डर के अभिलेखों में धरोहर राशि के नियमानुसार जमा पाये जाने पर, अभिलेखों में सामान्य त्रुटियों के आधार पर, अथवा अपलोडेड अभिलेखों के पूर्ण पठनीय न होने पर अथवा अपलोड होने से शेष रह जाने पर, प्राप्त ऑफर (फाईनेन्शियल बिड) को अमान्य नहीं किया जायेगा, लेकिन सफल टेंडरदाता को निष्पादन तिथि से 03 दिवस की अवधि में अपलोड किये गये वांछित अभिलेख मूल रुप से संबंधित जिला आबकारी कार्यालय में अनिवार्य रुप से प्रस्तुत करना होंगे। इस तरह की सामान्य प्रकार की त्रुटि के संबंध में शंका–समाधान के लिए, संबंधित कलेक्टर, आबकारी आयुक्त से निर्देश प्राप्त कर सकेंगे। इस संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा दिया गया निर्देश अंतिम माना जावेगा।

18.28 ई–टेण्डर के माध्यम से प्राप्त ऑफर का अवरोही क्रम **(Descending Order)** में प्रत्येक ई–टेण्डर के अनुरूप विवरण तैयार किया जावेगा। प्राप्त उच्चतम ऑफर संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह के निर्धारित आरक्षित मूल्य या उससे अधिक राशि का होने पर, उसे जिला समिति स्वीकार कर लेगी।

18.29 निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम राशि का ऑफर प्राप्त होने पर, मदिरा दुकानवार /एकल समूहवार प्राप्त ई–टेण्डरों का तुलनात्मक पत्रक तैयार कर, इसकी सूचना तत्काल जिला समिति द्वारा आबकारी आयुक्त को दी जाएगी। घोषित आरक्षित मूल्य की तुलना में ई–टेण्डर के ऑफर की राशि कम होने की दशा में, जिला समिति से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा आवश्यक निर्णय लिया जायेगा। जिसकी सूचना आबकारी आयुक्त द्वारा संबंधित जिले के कलेक्टर को दी जायेगी। आबकारी आयुक्त द्वारा ऑफर स्वीकार किए जाने के निर्देश दिए जाने पर, कलेक्टर ई–टेण्डर की स्वीकृति की जानकारी देंगे। नियत समय पर आबकारी आयुक्त से निर्देश प्राप्त नहीं हो सकने की स्थिति में, निष्पादन की यह कार्यवाही उसी स्टेटस पर आगामी दिवस के लिए स्थगित रहेगी। इसके विपरीत ऑफर स्वीकृत नहीं किये जाने के निर्देश की स्थिति में, ई–टेण्डर द्वारा निष्पादन के चरण से शेष बची मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन आबकारी आयुक्त, द्वारा घोषित/निर्धारित दिनांक को पुनः ई–टेण्डर/टेंडर आमंत्रित कर, किया जाएगा। ऐसे टेंडरों का निराकरण भी उपरोक्त प्रावधान अथवा शासन द्वारा निर्दिष्ट व्यवस्था से होगा।

18.30 ई–टेण्डर के माध्यम से किसी मदिरा दुकान/एकल समूह के लिए समान उच्चतम राशि का एक से अधिक ऑफर प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में उच्चतम ऑफरदाताओं के मध्य सफल टेण्डरदाता का चयन लॉटरी द्वारा किया जायेगा।

18.31 किसी भी जिले में किसी मदिरा दुकान/एकल समूह के लिए, निर्धारित आरक्षित मूल्य के विरूद्ध प्राप्त एकल ई–टेण्डर को भी जिला समिति द्वारा विचार में लिया जायेगा। जिला समिति द्वारा उसे इस आधार पर कि वह एकल ई–टेण्डर है, विचार में नहीं लिये जाने का निर्णय नहीं लिया जायेगा।

18.32 **टेण्डरदाता द्वारा कण्डिका क्रमांक–21.2 में वर्णित प्रारूप में प्रस्तुत किये जाने वाले नोटराईज्ड शपथ पत्र में यह अंकित किया जायेगा कि "टेण्डरदाता को यह ज्ञात है कि उसे स्वीकृत मदिरा दुकान के लिए, जिला समिति द्वारा घोषित निर्धारित क्षेत्र (Location) में आपत्तिरहित स्थल खोज कर, दुकान स्थापित व संचालित करने का दायित्व, उसका स्वयं का है।"**

18.33 **उच्चतम टेण्डरदाता यदि ई–टेण्डर की पुष्टि तक, ई–टेण्डर में अंकित ऑफर पर स्थिर नहीं रहेगा अथवा ई–टेण्डर वापिस लेगा या अन्य किसी प्रकार से शर्तो का उल्लंघन करेगा, तो उस मदिरा दुकान/एकल समूह को, ई–टेण्डर द्वारा पुनः निष्पादित करने पर, जो खिसारा आएगा अर्थात् शासन को जो हानि होगी, वह उच्चतम् टेण्डरदाता से भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी समय ई–टेण्डर की शर्तो के उल्लंघन पर टेण्डरदाता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि, उसको सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् राजसात की जा सकेगी। टेण्डरदाता द्वारा किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बैंक गारंटी/सावधि जमा के रूप में अथवा बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश आर्डर द्वारा जमा की गई अन्य कोई राशि भी खिसारे की वसूली के पेटे समायोजित की जायेगी।**

18.34 **टेण्डरदाता को शपथ पत्र में अपना मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल एड्रेस भी अनिवार्यतः उल्लेखित करना होगा। जिससे आवश्यकता की स्थिति में संबंधित से सम्पर्क किया जा सके अथवा किसी भी सूचना/कारण बताओ सूचना पत्र आदि का निर्वहन ई–मेल के माध्यम से किया जा सके।**

19. **<u>व्यक्ति जो लॉटरी आवेदन पत्र प्रस्तुत करने/ई–टेण्डर देने से वर्जित होंगे</u> ।**

देशी तथा विदेशी मदिरा की दुकानों/एकल समूहों के लिए ऐसे ही व्यक्ति लॉटरी आवेदन पत्र/ई–टेण्डर प्रस्तुत कर सकेंगे, जो आबकारी लायसेंस प्राप्त करने की योग्यता रखते हों। निम्नलिखित व्यक्ति लॉटरी आवेदन पत्र/ई–टेण्डर देने के लिए अयोग्य रहेंगे –

19.1 कोई भी व्यक्ति, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो।

19.2 कोई भी व्यक्ति, फर्म/कम्पनी/फर्म का भागीदार/कम्पनी का संचालक जो स्वतः अथवा जमानतदार की हैसियत से शासन की आबकारी राशि, पॉपीस्ट्रा राजस्व की राशि तथा/अथवा मनोरंजन शुल्क की किसी प्रकार की राशि का बकायादार हो।

19.3 वर्ष 2016–17 की अवधि का अनुज्ञप्तिधारी, जिसके द्वारा उसके लायसेंस की माह जनवरी, 2017 के प्रथम पक्ष अंत तक की संपूर्ण देय वार्षिक बेसिक लायसेंस फीस एवं वार्षिक लायसेंस फीस न पटाई गई हो।

19.4 पूर्ववर्ती अवधि का ऐसा अनुज्ञप्तिधारी, जिसकी निजी स्वामित्व की/फर्म के भागीदार/कम्पनी के संचालक/शेयर होल्डर के रूप में, आंशिक स्वामित्व, की एक भी मदिरा दुकान/एकल समूह का पुनर्निष्पादन, उसी जिले में अथवा राज्य के अन्य किसी भी जिले में संबंधित वर्ष के देय वार्षिक मूल्य के अवशेष रहने के कारण किया गया हो, उसी जिले में अथवा मध्यप्रदेश राज्य के अन्य किसी भी जिले में वर्तमान वर्ष में संचालित मदिरा दुकान/एकल समूह के लिये आगामी वर्ष हेतु नवीनीकरण आवेदन देने के लिये अयोग्य रहेगा। साथ ही वह आबकारी की राशि के बकायादार के रूप में किसी भी मदिरा दुकान/एकल समूह के लिये लॉटरी आवेदन पत्र प्रस्तुत करने/ई–टेण्डर की कार्यवाही में भाग लेने के लिये भी अयोग्य रहेगा।

19.5 कोई भी व्यक्ति, जो पहले लायसेंसी रहा हो और लायसेंसी की हैसियत से उसका आचरण, निष्पादन करने वाली जिला समिति के मत में संतोषजनक न रहा हो।

19.6 कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम विभाग की काली सूची में हो।

19.7 कोई भी व्यक्ति, जिसके बारे में निष्पादनकर्ता जिला समिति को यह विश्वास हो कि वह बुरे आचरण वाला है।

19.8 कोई भी व्यक्ति जो मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 या राजस्व संबंधी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या इंडियन मर्केन्डाइज मार्कर्स अधिनियम 1889 (1889 का क्रमांक 4) या इस अधिनियम की धारा 3 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता (1860 का क्रमांक 45) में पुनः स्थापित की गई धाराओं 478 से 489 के अधीन या औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, 1955 या नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अधिनियम, 1985 अथवा इन अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के गंभीर उल्लंघन करने का दोषी रहा हो और ऐसे अपराधों के लिए किसी दांडिक न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

20. <u>सहमति करार प्रस्तुत किया जाना</u>

लॉटरी आवेदन पत्र/ई–टेण्डर द्वारा देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों/एकल समूहों के निवर्तन संबंधी शर्तों को लॉटरी आवेदन पत्र/ई–टेण्डर देने के पूर्व मान्य करने का सहमति करार

प्रत्येक लॉटरी आवेदक/टेण्डरदाता को निम्नलिखित प्रारूप में सहमति करार पत्र पर इस आशय की सहमति के हस्ताक्षर करना होंगे कि वह लॉटरी आवेदन पत्र/ई–टेण्डर की प्रक्रिया में लॉटरी आवेदन पत्र/ई–टेण्डर की शर्तों और निर्बन्धनों को स्वेच्छा से स्वीकार करता है। तद्नुसार राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा का नाम एवं स्थान, उसमें संधारित बचत/चालू बैंक खाते का क्रमांक, स्वयं का पता तथा स्थायी आयकर लेखा क्रमांक (PAN) की जानकारी अंकित कर, किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा आयकर अधिकारी अथवा केन्द्रीय/राज्य शासन के राजपत्रित अधिकारी अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किये गये, विभागीय राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित फोटो सहित, सहमति करार में हस्ताक्षर कर, लॉटरी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा/ई–टेण्डर के साथ अप–लोड करना होगा।

20.1 <u>लॉटरी आवेदक के लिये सहमति करार</u>

<u>सहमति करार</u>

लॉटरी आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो जो राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा आयकर अधिकारी अथवा केन्द्रीय/राज्य शासन के राजपत्रित अधिकारी अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किये गये, विभागीय राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित हो।

मैं ....(लॉटरी आवेदक का नाम) पिता/पति श्री..............................निवासी, ...धन्धे का स्थान ....आयु..............(वर्ष) शपथ पूर्वक घोषित करता/करती हूं कि :–

(1) मेरे राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बचत/चालू खाते का क्रमांक .... बैंक का नाम एवं पता .... आई.एफ.एस. सी. कोड .... हैं।

(2) मेरे स्वयं का/फर्म/कम्पनी अथवा उसके किसी भागीदार/भागीदारों/डायरेक्टर /डायरेक्टरों का आयकर का स्थाई लेखा क्रमांक (PAN),..............................है।

(3) मैंने देशी/विदेशी मदिरा की दुकान/एकल समूह के वर्ष 2017–18 के लिए लॉटरी आवेदन पत्र

द्वारा निवर्तन की शर्तें पढ़–सुन तथा जान ली हैं तथा अन्यथा समझ ली हैं और मैं लॉटरी आवेदन पत्र द्वारा निष्पादन की शर्तों एवं निर्बन्धनों को स्वेच्छा से प्रतिग्रहीत करता/करती हूं।

(4) मैंने जमा की गई धरोहर राशि का पूर्ण विवरण संलग्न कर दिया है।

(5) मैं लॉटरी आवेदन पत्र में अंकित अपने ऑफर से विचलित होने की दशा में/किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में अपने द्वारा निक्षेप की गयी धरोहर राशि, प्रतिभूति, अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के समर्पहरण के लिए करार करता/करती हूं।

हस्ताक्षर..............................

स्थान.......... दिनांक..............................

टीप :–

(1) प्रत्येक देशी/विदेशी मदिरा की दुकान/एकल समूह के लॉटरी आवेदक (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) द्वारा अपना बैंक खाता क्रमांक एवं आयकर का स्थायी लेखा क्रमांक (PAN) उपरोक्तानुसार सहमति करार पत्र में भरकर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) लॉटरी आवेदक यदि पंजीकृत फर्म/कम्पनी है तो उसके कार्यकारी भागीदार/मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा अधिकृत डायरेक्टर को उपरोक्तानुसार सहमति करार पत्र की पूर्ति कर हस्ताक्षर करना होंगे।

श्री ....को उपरोक्त देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों/एकल समूहों के उल्लेखित लॉटरी आवेदन पत्र द्वारा निवर्तन की कार्यवाही में, उनके द्वारा प्रस्तुत एवं हस्ताक्षरित उक्त सहमति करार के आधार पर, सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है/अनुमति दी गई है।

हस्ताक्षर नीलामकर्ता अधिकारी

दिनांक .... जिला ....

20.2 टेण्डरदाता के लिये सहमति करार

सहमति करार

टेण्डरदाता का स्वप्रमाणित फोटो जो राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा आयकर अधिकारी अथवा केन्द्रीय/राज्य शासन के राजपत्रित अधिकारी अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किये गये, विभागीय राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित हो।

मैं .... (टेण्डरदाता का नाम) पिता/पति श्री.............
....निवासी, ...धन्धे का स्थान ....
....आयु..................(वर्ष) शपथ पूर्वक घोषित करता/करती हूं कि :–

(1) मेरे राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बचत/चालू खाते का क्रमांक .... बैंक का नाम एवं पता .... आई.एफ.एस. सी. कोड .... है।

(2) मेरे स्वयं का/फर्म/कम्पनी अथवा उसके किसी भागीदार/भागीदारों/डायरेक्टर /डायरेक्टरों का आयकर का स्थाई लेखा क्रमांक (PAN)...है।

(3) मैंने देशी/विदेशी मदिरा की दुकान/एकल समूह के वर्ष 2017–18 के लिए ई–टेण्डर द्वारा

निवर्तन की शर्तें पढ़–सुन तथा जान ली हैं तथा अन्यथा समझ ली हैं और मैं ई–टेण्डर द्वारा निष्पादन की शर्तों एवं निर्बन्धनों को स्वेच्छा से प्रतिग्रहीत करता/करती हूं।

(4) मैंने जमा की गई धरोहर राशि का पूर्ण विवरण संलग्न/अपलोड कर दिया है।

(5) मैं, ई–टेण्डर में अंकित अपने ऑफर से विचलित होने की दशा में/किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में अपने द्वारा निक्षेप की गयी धरोहर राशि, प्रतिभूति, अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के समर्पहरण के लिए करार करता/करती हूं तथा स्वयं को आबद्ध करता/करती हूं कि पुनः निष्पादन/पुनः निवर्तन की कार्यवाही किए जाने की स्थिति में, शासन को खिसारे के रूप में हुई हानि की प्रतिपूर्ति की रकम, मुझसे भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

हस्ताक्षर..............................

स्थान .... दिनांक..............................

टीप :–

(1) प्रत्येक देशी/विदेशी मदिरा की दुकान/एकल समूह के टेण्डरदाता (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) द्वारा अपना बैंक खाता क्रमांक एवं आयकर का स्थायी लेखा क्रमांक (**PAN**) उपरोक्तानुसार सहमति करार पत्र में भरकर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) टेण्डरदाता यदि पंजीकृत फर्म/कम्पनी है तो उसके कार्यकारी भागीदार/मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा अधिकृत डायरेक्टर को उपरोक्तानुसार सहमति करार पत्र की पूर्ति कर हस्ताक्षर करना होंगे।

श्री ....को उपरोक्त देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों/एकल समूहों के उल्लेखित ई–टेण्डर द्वारा निवर्तन की कार्यवाही में, उनके द्वारा प्रस्तुत एवं हस्ताक्षरित उक्त सहमति करार के आधार पर, सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है/अनुमति दी गई है।

हस्ताक्षर नीलामकर्ता अधिकारी

दिनांक .... जिला ....

21. नोटराइज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाना

21.1 <u>नवीनीकरण आवेदक के लिए</u>

देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों/एकल समूहों के नवीनीकरण हेतु आवेदक (व्यक्ति/फर्म/ कम्पनी) द्वारा निम्नांकित प्रारूप में नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।

<u>शपथ–पत्र</u>

मैं स्वयं (नाम)..आयु.......................................(पिता/पति का नाम) ....निवासी (पता) ....
....शपथपूर्वक सत्यनिष्ठा से कथन करता/करती हूं कि :–

(1) मैं स्वयं अथवा फर्म/कंपनी की स्थिति में (फर्म/कम्पनी का नाम)..
....की ओर से अधिकार पत्र ग्रहीता हूं।

(2) मैं स्वयं अथवा फर्म/कंपनी की दशा में सभी भागीदार/संचालक देशी/विदेशी मदिरा की दुकान /एकल समूह के वर्ष 2017–18 के लिये उल्लेखित नवीनीकरण द्वारा निष्पादन की कार्यवाही में आवेदन देने हेतु अपात्र नहीं हूं/हैं।

(3) मेरे द्वारा वांछित सहपत्र प्रस्तुत कर दिये गये हैं। उसमें दी गयी जानकारी सत्य एवं पूर्ण है।

(4) मेरे द्वारा वर्ष 2017–18 के लिए देय सम्पूर्ण प्रतिभूति की राशि साईबर ट्रेजरी में ऑन लाईन की रसीद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश आर्डर अथवा बैंक की सावधि जमा रसीद अथवा बैंक गारन्टी के रूप में निष्पादन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अथवा विनिर्दिष्ट अवधि में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(5) मैंने नवीनीकरण द्वारा निष्पादन प्रक्रिया अन्तर्गत, जिला .... की देशी/विदेशी मदिरा की

दुकान/एकल समूह की निर्धारित धरोहर राशि की 50 प्रतिशत राशि कुल रूपये .... निम्न विवरण अनुसार जमा करा दी गयी है :–

(I) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश आर्डर द्वारा जमा की गई राशि रूपये...................

(II) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश आर्डर का क्रमांक
एवं जारी करने का दिनांक...

(III) बैंक की शाखा का नाम एवं पता ....

(6) मैंने, बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश आर्डर के रुप में जमा की गई राशि का पूर्ण विवरण प्रस्तुत कर दिया है।

(7) मैं लायसेंसी के रूप में वर्ष 2017–18 की देय वार्षिक मूल्य यथा समय जमा करूंगा/करूंगी।

(8) यदि मेरे द्वारा कण्डिका क्रमांक–12.2 में उल्लेखित धरोहर राशि की शेष 50 प्रतिशत राशि तथा कंडिका 15.2 में उल्लेखित नवीनीकरण विशेषाधिकार राशि निष्पादन की तिथि से तीन दिवस के अंदर जमा नहीं की जाती है अथवा प्रतिभूति की राशि नियमानुसार जमा नहीं की जाती है तो मेरे द्वारा वर्ष 2016–17 के लिए पूर्व में जमा प्रतिभूति राशि अथवा उसकी बैंक गारंटी तथा वर्ष 2017–18 के लिए जमा धरोहर राशि एवं अन्य कोई जमा राशि राजसात कर ली जाए तथा उसे आवंटित मदिरा दुकान/एकल समूह का वर्ष 2017–18 के लिए सार्वजनिक रूप से निष्पादन कर दिया जाए। इस निष्पादन के फलस्वरूप यदि शासन को आरक्षित मूल्य से कम राशि का ऑफर प्राप्त होता है, तो अन्तर की खिसारा राशि आवेदक द्वारा देय होगी तथा यह राशि उससे भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(9) **यदि जिले में नवीनीकरण आवेदन पत्र एवं लॉटरी आवेदन पत्र प्राप्त कर लेने के पश्चात् यह परिलक्षित होता है कि उस जिले के वर्ष 2017–18 हेतु निर्धारित आरक्षित मूल्य के राजस्व में निहित 70 प्रतिशत से कम मूल्य की मदिरा दुकानों/एकल समूहों पर ही नवीनीकरण/लॉटरी आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं तब नवीनीकरण/लॉटरी आवेदन पत्र प्राप्त कर निष्पादन की कार्यवाही के स्थान पर उस जिले की समस्त मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन ई–टेण्डर आमंत्रित कर किये जाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं होगी।**

(10) मैं नवीनीकरण द्वारा निष्पादन प्रक्रिया उपरान्त प्रतिभूति की राशि तथा अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के पोस्टडेटेड चैक्स निर्दिष्ट समय में जमा करने के लिए आबद्ध रहूंगा। पोस्ट डेटेड चैक्स बाउंस (Bounce) होने पर निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेनट एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत कार्यवाही योग्य होंगे।

(11) मुझे यह ज्ञात है कि मदिरा दुकान के लिए निर्धारित क्षेत्र में आपत्तिरहित स्थल खोज कर वहां दुकान स्थापित व संचालित करने का दायित्व मेरा स्वयं का है।

(12) मेरा मोबाइल नम्बर ....है, जिससे किसी भी स्थिति में मुझसे दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सके। मेरा ई–मेल एड्रेस .... है, जिससे किसी भी प्रकार की कार्यालयीन सूचना/कारण बताओ सूचना पत्र आदि का निर्वहन मुझे ई–मेल के माध्यम से किया जा सके। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि ठेका अवधि में मेरा मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल एड्रेस यही रहेगा। यदि इसमें कोई परिवर्तन होता है, तो मैं तत्काल संबंधित जिला आबकारी कार्यालय में इसकी सूचना प्रस्तुत करूंगा।

(13) मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति/बैंक गारन्टी/सावधि जमा वर्ष 2017–18 के दौरान इस मदिरा दुकान/एकल समूह के अतिरिक्त मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी जिले में मेरे नाम से स्वीकृत किसी भी अन्य मदिरा दुकान/एकल समूह द्वारा की गई अनियमितताओं के लिए भी बंधनकारी होगी। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(14) देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों/एकल समूहों के नवीनीकरण द्वारा निष्पादन के लिए मेरे द्वारा

जिला समिति को प्रस्तुत सहपत्रों में उल्लेखित समस्त तथ्य एवं विवरण, सत्य एवं पूर्ण हैं। उक्त उल्लेखित किसी तथ्य/विवरण/बिन्दु के असत्य अथवा अपूर्ण पाये जाने पर अथवा मदिरा दुकानों के निष्पादन संबंधी किसी शर्त का पालन न करने पर कलेक्टर को लायसेंस को निरस्त करने तथा मेरे द्वारा जमा कराई गयी धरोहर राशि, प्रतिभूति, अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि को जप्त/राजसात करने का अधिकार होगा तथा इसके संबंध में मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

(15) **यह कि मैं अनुज्ञप्तिधारक के रूप में प्रस्तुत किये जाने वाले अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के 9 पोस्ट डेटेड बैंक चैक्स के मामले में चैक जारीकर्ता बैंक को ठेका अवधि में चैक्स का भुगतान रोकने के लिए निर्देशित नहीं करूंगा।**

हस्ताक्षर................................

स्थान................................ दिनांक / /2017

सत्यापन लेख

मैं, (नाम) ....(पिता/पति का नाम) श्री ....शपथपूर्वक कथन करता/करती हूं कि इस शपथ–पत्र के चरण (1) से चरण (15) में वर्णित जानकारी मेरे निजी ज्ञान से सत्य एवं सही है। इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।

स्थान................................ हस्ताक्षर................................

दिनांक / /2017

21.2 लॉटरी आवेदन पत्र हेतु शपथ पत्र :–

देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों/एकल समूहों के लॉटरी आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदक (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) द्वारा निम्नांकित प्रारूप में नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।

शपथ–पत्र

मैं स्वयं (नाम)..**आयु**........................

(पिता/पति का नाम) ....

निवासी (पता) ....

शपथपूर्वक सत्यनिष्ठा से कथन करता/करती हूं कि :–

(1) **मैं स्वयं अथवा फर्म/कंपनी की स्थिति में (फर्म/कम्पनी का नाम)** .... **की ओर से अधिकार पत्र ग्रहीता हूं।**

(2) **मैं स्वयं अथवा फर्म/कंपनी की दशा में सभी भागीदार/संचालक देशी/विदेशी मदिरा की दुकान/एकल समूह के वर्ष 2017–18 के लिये लॉटरी आवेदन पत्र के माध्यम से निष्पादन की कार्यवाही में आवेदन देने हेतु अपात्र नहीं हूं/हैं।**

(3) **मेरे द्वारा वांछित सहपत्र प्रस्तुत कर दिये गये हैं।** उसमें दी गयी जानकारी सत्य एवं पूर्ण है।

(4) **मेरे द्वारा वर्ष 2017–18 के लिए देय सम्पूर्ण प्रतिभूति की** राशि साईबर ट्रेजरी में ऑन लाईन जमा **की रसीद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश आर्डर/बैंक की** सावधि जमा रसीद अथवा **बैंक गारन्टी के रूप में,** निष्पादन दिनांक से 07 दिवस के अन्दर अथवा विनिर्दिष्ट अवधि में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(5) **मैंने लॉटरी आवेदन पत्र के माध्यम से निष्पादन प्रक्रिया अन्तर्गत** जिला .... की देशी/**विदेशी** मदिरा की दुकान/एकल समूह की **निर्धारित धरोहर राशि की 50** प्रतिशत राशि कुल रूपये .... निम्न **विवरण अनुसार जमा करा दी गयी है :–**

(I) **बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश** आर्डर द्वारा जमा की गई राशि रूपये............................

(II) **बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश आर्डर** का क्रमांक एवं जारी करने का दिनांक.............

(III) **बैंक की शाखा** का नाम एवं पता ....

(6) मैंने, बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश आर्डर के रुप में जमा की गई राशि का पूर्ण विवरण प्रस्तुत कर दिया है।

(7) मैं लायसेंसी के रूप में वर्ष 2017–18 की देय वार्षिक मूल्य की राशि (वार्षिक लायसेंस फीस + निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि) यथासमय जमा करूंगा/करूंगी।

(8) यदि मेरे द्वारां कण्डिका क्रमांक–12.2 में उल्लेखित धरोहर राशि की शेष 50 प्रतिशत राशि निष्पादन की तिथि से तीन दिवस के अंदर जमा नहीं की जाती है, तो मेरे द्वारा वर्ष 2017–18 के लिए जमा धरोहर राशि एवं अन्य कोई जमा राशि राजसात कर ली जाए एवं द्वितीय चयनित आवेदक को दुकान/एकल समूह आवंटित करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरे द्वारा सम्पूर्ण प्रतिभूति की राशि विनिर्दिष्ट अवधि में जमा नही की जाती है तो मेरे द्वारा समस्त जमा राशि राजसात कर ली जावे, इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(9) यदि जिले में नवीनीकरण एवं लॉटरी आवेदन पत्र प्राप्त कर लेने के पश्चात् यह परिलक्षित होता है कि उस जिले के वर्ष 2017–18 हेतु निर्धारित आरक्षित मूल्य के राजस्व में निहित 70 प्रतिशत से कम मूल्य की मदिरा दुकानों/एकल समूहों पर ही नवीनीकरण/लॉटरी आवेदन पत्र प्राप्त हुये है तब नवीनीकरण/लॉटरी आवेदन पत्र प्राप्त कर निष्पादन की कार्यवाही के स्थान पर उस जिलें की समस्त मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन ई–टेण्डर आमंत्रित कर किये जाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(10) मैं लॉटरी आवेदन पत्र के माध्यम से निष्पादन प्रक्रिया उपरान्त प्रतिभूति की राशि तथा अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के पोस्टडेटेड चैक्स निर्दिष्ट समय सीमा में जमा करने के लिए आबद्ध रहूंगा। पोस्ट डेटेड चैक्स बाऊंस (Bounce) होने पर निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेनट एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत कार्यवाही योग्य होंगे।

(11) मुझे यह ज्ञात है कि मदिरा दुकान के लिए निर्धारित क्षेत्र में आपत्तिरहित स्थल खोज कर वहां दुकान स्थापित व संचालित करने का दायित्व मेरा स्वयं का है।

(12) मेरा मोबाइल नम्बर ....है, जिससे किसी भी स्थिति में मुझसे दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सके। मेरा ई–मेल एड्रेस .... है, जिससे किसी भी प्रकार की कार्यालयीन सूचना/कारण बताओ सूचना पत्र आदि का निर्वहन मुझे ई–मेल के माध्यम से किया जा सके। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि ठेका अवधि में मेरा मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल एड्रेस यही रहेगा। यदि इसमें कोई परिवर्तन होता है, तो मैं तत्काल संबंधित जिला आबकारी कार्यालय में इसकी सूचना प्रस्तुत करूंगा।

(13) मेरे द्वारां प्रस्तुत प्रतिभूति/बैंक गारन्टी/सावधि जमा वर्ष 2017–18 के दौरान इस मदिरा दुकान/एकल समूह के अतिरिक्त मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी जिले में मेरे नाम से स्वीकृत किसी भी अन्य मदिरा दुकान/एकल समूह द्वारा की गई अनियमितताओं के लिए भी बंधनकारी होगी। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(14) देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों/एकल समूहों के लॉटरी आवेदन पत्र द्वारा निष्पादन के लिए मेरे द्वारा जिला समिति को प्रस्तुत सहपत्रों में उल्लेखित समस्त तथ्य एवं विवरण, सत्य एवं पूर्ण हैं। उक्त उल्लेखित किसी तथ्य/विवरण/बिन्दु के असत्य अथवा अपूर्ण पाये जाने पर अथवा मदिरा दुकानों के निष्पादन संबंधी किसी शर्त का पालन न करने पर कलेक्टर को लायसेंस को निरस्त करने तथा मेरे द्वारा जमा कराई गयी धरोहर राशि, प्रतिभूति, अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि को जप्त/राजसात करने का अधिकार होगा तथा इसके संबंध में मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। वर्ष 2017–18 के दौरान मुझे आवंटित/अनुज्ञप्त मदिरा दुकान/एकल समूह का पुर्ननिष्पादन किये जाने के फलस्वरूप यदि शासन को आरक्षित मूल्य से कम राशि का ऑफर प्राप्त होता है, तो अन्तर की खिसारा राशि मेरे द्वारा देय होगी तथा यह राशि मुझसे भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान............................ हस्ताक्षर...........................

दिनांक / /2017

सत्यापन लेख

मै, (नाम) ....(पिता/पति का नाम) श्री...शपथपूर्वक कथन करता/करती हूं कि इस शपथ–पत्र के चरण (1) से चरण (14) तक में वर्णित जानकारी मेरे निजी ज्ञान से सत्य एवं सही है। इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।

स्थान .... हस्ताक्षर.......................

दिनांक / /**2017**

21.3 टेंडरदाता के लिए शपथ पत्र

देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों/एकल समूहों के ई–टेंडर प्रस्तुत करने पर आवेदक (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) द्वारा निम्नांकित प्रारूप में नोटराइज्ड शपथ पत्र अपलोड/प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

शपथ–पत्र

मैं स्वयं (नाम)..आयु.....................(पिता/पति का नाम) .. .. निवासी (पता) .... शपथपूर्वक सत्यनिष्ठा से कथन करता/करती हूं कि :–

(1) मैं स्वयं अथवा फर्म/कंपनी की स्थिति में (फर्म/कम्पनी का नाम) .... की ओर से अधिकार पत्र ग्रहीता हूं।

(2) मैं स्वयं अथवा फर्म/कंपनी की दशा में सभी भागीदार/संचालक देशी/विदेशी मदिरा की दुकान/एकल समूह के वर्ष 2017–18 के लिये ई–टेंडर के माध्यम से निष्पादन की कार्यवाही में आवेदन देने हेतु अपात्र नहीं हूं/हैं।

(3) मेरे द्वारा वांछित सहपत्र प्रस्तुत कर दिये गये हैं। उसमें दी गयी जानकारी सत्य एवं पूर्ण है।

(4) मेरे द्वारा वर्ष 2017–18 के लिए देय सम्पूर्ण प्रतिभूति की राशि साईबर ट्रेजरी में ऑन लाईन जमा की रसीद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश आर्डर/बैंक की सावधि जमा रसीद अथवा बैंक गारन्टी के रूप में, निष्पादन दिनांक से 07 दिवस के अन्दर अथवा विनिर्दिष्ट अवधि में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(5) मैंने ई–टेंडर के माध्यम से निष्पादन प्रक्रिया अन्तर्गत जिला .... की देशी/ विदेशी मदिरा की दुकान/एकल समूह की निर्धारित धरोहर राशि की 50 प्रतिशत राशि कुल रूपये ....निम्न विवरण अनुसार जमा करा दी गयी है :–

(I) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश आर्डर द्वारा जमा की गई राशि रूपये.........................

(II) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश आर्डर का क्रमांक एवं जारी करने का दिनांक............

(III) बैक की शाखा का नाम एवं पता ....

(6) मैंने, बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश आर्डर के रुप में जमा की गई राशि का पूर्ण विवरण प्रस्तुत कर दिया है।

(7) मैं लायसेंसी के रूप में वर्ष 2017–18 की देय वार्षिक मूल्य की राशि (वार्षिक लायसेंस फीस + निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि) यथासमय जमा करूंगा/करूंगी।

(8) यदि मेरे द्वारा कण्डिका क्रमांक–12.4 में उल्लेखित धरोहर राशि की शेष 50 प्रतिशत राशि निष्पादन की तिथि से तीन दिवस के अंदर अथवा 31 मार्च, 2017 जो भी पहले हो, तक एवं सम्पूर्ण प्रतिभूति की राशि विनिर्दिष्ट अवधि में जमा नहीं की जाती है, तो मेरे द्वारा वर्ष 2017–18 के लिए जमा धरोहर राशि एवं अन्य कोई जमा राशि राजसात कर ली जाए तथा मुझे आवंटित मदिरा दुकान/एकल समूह का वर्ष 2017–18 के लिए सार्वजनिक रूप से निष्पादन कर दिया जाए। इस निष्पादन के फलस्वरूप यदि शासन को आरक्षित मूल्य से कम राशि का ऑफर प्राप्त होता है, तो अन्तर की खिसारा राशि मेरे द्वारा देय होगी तथा यह राशि मुझसे भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(9) मैं ई–टेंडर के माध्यम से निष्पादन प्रक्रिया उपरान्त प्रतिभूति की राशि तथा अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के पोस्टडेटेड चैक्स निर्दिष्ट समय सीमा में जमा करने के लिए आबद्ध रहूंगा। पोस्ट डेटेड चैक्स बाऊंस (Bounce) होने पर निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत कार्यवाही योग्य होंगे।

(10) . मुझे यह ज्ञात है कि मदिरा दुकान के लिए निर्धारित क्षेत्र में आपत्तिरहित स्थल खोज कर वहां दुकान स्थापित व संचालित करने का दायित्व मेरा स्वयं का है।

(11) मेरा मोबाइल नम्बर ....है, जिससे किसी भी स्थिति में मुझसे दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सके। मेरा ई–मेल एड्रेस .... है, जिससे किसी भी प्रकार की कार्यालयीन सूचना/कारण बताओ सूचना पत्र आदि का निर्वहन मुझे ई–मेल के माध्यम से किया जा सके। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि ठेका अवधि में मेरा मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल एड्रेस यही रहेगा। यदि इसमें कोई परिवर्तन होता है, तो मैं तत्काल संबंधित जिला आबकारी कार्यालय में इसकी सूचना प्रस्तुत करूंगा।

(12) मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति/बैंक गारन्टी/सावधि जमा वर्ष 2017–18 के दौरान इस मदिरा दुकान/एकल समूह के अतिरिक्त मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी जिले में मेरे नाम से स्वीकृत किसी भी अन्य मदिरा दुकान/एकल समूह द्वारा की गई अनियमितताओं के लिए भी बंधनकारी होगी। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(13) देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों/एकल समूहों के ई–टेंडर द्वारा निष्पादन के लिए मेरे द्वारा जिला समिति को प्रस्तुत सहपत्रों में उल्लेखित समस्त तथ्य एवं विवरण, सत्य एवं पूर्ण हैं। उक्त उल्लेखित किसी तथ्य/विवरण/बिन्दु के असत्य अथवा अपूर्ण पाये जाने पर अथवा मदिरा दुकानों के निष्पादन संबंधी किसी शर्त का पालन न करने पर कलेक्टर को लायसेंस को निरस्त करने तथा मेरे द्वारा जमा कराई गयी धरोहर राशि, प्रतिभूति, अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि को जप्त/राजसात करने का अधिकार होगा तथा इसके संबंध में मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान............................ हस्ताक्षर...........................

दिनांक / /2017

सत्यापन लेख

मै, (नाम) ....(पिता/पति का नाम) श्री...शपथपूर्वक कथन करता/करती हूं कि इस शपथ–पत्र के चरण (1) से चरण (13) तक में वर्णित जानकारी मेरे निजी ज्ञान से सत्य एवं सही है। इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।

स्थान .... हस्ताक्षर..........................

दिनांक / /2017

22 लॉटरी आवेदकों/टेण्डरदाताओं की पहचान एवं निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण के संबंध में।

लॉटरी आवेदन पत्र/ई–टेण्डर द्वारा मदिरा दुकानो/एकल समूहों के निष्पादन हेतु इच्छुक लॉटरी आवेदकों/टेण्डरदाताओं को उनकी व्यक्तिगत पहचान एवं उनके निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण के संबंध में, निम्न दस्तावेजों में से किसी एक–एक दस्तावेज की किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा आयकर अधिकारी अथवा केन्द्रीय/राज्य शासन के राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई छायाप्रति को "मेरे द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया गया है" ऐसा अंकित कर, अपने दिनांकित हस्ताक्षर सहित लॉटरी आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत करना/ई–पोर्टल पर (upload) करना अनिवार्य होगा।

22.1 व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगे।

(1) पासपोर्ट।

(2) आयकर स्थायी लेखा संख्या (PAN) कार्ड।

(3) निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र **(EPIC CARD)**।
(4) ड्रायविंग लायसेंस।
(5) फोटोयुक्त वर्तमान बैंक बचत/चालू लेखा पुस्तिका।
(6) आधार कार्ड।

22.2 निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगे।
(1) अधिकतम तीन माह पुराना टेलीफोन/मोबाइल फोन बिल।
(2) अधिकतम तीन माह पुराना बिजली भुगतान का बिल।
(3) अधिकतम तीन माह पुरानी एल.पी.जी. गैस रि–फिलिंग की रसीद।
(4) अधिकतम तीन माह पुराना पानी का बिल।
(5) किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी फोटो युक्त क्रेडिट कार्ड।
(6) स्त्रोत पर आयकर कटौती का अद्यतन जारी फार्म 16 में प्रमाण पत्र।
(7) बैंक की वर्तमान बचत/चालू लेखा पुस्तिका।
(8) आधार कार्ड।

23. <u>अतिरिक्त प्रतिभूति राशि के पोस्ट डेटेड चैक जमा कराया जाना</u>

वर्ष 2017–18 के लिए नवीनीकरण/टेण्डर द्वारा निष्पादित मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लायसेंसी को उसकी मदिरा दुकान/एकल समूह के लिये निर्धारित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के आधार पर, एक माह के समानुपातिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के समतुल्य राशि के माह मई, 2017 से माह जनवरी, 2018 तक प्रत्येक माह की पहली तिथि में वर्तमान में किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में संधारित बचत/चालू खाते से जारी नौ (09) पोस्ट डेटेड चैक जो संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी किये गये हों, अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में मदिरा दुकान/एकल समूह के निष्पादन के दिनांक से 15 दिवस अथवा दिनांक 31 मार्च 2017, जो भी पहले हो, जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त चैकों को वर्ष 2017–18 में किसी भी समय, 20 दिवस से अधिक अवधि की न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि की पूर्ण अथवा आंशिक देयता लंबित होने पर बकाया ड्यूटी राशि की वसूली हेतु बैंक में भेजा जायेगा। यदि संबंधित लायसेंसी द्वारा वर्ष में देय सम्पूर्ण न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि को चुका दिया जाता है तो, उपरोक्त पोस्ट डेटेड चैकों को लायसेंसी से प्राप्ति रसीद लेकर, मूलतः वापस कर दिया जायेगा।

लायसेंसी इन पोस्ट डेटेड चैकों के संबंध में बैंक को कभी भी यह निर्देशित नहीं करेगा कि **इन चैकों का भुगतान न किया जाये। इस संबंध में वह शपथ पत्र में भी** उल्लेख करेगा। **पोस्टडेटेड चैक्स बाउंस (BOUNCE) होने पर लायसेंसी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट** की धारा 138 **के अन्तर्गत कार्यवाही योग्य होंगे।**

24. प्रतिरूप करार प्रस्तुत किया जाना

वर्ष 2017–18 के लिए नवीनीकरण/लॉटरी आवेदन पत्र/ई–टेण्डर अथवा अन्य किसी रीति द्वारा निष्पादित मदिरा दुकान/एकल समूह के लायसेंसी को उसकी, मदिरा दुकान/एकल समूह के वार्षिक मूल्य के आधार पर निर्धारित प्रारूप में **(रुपये 500/– के स्टाम्प पेपर पर)** प्रतिरूप करार भी निष्पादित करना होगा। प्रतिरूप करार निष्पादन एवं समस्त वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति के उपरान्त ही उसे संबंधित मदिरा दुकान/दुकानों का लायसेंस जारी किया जायेगा।

25 <u>वर्ष 2018–19 के लिये मदिरा दुकानों/एकल समूहों का नवीनीकरण</u>

वर्ष 2017–18 के लिये निष्पादित देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों/एकल समूहों का वर्ष 2018–19 के लिये शासन द्वारा निर्धारित मूल्य एवं नीति अन्तर्गत नवीनीकरण द्वारा निष्पादन किया जा सकेगा।

26 **डयूटी दरें :–**

वर्ष 2017–18 के लिये देशी एवं विदेशी मदिरा के लिये डयूटी दर निम्नानुसार रहेगी :–

26.1 **देशी मदिरा की डयूटी दरें**

25 डिग्री अण्डर प्रूफ तेजी की देशी मदिरा मसाला तथा 50 डिग्री अण्डर प्रूफ तेजी की देशी मदिरा प्लेन की डयूटी दर एक समान रुपये 262/– प्रति प्रूफ लीटर रहेगी।

26.2 **विदेशी मदिरा (स्पिरिट) की डयूटी दरें**

क्र	भारत निर्मित विदेशी मदिरा की प्रति पेटी घोषित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर	डयूटी दर
1.	रुपये 600 तक	रुपये 305/– प्रति प्रूफ लीटर
2.	रुपये 601 से रुपये 700 तक	रुपये 340/– प्रति प्रूफ लीटर
3.	रुपये 701 से रुपये 800 तक	रुपये 380/– प्रति प्रूफ लीटर
4.	रुपये 801 से रुपये 1100 तक	रुपये 550/– प्रति प्रूफ लीटर
5.	रुपये 1101 से रुपये 1500 तक	रुपये 615/– प्रति प्रूफ लीटर
6.	रुपये 1501 से रुपये 2000 तक	रुपये 750/– प्रति प्रूफ लीटर
7.	रुपये 2001 से रुपये 3000 तक	रुपये 850/– प्रति प्रूफ लीटर
8.	रुपये 3001 से रुपये 4000 तक	रुपये 1025/– प्रति प्रूफ लीटर
9.	रुपये 4001 से रुपये 6000 तक	रुपये 1350/– प्रति प्रूफ लीटर
10.	रुपये 6001 से रुपये 8000 तक	रुपये 1600/– प्रति प्रूफ लीटर
11.	रुपये 8001 से रुपये 10000 तक	रुपये 2100/– प्रति प्रूफ लीटर
12.	रुपये 10001 से अधिक	रुपये 2625/– प्रति प्रूफ लीटर

26.3 **विदेशी मदिरा (बीयर) पर डयूटी**

वर्ष 2017–18 के लिये विदेशी मदिरा (बीयर) पर ड्यूटी प्रतिपेटी घोषित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 125 प्रतिशत प्रभारित की जायेगी।

26.4 **Low Alcohlic Beverages रेडी टू ड्रिंक (Ready to drink) पेय पर डयूटी दर**

फलों के जूस, कोला, सोडा अथवा फ्लेवर के साथ तैयार किये गये ऐसे फलों के जूस, कोला, सोडा अथवा फ्लेवर के साथ तैयार किये गये 10 प्रतिशत तक **V/V** एल्कोहल शक्ति वाले ऐसे रेडी टू ड्रिंक **(Ready to drink/Low Alcoholic Beverages)** पेय जिसकी एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर प्रति केस (अधिकतम 24 बोतल/कैन (नग) की समेकित धारिता 9.0 बल्क लीटर तक) रुपये 700/– से अधिक हो, पर रुपये 95/– प्रति बल्क लीटर की दर से डयूटी प्रभारित की जायेगी।

26.5 **ड्राफ्ट बीयर पर डयूटी**

बार लायसेंसों को प्रदाय की जाने वाली ड्राफ्ट बीयर पर वर्ष 2017–18 के लिये ड्यूटी रूपये 30/– प्रति बल्क लीटर की दर से प्रभारित की जायेगी।

26.6 **विदेशी मदिरा (वाइन) पर डयूटी**

वर्ष 2017–18 के लिए विदेशी मदिरा (वाईन) पर डयूटी दर रूपये 95/– प्रति बल्क लीटर रहेगी। जबकि मध्यप्रदेश राज्य में कृषकों द्वारा उत्पादित अंगूर का उपयोग कर, मध्यप्रदेश में निर्मित वाईन पर डयूटी दर पूर्ववत शून्य रहेगी।

26.7 रक्षा सेवाओं को प्रदाय की जाने वाली विदेशी मदिरा पर ड्यूटी दर

वर्ष 2017–18 में रक्षा सेवाओं को प्रदाय की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर ड्यूटी, सिविलियन्स के लिए देय ड्यूटी का, रम के लिए 20 प्रतिशत तथा अन्य विदेशी मदिरा के लिए 30 प्रतिशत की दर से प्रभारित की जायेगी।

नोटः– **पेटी से आशय Low Alcohlic Beverages रेडी टू ड्रिंक पेय की अधिकतम 9 बल्क लीटर मात्रा एवं शेष विदेशी मदिरा की 12 क्वार्ट बोतल अथवा समतुल्य मात्रा से है।**

27. आयातित विदेशी मदिरा पर चुकाई गई बोतल फीस का समायोजन निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि में दिया जाना।

वर्ष 2017–18 में भी विदेश में निर्मित एवं मूल में बोतल बंद (**Bottled in origin**) आयातित विदेशी मदिरा का राज्य में आयात किये जाते समय चुकाई गई बोतल फीस के समतुल्य राशि का समायोजन विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय के लायसेंसी को, संबंधित मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान की निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि में अनुमत किया जायेगा।

28. एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों में परस्पर वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी का अन्तरण

एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों के वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी में समूह की देशी मदिरा दुकानों से विदेशी मदिरा दुकानों में अथवा विदेशी मदिरा दुकानों से देशी मदिरा दुकानों में अधिकतम 20 प्रतिशत तक अन्तरण (**Transfer**) की अनुमति वर्ष 2017–18 में दी जा सकेगी। **इसके अन्तर्गत वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की जितनी राशि अंतरित की जावेगी, उसकी 0.5 प्रतिशत राशि का भुगतान अंतरण शुल्क के रूप में पृथक से समायोजन प्राप्ति पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को जमा करना होगा। अंतरित की गई न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि अंतरणकर्ता दुकान/दुकानों से कम की जाकर अंतरणग्रहीता दुकान में सम्मिलित की जायेगी।** यह अन्तरण संबंधित लायसेंसी की मांग एवं आवश्यकता का परीक्षण कर, जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा संभाग के उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता के अनुमोदन उपरान्त अनुमत किया जा सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी के पारस्परिक अंतरण संबंधी आवेदन पत्र का निराकरण 10 दिवस में किया जाना होगा। उपरोक्तानुसार आदेशित अन्तरण वर्ष 2017–18 के दौरान विपर्यय (**Reversible**) नहीं होगा। अर्थात वर्ष 2017–18 के दौरान एकल समूह की देशी मदिरा दुकान से, यदि विदेशी मदिरा दुकान में न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी का अन्तरण अनुमत किया गया है, तो वर्ष के दौरान उसी समूह की विदेशी मदिरा दुकान से देशी मदिरा दुकान में अथवा एकल समूह की विदेशी मदिरा दुकान से यदि देशी मदिरा दुकान में न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी का अन्तरण अनुमत किया गया है, तो वर्ष के दौरान उसी समूह की देशी मदिरा दुकान से विदेशी मदिरा दुकान में न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि का अन्तरण अनुमत नहीं होगा। ऐसी अनुमति भूतलक्षी प्रभाव से आदेशित न की जाकर, आदेश जारी किये जाने के दिनांक के आगामी पक्ष से प्रभावी होगी।

29. न्यूनतम एवं अधिकतम विक्रय दरों का निर्धारण व मुद्रण/अंकन

29.1 वर्ष 2017–18 के लिए प्रत्येक लेबिल व प्रत्येक धारिता की विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन तथा बीयर) के साथ–साथ, देशी मदिरा की प्रत्येक किस्म एवं धारिता की बोतल का न्यूनतम विक्रय मूल्य (**MSP**) तथा अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (**MRP**) निर्धारित किये जाने व बोतल पर चिपकाये जाने वाले लेबिल पर उसका मुद्रण/अंकन किये जाने की व्यवस्था पूर्ववत् प्रभावी रहेगी।

29.2 **वर्ष 2017–18 के लिए देशी मदिरा की प्रत्येक किस्म एवं धारिता की बोतल के परिगणित न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य (M.S.P.) में 20 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (M.R.P.) निर्धारित किया जायेगा।**

29.3 **वर्ष 2017–18 के लिए विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर) की प्रत्येक किस्म एवं धारिता की बोतल के परिगणित न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य (M.S.P.) में 15 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (M.R.P.) निर्धारित किया जायेगा।**

29.4 देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर) की प्रत्येक किस्म एवं धारिता की बोतल के न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य (**M.S.P.**) एवं अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (**M.R.P.**) का निर्धारण निकटतम रूपये 5 के गुणांक में किया जायेगा।

29.5 मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान का लायसेंसी न्यूनतम विक्रय मूल्य (**MSP**) एवं अधिकतम विक्रय मूल्य (**MRP**) अथवा उसके बीच की कोई राशि, विक्रय दर के रूप में उपभोक्ता से वसूल कर सकेगा।

29.6 निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य (**M.S.P.**) से कम मूल्य पर एवं निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य (**M.R.P.**) से अधिक मूल्य पर मदिरा का विक्रय किया जाना, गंभीर अनियमितता मानकर संबंधित मदिरा दुकान का स्वीकृत लायसेंस कम से कम एक दिन के लिये अथवा अधिकतम पांच दिन के लिये अनिवार्यतः निलंबित किया जाएगा। दो से अधिक बार ऐसी अनियमितता पाये जाने पर उक्त मदिरा दुकान का लायसेंस वर्ष की शेष अवधि के लिये निरस्त किया जायेगा।

29.7 वर्ष की शेष अवधि के लिये लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही के फलस्वरूप, यदि ऐसी मदिरा दुकान किसी समूह में सम्मिलित है, तो उक्त समूह की समस्त मदिरा दुकानों का लायसेंस भी वर्ष की शेष अवधि के लिये निरस्त किया जायेगा।

29.8 जिन मदिरा दुकानों का लायसेंस वर्ष 2017–18 की शेष अवधि के लिये निरस्त किया जायेगा, उन मदिरा दुकानों को लायसेंस निरस्त किये जाने के दिनांक से विभागीय नियंत्रण के अधीन लिया जायेगा। साथ ही मूल लायसेंसी के उत्तरदायित्व पर, उक्त मदिरा दुकानों की वर्ष 2017–18 की शेष अवधि के लिए ई–टेण्डर/टेंडर द्वारा पुनःनिष्पादन की कार्यवाही की जायेगी। पुनःनिष्पादन की इस कार्यवाही में यदि शासन को कोई हानि होती है अथवा खिसारा परिलक्षित होता है तो ऐसी हानि/खिसारे की राशि मूल अनुज्ञप्तिधारी से भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी। यदि पुनःनिष्पादन की कार्यवाही में अधिक राजस्व प्राप्त होता है, तो इस पर शासन का अधिकार होगा।

29.9 मदिरा दुकानों के विवेकपूर्ण संचालन को बनाये रखने की दृष्टि से तथा ऐसे कारणों से जिससे आबकारी आयुक्त संतुष्ट हों, शासन की पूर्वानुमति प्राप्त कर निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य एवं निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य की गणना में आवश्यक संशोधन कर न्यूनतम विक्रय मूल्य एव अधिकतम विक्रय मूल्य में कमी/वृद्धि का निर्णय आबकारी आयुक्त प्रसारित कर सकेंगे।

30. **होलोग्राम**

वर्ष 2017–18 में भी विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर) एवं देशी मदिरा की प्रत्येक किस्म एवं प्रत्येक धारिता की बोतल पर विभाग द्वारा निर्धारित सिक्योरिटी होलोग्राम यथावत लगाया जायेगा। वर्ष 2017–18 के लिए देशी/विदेशी मदिरा की प्रत्येक धारिता की बोतलों पर लगायें जाने वाले होलोग्राम के फीचर्स में वृद्धि की गई है।

31. **शॉप बार लायसेंस**

वर्ष 2017–18 में भी विदेशी मदिरा की ऑफ श्रेणी की दुकानों में "शॉप–बार (**Shop-Bar**) लायसेंस निम्न प्रतिबन्धों के अधीन गुण–दोष के आधार पर संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृत किये जा सकेंगे :–

31.1 **"शॉप–बार" का कवर्ड एरिया (उपभोग परिसर) कम से कम 300 वर्गफीट होगा। ऐसा परिसर संबंधित विदेशी मदिरा दुकान से लगा होना अनिवार्य होगा, ताकि ग्राहक दुकान से विदेशी मदिरा का क्रय कर, उसका उपभोग इस परिसर में कर सकें। विदेशी मदिरा दुकानों के साथ शॉप बार का स्थान, यदि एक ही तल पर उपलब्ध नहीं है, तब स्थानीय परिस्थितियों का आंकलन एवं परीक्षण कर, विदेशी मदिरा दुकान से लगे हुए एक से अधिक तल पर निर्धारित क्षेत्रफल का कवर्ड एरिया (उपभोग परिसर) उपलब्ध होने पर कलेक्टर इसमें अपवाद स्वरूप शॉप बार लायसेंस स्वीकृत करने के लिये अधिकृत होंगे। वर्ष 2017–18 के लिए एक से अधिक तल पर शॉप बार लायसेंस उपलब्ध कराए जाने पर शॉप बार लायसेंस की फीस निम्नानुसार प्रभारित की जावेगी।**

(1) शॉप बार का कवर्ड एरिया केवल एक तल पर – विदेशी मदिरा दुकान के वार्षिक मूल्य की 1 प्रतिशत राशि।

(2) शॉप बार का कवर्ड एरिया एक से अधिक तल पर – विदेशी मदिरा दुकान के वार्षिक मूल्य की 1. 5 प्रतिशत राशि।

31.2 "शॉप–बार" परिसर अनिवार्यतः एयर कूल्ड/एयर कन्डीशन्ड होगा।

31.3 "शॉप–बार" परिसर में शुद्ध जल की उपलब्धता अनिवार्य होगी।

31.4 "शॉप–बार" परिसर में शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

31.5 "शॉप–बार" में फर्नीचर, हवा, प्रकाश एवं अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था होगी। "शॉप–बार" परिसर में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य–रक्षा **(Hygiene)** का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

31.6 "शॉप–बार" 12 फीट से कम चौड़ी गली में स्थित नहीं होगा।

31.7 "शॉप–बार" में वाहनों की उचित पार्किंग की व्यवस्था होगी। पार्किंग स्थल पर भीड़ भाड़ की स्थिति में वाहनों की पार्किंग न हो पाने पर वेले पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाकर अन्यत्र सुविधाजनक सार्वजनिक पार्किंग स्थल का उपयोग किया जाये।

31.8 "शॉप–बार" का संचालन लायसेंसी द्वारा स्वयं किया जाना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को संचालन की पात्रता नहीं होगी। ऐसा पाया जाने पर "शॉप–बार" हेतु स्वीकृत एफ.एल. –1–ख लायसेंस निरस्त कर दिया जावेगा।

31.9 मदिरा पान किए हुए व्यक्तियों के सद्व्यवहार को बनाये रखने के लिए कम से कम दो सुरक्षा गार्ड रखना अनिवार्य होगा।

31.10 शॉपबार का संचालन यथासंभव क्लोज्ड (बंद) परिसर में इस प्रकार किया जावे ताकि निकटवर्ती रहवासियों एवं जनसामान्य को असुविधा न हो ।

31.11 <u>पुनर्स्थापित विदेशी मदिरा दुकान के लिये विशेष बार लायसेंस (एफ.एल.–2–ए) की स्वीकृति :–</u>
उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पालन में राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों से 500 मीटर दूर मदिरा दुकानों को पुनर्स्थापित किया जायेगा। शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2017–18 के लिये पुनर्स्थापित विदेशी मदिरा दुकान अथवा पुनर्स्थापित विदेशी मदिरा दुकानयुक्त एकल समूह के अनुज्ञप्तिधारियों को, उनकी पुनर्स्थापित विदेशी मदिरा दुकान की अवस्थिति के लिये निर्धारित परिक्षेत्र में माननीय उच्चतम न्यायालय की आदेशित व्यवस्था का पालन करते हुए तथा सामान्य प्रयुक्ति के नियमों के नियम–1 के अनुसार प्रति विदेशी मदिरा दुकान के मान से एक विशेष बार लायसेंस (एल.एल.–2–ए) संबंधित संभाग के उपायुक्त आबकारी की सहमति से कलेक्टर द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा। इस विशेष बार लायसेंस (एल.एल.–2–ए) की लायसेंस फीस वही रहेगी जो वर्ष 2017–18 के लिये उस स्थान के लिये अन्य रेस्तरां बार (एल.एल.–2) के लिये शासन द्वारा निर्धारित है। इस लायसेंस की स्वीकृति के मापदण्ड एवं विदेशी मदिरा विक्रय की व्यवस्था आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित की जायेगी।

32. <u>देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था</u>

वर्ष 2017–18 के लिये देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी :–

32.1 वर्ष 2017–18 में देशी मदिरा की दो किस्में मसाला 25 डिग्री अन्डरप्रूफ एवं प्लेन 50 डिग्री अन्डरप्रूफ पूर्ववत प्रचलन में रहेंगी। देशी मदिरा मसाला <u>"रंगीन"</u> तथा प्लेन मदिरा <u>"रंगहीन"</u> होगी।

32.2 देशी मदिरा की भराई पूर्वानुसार शब्द "देशी मदिरा" व "म0प्र0 आबकारी" तथा बोतल की धारिता उत्कीर्ण की हुई कांच की बोतलों में की जाएगी। कांच के साथ पैट बोतलों में भी देशी मदिरा की भराई की जाएगी। पैट बोतलों में बोतल की धारिता उत्कीर्ण होगी।

32.3 देशी मदिरा का प्रदाय कांच तथा पैट बोतलों में मदिरा की दुकान के लायसेंसी की मांग अनुसार किया जायेगा। इसके लिए संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी अधिकृत होंगे, जिनके निर्देशानुसार देशी मदिरा स्टोरेज भाण्डागारों के मद्य भाण्डागार अधिकारी इस आशय का मांग पत्र प्रदाय संविदाकार को भेजेंगे कि उन्हें कांच और पैट में कितनी–कितनी और किस–किस धारिता की बोतल बन्द देशी मदिरा भेजी जाये।

32.4 वर्ष 2017–18 के लिए देशी मदिरा की बोतलों की धारिता पूर्वानुसार 750 मिलीलीटर, 375 मिलीलीटर तथा 180 मिलीलीटर की होगी।

32.5 देशी मदिरा मसाला एवं प्लेन की प्रत्येक पेटी में 750 मिलीलीटर धारिता की बोतलों के 12 नग, 375 मिलीलीटर धारिता की बोतलों के 24 नग तथा 180 मिलीलीटर धारिता की बोतलों के 50 नग होंगे। देशी मदिरा तीन प्लाई के मजबूत कोरोगेटेड बॉक्स में प्रदाय संविदाकार आसवक द्वारा अपनी बॉटलिंग इकाई में पैक की जाएगी।

32.6 फुटकर ठेकेदार अपनी आवश्यकता के अनुसार बोतल बंद देशी मदिरा, वर्तमान स्टोरेज मद्य भाण्डागार के माध्यम से शासन द्वारा अनुमोदित प्रदाय संविदाकार से निम्नानुसार वर्णित प्रति पेटी दरों पर क्रय कर सकेगा। कांच एवं पैट बोतलों की प्रति पेटी कीमत पृथक–पृथक होगी, किन्तु कांच में अथवा पैट में बोतल, अद्धा तथा पाव की पेटियों की प्रदाय दर एक समान होगी।

क्रम	किस्म मदिरा	प्रतिपेटी प्रदाय दर (रूपयों में)	
		कांच	पैट
1	25 डिग्री अण्डर प्रूफ मसाला	520	471
2	50 डिग्री अण्डर प्रूफ प्लेन	445	398

32.7 देशी मदिरा भाण्डागार से उसी किस्म एवं धारिता की बोतल बंद देशी मदिरा प्रदाय की जाएगी, जो तत्समय गोदाम में भण्डारित होकर प्रदाय के लिये उपलब्ध होगी।

32.8 देशी मदिरा की दुकान के लायसेंसी को देशी मदिरा का प्रदाय लेने पर देशी मदिरा प्रदाय संविदाकार को देय वैट (वेल्यू एडेड टैक्स) की राशि का भी भुगतान पृथक से करना होगा।

32.9 वर्ष 2017–18 के दौरान देशी मदिरा की आपूर्ति उपरोक्त प्रस्तावित व्यवस्था के अतिरिक्त, किसी अन्य प्रकार से भी की जा सकेगी, जैसा कि इस संबंध में राज्य शासन द्वारा आदेशित किया जाये।

32.10 वर्ष 2017–18 में देशी मदिरा मसाला एवं प्लेन की कांच एवं पैट बोतलों की पेटियों (बोतल, अद्धा ,पाव) के आपूर्तिकर्ता प्रदाय संविदाकार द्वारा धारितावार पेटी का वजन घोषित किया जाकर उसे पेटी के कार्टन पर मुद्रित/चस्पा किया जायेगा। संदेह की स्थिति में, देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसी को देशी मदिरा के स्टोरेज भाण्डागारों पर देशी मदिरा की पेटी/पेटियों को तौल कर, उस पर अंकित वजन अनुसार प्रदाय दिया जा सकेगा।

32.11 प्रदाय संविदाकार द्वारा वर्ष 2017–18 में जिस जिले (प्रदाय क्षेत्र) के लिये देशी मदिरा प्रदाय की जा रही है, उस जिले (प्रदाय क्षेत्र) का नाम देशी मदिरा की प्रत्येक धारिता की बोतलों (750 मिलीलीटर, 375 मिलीलीटर, 180 मिलीलीटर) के लेबिल पर मुद्रित किया जायेगा।

32.12 देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के लायसेंसी को स्टोरेज भांडागारों से संबद्ध देशी मदिरा दुकान के लिये प्रदायित मदिरा का परिवहन सी.एस.–4–क परिवहन अनुज्ञापत्र पास पर करना होगा।

33. <u>विदेशी मदिरा का प्रदाय</u>

33.1 वर्ष 2017–18 में विदेशी मदिरा की दुकान के लायसेंसी द्वारा मांग अनुसार चाही गयी विदेशी मदिरा का प्रदाय, देय कीमत का पृथक से भुगतान किये जाने पर संभागीय मुख्यालयों तथा जिला मुख्यालय सिवनी, शहडोल, छतरपुर व शिवपुरी, जिला होशंगाबाद के इटारसी, जिला रतलाम के जावरा तथा जिला खरगोन के सनावद में स्थापित विभागीय नियंत्रण के अधीन संचालित विदेशी मदिरा भांडागारों के माध्यम से, पूर्व आदेशित व्यवस्था अनुसार किया जाएगा।

33.2 वर्ष 2017–18 में भी विदेशी मदिरा की दुकान के लायसेंसी को विदेशी मदिरा का प्रदाय लेने पर देय वैट (वेल्यू एडेड टैक्स) की राशि का भी भुगतान पृथक से करना होगा।

33.3 वर्ष 2017–18 में मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विभाग के स्वामित्व की इकाइयों सहित सभी रेस्टोरेंट बार (एफ.एल.–2), होटल बार (एफ.एल.–3), रिसोर्ट बार (एफ.एल.–3–क) तथा क्लब बार (एफ.एल.

–4/4–क) लायसेंस अन्तर्गत उस जिले में जहां ऐसी होटल इकाई स्थित एवं संचालित है, के लिये नामांकित विदेशी मदिरा भाण्डागार से लेबिल विशेष की न्यूनतम एक पेटी (नियमानुसार स्पिरिट के मामले में 12 क्वार्ट बोतल तथा वाईन एवं बीयर के मामले में 12 क्वार्ट बोतल अथवा समतुल्य) विदेशी मदिरा का प्रदाय उस लेबिल विशेष की प्रति बोतल घोषित न्यूनतम विक्रय मूल्य (**M.S.P.**) के आधार पर एक पेटी के लिये भुगतान योग्य राशि एवं उस पर देय वैट टैक्स के पृथक से किये गये भुगतान के विरूद्ध प्रदाय की जायेगी।

33.4 विदेशी मदिरा की समस्त दुकानों एवं बार लायसेंसियों को विदेशी मदिरा भाण्डागार से उसी किस्म, लेबिल एवं साईज की विदेशी मदिरा प्रदाय की जायेगी, जो तत्समय विदेशी मदिरा भाण्डागार में भण्डारित होकर प्रदाय के लिये उपलब्ध होगी।

33.5 विदेशी मदिरा विनिर्माणी इकाइयों द्वारा वर्ष 2017–18 में अपने विदेशी मदिरा उत्पादों की सभी पेटियों का धारितावार वजन घोषित कर कार्टन पर मुद्रित/चस्पा किया जायेगा। संदेह की स्थिति में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री दुकान के लायसेंसी को विदेशी मदिरा भाण्डागारों पर विदेशी मदिरा की पेटी/पेटियों को तौल कर, उस पर अंकित वजन अनुसार प्रदाय दिया जा सकेगा।

33.6 विदेशी मदिरा भाण्डागारों में, किसी पक्ष में विदेशी मदिरा के प्रदाय हेतु नियत अंतिम कार्य दिवस को, यदि विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के दुकान के लायसेंसी द्वारा समस्त औपचारिकताओं यथा विदेशी मदिरा की देय कीमत, देय वैट कर की राशि, देय परिवहन फीस एवं देय आयकर की राशि जमा करा दी जाती है, लेकिन विदेशी मदिरा भाण्डागार पर कार्याधिक्य के कारण विदेशी मदिरा का प्रदाय उसी दिन दिया जाना संभव न हो सके, तो विदेशी मदिरा भाण्डागार के प्रभारी अधिकारी, दैनंदिनी डी–21 में ऐसे कारणों एवं तथ्यों को अभिलिखित कर, आगामी कार्य दिवस को भी प्रदाय दिये जाने के लिये अधिकृत होंगे। ऐसे प्रकरणों में किसी भी जिला कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता तिथि, उस अंतिम कार्य दिवस को समाप्त भी हो रही हो, तब भी इस स्थिति में उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के विरूद्ध, उसके आगामी कार्य दिवस में परिवहन पारपत्र जारी किये जाने के लिये संबंधित विदेशी मदिरा भाण्डागार के प्रभारी अधिकारी अधिकृत होंगे।

34. <u>विदेशी मदिरा भाण्डागार से प्रदायित विदेशी मदिरा पर देय परिवहन फीस एवं उसका जमा कराया जाना।</u>

विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसियों द्वारा विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन तथा बीयर) की प्रतिपेटी घोषित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर पर 8 प्रतिशत की दर से परिवहन फीस पूर्ववत देय होगी। वर्ष 2017–18 में देय परिवहन फीस की राशि भी विदेशी मदिरा भाण्डागारों पर विदेशी मदिरा की कीमत जमा कराये जाने के लिये अधिकृत बैंक में ही जमा करायी जायेगी।

35. <u>ड्राफ्ट बीयर के प्रदाय के संबंध में</u>

(1) वर्ष 2017–18 में भी विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की एफ.एल.–1/एफ.एल.–1 कककक दुकानों से लूज (गैर बोतल बन्द) ड्राफ्ट बीयर का विक्रय नहीं किया जायेगा।

(2) लूज (गैर बोतल बन्द) ड्राफ्ट बीयर, केवल रेस्तरां बार (एफ.एल.–2), होटल बार (एफ.एल.–3), रिसोर्ट बार (एफ.एल.–3–क), सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.–4), व्यवसायिक क्लब बार (एफ. एल.–4क), आकस्मिक लायसेंस (एफ.एल.–5) तथा सैनिक कैन्टीन क्लब बार (एफ.एल.–8) लायसेंसी को नियत ड्यूटी के अग्रिम भुगतान के विरूद्ध जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण–पत्र के आधार पर, उत्पादन इकाई के भारसाधक अधिकारी द्वारा जारी किये गये परिवहन पारपत्र पर उत्पादन इकाई से सीधे खपत के बिन्दु के लिए प्रदाय की जाएगी।

36. <u>निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी जमा करने की प्रक्रिया :–</u>

36.1 वर्ष 2017–18 में मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लिए परिगणित निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि 24 पाक्षिक किश्तों में वसूली योग्य होगी। ये किश्तें समान रूप से विभाजित नहीं होंगीं। वर्ष के प्रथम त्रैमास में वार्षिक मांग का 30 प्रतिशत, द्वितीय त्रैमास में वार्षिक मांग का 20 प्रतिशत तथा वर्ष के तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमासों में वार्षिक मांग का क्रमशः 25 एवं 25 प्रतिशत भाग वसूल किया जायेगा।

किसी भी त्रैमास में वसूली योग्य इस राशि को छः समान भागों में बांटा जाएगा। यदि यह राशि छः समान भागों में विभाज्य नहीं है तो अविभाज्य शेष भाग को संबंधित त्रैमास की प्रथम पाक्षिक किश्त में समायोजित किया जाएगा। परन्तु अंतिम 24 वीं किश्त अर्थात ठेका अवधि की अंतिम किस्त 25 मार्च 2018 तक जमा करना अनिवार्य होगा। 25 मार्च, 2018 के पश्चात् जमा राशि के विरूद्ध मदिरा प्रदाय की पात्रता नहीं होगी। दिनांक 25 मार्च 2018 को जमा चालानों पर 27 मार्च 2018 तक ही प्रदाय दिया जायेगा।

36.2 देशी मदिरा अथवा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा देशी मदिरा तथा/अथवा विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर) की जो मात्रा क्रय की जायेगी, उसके एवज में निर्धारित दरों पर जमा ड्यूटी की राशि, उसकी संबंधित पक्ष की निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की निर्धारित पाक्षिक मांग के विरूद्ध समायोजित की जायेगी।

36.3 यदि किसी पक्ष के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के समतुल्य मदिरा क्रय करने के उपरांत अनुज्ञप्तिधारी और अधिक मदिरा क्रय करता है। इस प्रकार अधिक जमा ड्यूटी की राशि का समायोजन संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आगामी अवधि की निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि की मांग के विरूद्ध अनुमत किया जा सकेगा।

36.4 यदि किसी देशी मदिरा अथवा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसी द्वारा संबंधित पक्ष की देय निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि की निर्धारित पाक्षिक किश्त, अपरिहार्य कारणों से उसी पक्ष में जमा न कराई जाकर, ठीक **आगामी पक्ष के प्रथम तीन कार्यकारी दिवसों** में जमा कराई जाती है तो, ऐसी विलम्ब से जमा कराई गई न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के विरूद्ध उसे ठीक आगामी पक्ष **(very next अर्थात वह पक्ष जिसमें राशि वास्तविक रूप से जमा हुई है) के प्रथम पांच कार्यकारी दिवसों में ही मदिरा का प्रदाय दिया जा सकेगा।** यदि किसी देशी मदिरा अथवा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लायसेंसी द्वारा संबंधित पक्ष की देय पाक्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराई जाती है तथा इसके पश्चात् विलंब से जमा कराई जाती है तो ऐसी जमा कराई गई न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के विरूद्ध मदिरा प्रदाय की पात्रता नहीं होगी तथा यह राशि न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी के विरुद्ध नगद में समायोजन योग्य होगी। संबंधित पक्ष की सम्पूर्ण निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि यदि ठीक **आगामी पक्ष के प्रथम तीन कार्यकारी दिवसों** की **समाप्ति** तक जमा नहीं कराई जाती है तो, उसे स्वीकृत लायसेंस निरस्त किया जा सकेगा।

36.5 एकल समूह की मदिरा दुकानों का पृथक–पृथक एवं स्वतंत्र अस्तित्व रहेगा, किन्तु एकल समूह की किसी भी एक या एक से अधिक दुकानों की पाक्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि बकाया रहने पर, वह बकाया संपूर्ण एकल समूह की बकाया मानी जाएगी। ऐसी बकाया रहने पर, उस एकल समूह की किसी एक दुकान की न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी आगामी पक्ष के तीन कार्यकारी दिवसों में जमा करने के पश्चात् भी ठीक **आगामी पक्ष के प्रथम पांच कार्यकारी दिवसों** में तब तक मदिरा का प्रदाय नहीं किया जाएगा, जब तक उस एकल समूह की समस्त मदिरा दुकानों की संबंधित पक्ष की अवशेष निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि आगामी पक्ष के प्रथम तीन कार्यकारी दिवसों में जमा न हो जाए। यह बकाया/अवशेष निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि यदि ठीक **आगामी पक्ष के प्रथम तीन कार्यकारी दिवसों** की समाप्ति तक जमा नहीं कराई जाती है तो, उस अवधि की समाप्ति पर संपूर्ण एकल समूह का लायसेंस निरस्त किया जा सकेगा, तथा/अथवा एकल समूह की सभी दुकानों के संचालन की अन्य व्यवस्था की जा सकेगी।

37. <u>देशी एवं विदेशी मदिरा के पाक्षिक प्रदाय की प्रशासनिक नियंत्रण की दृष्टि से व्यवस्था</u>

37.1 मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के अनुज्ञप्तिधारक को किसी पक्ष में देय निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि के विरूद्ध, मदिरा प्राप्त करने के लिये बैंक ड्राफ्ट/बैंक कैश आर्डर अथवा ऑन लाईन जमा ड्यूटी की राशि की रसीद/कोषालय चालान, राशि जमा किये जाने के 05 दिवस के अन्दर

अथवा पक्षांत तक, जो भी पहले हो, संबंधित भाण्डागार अधिकारी अथवा जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

37.2 माह मार्च द्वितीय पक्ष को छोड़कर, अन्य किसी भी माह के संबंधित पक्ष में देय न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश आर्डर द्वारा अथवा ऑन लाईन जमा राशि की रसीद/चालान पर, ड्यूटी की राशि जमा किये जाने के दिनांक से 05 दिन बाद तक की अवधि में ही लायसेंसी को देशी मदिरा/विदेशी मदिरा के प्रदाय की पात्रता होगी।

37.3 अनुज्ञप्तिधारक को पक्षांत तक पक्ष की सम्पूर्ण न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी जमा न करने की स्थिति में जमा राशि के विरूद्ध पक्षांत पश्चात् प्रथम पांच कार्यकारी दिवसों में मदिरा का प्रदाय तभी देय होगा, जब उस (विगत) पक्षांत तक देय सम्पूर्ण निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि अनुज्ञप्तिधारक द्वारा संबंधित पक्षान्त के आगामी प्रथम 03 कार्यकारी दिवसों की अवधि में पूर्ण रूप से जमा कर दी गई हो।

37.4 अन्यथा स्थिति में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश आर्डर द्वारा अथवा ऑन लाईन जमा ड्यूटी की राशि को संबंधित लायसेंसी की उस पक्ष की न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि की पाक्षिक मांग के विरूद्ध, नगद राशि जमा मानकर समायोजित किया जायेगा। लायसेंसी को ड्यूटी की ऐसी बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश आर्डर द्वारा अथवा ऑन लाईन जमा राशि के विरूद्ध पश्चातवर्ती अवधि में मदिरा प्रदाय की पात्रता नहीं होगी।

37.5 तीन (03) दिनों की इस अवधि में, जिस दिन राशि जमा की गई है, वह दिन एवं सार्वजनिक अवकाश/बैंक अवकाश एवं बैंक हड़ताल के दिन (यदि कोई हों) गणना में नहीं लिये जायेंगे।

37.6 प्रशासनिक कारणों से एवं भविष्य में मदिरा दुकानों के पुनर्निष्पादन की संभावना कम किये जाने के दृष्टि कोण से राजस्व हित में मदिरा दुकानों का संचालन, वर्तमान लायसेंसी द्वारा किया जा सके, ऐसे प्रकरणों में स्थानीय परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में शासन राजस्व को सुरक्षित रखने हेतु ऐसे प्रावधानित बन्धनों से छूट देने का निर्णय लिये जाने हेतु आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश अधिकृत होंगे।

37.7 जनरल क्लाजेज एक्ट (साधारण खण्ड अधिनियम) की धारा–7 के अनुसार, यदि मध्यप्रदेश में लागू किसी अधिनियम के अन्तर्गत किसी कार्य को करने के लिए कोई निश्चित तिथि या अवधि के अन्तिम दिवस में कार्यालय बन्द हो और यदि उसके अगले कार्यकारी दिवस में वह कार्य किया जाता है तो, उस कार्य को समय पर किया जाना माना जाएगा। तदनुसार यदि पक्ष के अन्तिम दिवस/दिवसों में निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत घोषित अवकाश में बैंक बन्द रहता है, जिसके कारण पक्ष के अन्तिम कार्यकारी दिवस में न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि जमा न की जाकर, उसके बाद आने वाले कार्यकारी दिवस में जमा की जाती है, तो ऐसी जमा न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि को पूर्ववर्ती पक्ष में जमा न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि मानकर कार्यवाही की जायेगी।

38. <u>सम्पूर्ण वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी जमा होने के बाद मदिरा का प्रदाय</u>

किसी मदिरा दुकान/एकल समूह की वर्ष 2017–18 के लिये निर्धारित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि सम्पूर्ण रूप से जमा हो जाने के उपरांत, वर्ष की शेष अवधि में संबंधित दुकान को मदिरा का प्रदाय दिये जाने के लिये अतिरिक्त रूप से वार्षिक लायसेंस फीस जमा कराये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही सम्पूर्ण वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि से अधिक उठाई गई मदिरा की मात्रा पर देय आबकारी शुल्क में 50 प्रतिशत छूट दी जायेगी। लायसेंसी को उसकी मांग अनुसार मदिरा का प्रदाय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश आर्डर द्वारा अथवा साईबर ट्रेजरी में ऑन लाईन जमा देय ड्यूटी की राशि के विरूद्ध दिया जायेगा। अर्थात वर्ष 2017–18 के लिये किसी लायसेंसी द्वारा उसकी मदिरा दुकान (एकल समूह की स्थिति में समूह में सम्मिलित सभी मदिरा दुकानों) के पूरे वर्ष का वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि जमा कर दिये जाने की स्थिति में मदिरा का प्रदाय लेने पर उपरोक्तानुसार छूट प्रदत्त ड्यूटी एवं देशी/विदेशी मदिरा की कीमत, देय आयकर एवं वैट (विदेशी मदिरा के मामले में परिवहन फीस) आदि के भुगतान के विरूद्ध अनुमत होगा। ऐसी स्थिति में प्रदाय की जाने वाली मदिरा की मात्रा की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी, किन्तु इस संबंध में सामान्य लायसेंस शर्त 29 के प्रावधान लागू होंगे। सामान्य लायसेंस शर्त 29 के अनुसार यदि किसी

दुकान में, मदिरा प्रदाय एक सीमा से अधिक संभव न हो, तो इस नियम के परन्तुक के आधार पर कलेक्टर के लिखित आदेश से अतिरिक्त मदिरा की आपूर्ति के आदेश जारी किये जा सकेंगे।

39. मदिरा स्कंध का एक मदिरा दुकान से उसी प्रकार की अन्य मदिरा दुकान में स्थानांतरण

वर्ष 2017–18 में किसी मदिरा दुकान पर अनुज्ञप्तिधारी की आवश्यकता से अधिक मदिरा संग्रहित होने पर, उसे उसी जिले की उसी प्रकार की अन्य दुकान में अंतरित करने की स्वीकृति, जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी। इसके लिए देशी मदिरा, विदेशी मदिरा (स्पिरिट एवं वाईन) पर रूपये 10.00 प्रति प्रूफ लीटर तथा बीयर पर रूपये 5.00 प्रति बल्क लीटर की दर से परिवहन फीस, जिस दुकान से मदिरा का अन्तरण किया जा रहा है, उस अनुज्ञप्तिधारी से अग्रिम जमा करायी जायेगी।

40. अवशेष मदिरा स्कंध का निराकरण

40.1 *वर्ष 2016–17 में ठेका अवधि समाप्त होने पर देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय की दुकान पर शेष बचे मदिरा स्कंध को वर्ष 2017–18 के लायसेंसी को सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक–25 के अनुपालन में अंतरित करना होगा। इस अंतरित मदिरा स्कंध पर वर्ष 2016–17 में भुगतान की गयी ड्यूटी की राशि का समायोजन, वर्ष 2017–18 की निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि में मान्य नहीं होगा। यदि वर्ष 2017–18 में लायसेंसी को ऐसे अवशेष मदिरा स्कंध पर ड्यूटी के अन्तर की राशि का भुगतान करना पड़ता है, तो केवल ऐसी ड्यूटी के अन्तर की राशि, उसकी वर्ष 2017–18 की देय निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के विरूद्ध समायोजन योग्य होगी। सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी इस तरह के मदिरा अंतरण की अनुमति अपने जिले में ही दे सकेंगे।*

40.2 यदि लायसेंसी को वर्ष 2017–18 के लिए उसी जिले में उसी स्वरूप की कोई अन्य मदिरा दुकान आंवटित नहीं होती है, लेकिन किसी अन्य जिले में उसी स्वरूप की कोई मदिरा दुकान आंवटित होती है, तो केवल ऐसी स्थिति में ही दिनांक 30 अप्रैल 2017 तक प्राप्त ऐसे प्रस्ताव पर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा अंतरण की अनुमति दी जायेगी।

40.3 मदिरा परिवहन की स्थिति में अवशेष मदिरा स्कंध देशी मदिरा, विदेशी मदिरा (स्पिरिट एवं वाईन) पर रूपये 10.00 प्रति प्रूफ लीटर तथा बीयर पर रूपये 5.00 प्रति बल्क लीटर की दर से परिवहन फीस प्रभारित की जायेगी।

41. मदिरा दुकानों से बिक्री का समय

मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की साफ–सफाई तथा मदिरा के प्रारंभिक संग्रह, आमद, विक्रय एवं अंतिम संग्रह के दैनिक लेखे की पंजियों को पूर्ण/संधारित किये जाने के लिये मदिरा दुकानें प्रातः 8.30 बजे से खोली जायेंगी। प्रातः 8.30 बजे से प्रातः 9.30 बजे तक का समय लेखा संधारण के लिए एवं मदिरा विक्रय का समय प्रातः 9.30 बजे से रात्रि में 11.30 बजे तक रहेगा। रेस्टोरेन्ट, होटल, रिसोर्ट तथा क्लब बार लायसेंस के अन्तर्गत परिसर में विदेशी मदिरा की बिक्री एवं उपभोग का समय प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 12.00 बजे तक यथावत रहेगा।

42. दुकानों का निरीक्षण

प्रत्येक लायसेंसी को अपने लायसेंस परिसर में विभाग द्वारा जारी की गई निरीक्षण पुस्तिका एवं मदिरा के प्रारंभिक संग्रह, आमद, विक्रय एवं अंतिम संग्रह के दैनिक लेखे की पंजियों का संधारण करना अनिवार्य होगा। इसमें आबकारी विभाग सहित किसी भी अधिकारी को दुकान में किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने के पूर्व अपना नाम, पदनाम, आगमन का दिनांक व समय अंकित करने के साथ हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात ही वह अग्रिम कार्यवाही करेगा। ऐसी कार्यवाही का संक्षिप्त सारगर्भित विवरण भी उक्त निरीक्षण पुस्तिका में अंकित किया जायेगा। यह निरीक्षण पुस्तिका आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा नियत की गई कीमत के अग्रिम भुगतान के विरूद्ध लायसेंसी को प्रदाय की जायेगी। लायसेंसी को अपनी दुकान में क्लोज सर्किट टेलीविजन या वीडियो कैमरा के उपयोग की अनुमति होगी।

43. लायसेंस का हस्तांतरण

(1) वर्ष 2017–18 के लिये निष्पादित मदिरा दुकानों के लायसेंसी द्वारा निष्पादन उपरांत किसी अपरिहार्य परिस्थिति में उसकी मदिरा दुकान/एकल समूह का अन्तरण, लायसेंस की शेष अवधि के लिये किसी अन्य व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में किया जाता है, तो ऐसा अन्तरणकर्ता (मूल लायसेंसी) उक्त मदिरा दुकान/एकल समूह के वार्षिक मूल्य आदि का भुगतान करने के लिए बाध्य रहेगा। साथ ही वह व्यक्ति/फर्म/कम्पनी जिसके नाम लायसेंस का हस्तांतरण किया जायेगा (अंतरणग्रहीता) भी उक्त मदिरा दुकान/एकल समूह के वार्षिक मूल्य आदि का सम्यक भुगतान करने एवं लायसेंस की शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य रहेंगे। **मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लायसेंस के ऐसे हस्तांतरण के लिए उस मदिरा दुकान/एकल समूह के वर्ष 2017–18 के वार्षिक मूल्य के 01 प्रतिशत के समतुल्य राशि हस्तांतरण फीस के रूप में पृथक से अग्रिम जमा करायी जायेगी।**

(2) वर्ष 2017–18 एवं आगामी अवधि के लिए निष्पादित मदिरा दुकानों के सफल अथवा चयनित आवेदक/टेण्डरदाता/लायसेंसी की मृत्यु की स्थिति में संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह का अन्तरण लायसेंसी के वैध वारिस अर्थात उसकी पत्नी अथवा उसके पारिवारिक सदस्य के पक्ष में किये जाने पर, ऐसा अंतरणग्रहीता उक्त मदिरा दुकान/एकल समूह के वार्षिक मूल्य आदि का सम्यक भुगतान करने एवं लायसेंस की शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य रहेगा। ऐसी मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लायसेंस के हस्तांतरण के लिए किसी भी रूप में कोई हस्तांतरण फीस देय नहीं होगी।

44. वर्षान्त में प्रतिभूति का निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि में समायोजन

44.1 देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों के लायसेंसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 की समाप्ति के पूर्व जब भी प्रतिभूति की राशि को कम कर, शेष सम्पूर्ण देय निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि एवं उस अवधि की अन्य कोई भी देय राशि जमा कर दी जाती है तथा लायसेंसी जमा प्रतिभूति की राशि का समायोजन, शेष रही निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के विरूद्ध चाहता है तो, संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा ऐसे समायोजन की स्वीकृति, संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह का वार्षिक मूल्य रूपये एक करोड़ तक होने पर रूपये एक लाख एवं वार्षिक मूल्य रूपये एक करोड़ से अधिक होने पर, प्रति अतिरिक्त रूपये एक करोड़ अथवा उसके अंश के लिये आनुपातिक रूप से रूपये एक लाख के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति राशि प्राप्त कर आदेशित की जायेगी। अतिरिक्त प्रतिभूति की यह राशि संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा में देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश ऑर्डर के रूप में प्रस्तुत की जा सकेगी।

44.2 उपरोक्त **कण्डिका क्रमांक–44.1** अनुसार अतिरिक्त प्रतिभूति प्राप्त करने के उपरान्त देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों के लायसेंसी द्वारा जमा अग्रिम प्रतिभूति की राशि में से, वर्ष 2017–18 के लिए मदिरा का प्रदाय दिया जा सकेगा, किन्तु किसी भी पक्ष में निर्धारित देय पाक्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि से अधिक मदिरा की मात्रा का प्रदाय नहीं दिया जायेगा।

44.3 प्रतिभूति की राशि यदि बैंक गारंटी अथवा बैंक सावधि जमा के रूप में है, तो ऐसी प्रतिभूति की राशि के विरूद्ध मदिरा का प्रदाय, बैंक गारंटी अथवा बैंक सावधि जमा की राशि मुख्य राजस्व शीर्ष 0039 राज्य उत्पादन शुल्क में कोषालय चालान द्वारा जमा होने के उपरान्त ही अनुमत होगा।

45. लायसेंस अवधि की समाप्ति पर प्रतिभूति राशि को 30 अप्रैल के पूर्व वापिस किया जाना।

यदि किसी देशी/विदेशी मदिरा की दुकान/एकल समूह का वर्ष 2017–18 का लायसेंसी अपनी जमा प्रतिभूति का रिफन्ड 30 अप्रैल 2018 के पूर्व चाहता है, तो संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अभिलेखों में लायसेंसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 की निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि एवं उस अवधि की अन्य सभी देय राशि जमा करा लिये जाने का प्रमाण पत्र अंकित कर, संबंधित मदिरा

दुकान/एकल समूह का वार्षिक मूल्य रूपये एक करोड़ तक होने पर, रूपये एक लाख एवं वार्षिक मूल्य रूपये एक करोड़ से अधिक होने पर, प्रति अतिरिक्त रूपये एक करोड़ अथवा उसके अंश के लिये आनुपातिक रूप से रूपये एक लाख के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति राशि प्राप्त कर, मूल प्रतिभूति की राशि को वापिस करने की अनुमति देने के लिये अधिकृत होंगे। अतिरिक्त प्रतिभूति की यह राशि संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी, किसी भी रांष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा में देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश ऑर्डर के रूप में प्रस्तुत की जा सकेगी।

46. <u>मदिरा दुकानों के लिए गोदाम की व्यवस्था</u>

46.1 विदेशी मदिरा दुकानों में, विदेशी मदिरा के संग्रह के लिये पर्याप्त स्थान न होने पर, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों व आदेशित प्रतिबंधों के अधीन, संबंधित कलेक्टर द्वारा वर्ष 2017–18 में नगर निगम/नगर पालिका/ कैन्टोनमेन्ट/नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विदेशी मदिरा दुकानों में गोदाम स्वीकृत किया जा सकेगा। ऐसी स्वीकृति में संभाग के उपायुक्त आबकारी की सहमति अनिवार्य होगी।

46.2 देशी मदिरा दुकानों में, देशी मदिरा के संग्रह के लिये पर्याप्त स्थान न होने पर, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों व आदेशित प्रतिबंधों के अधीन, संबंधित कलेक्टर द्वारा वर्ष 2017–18 में नगर निगम/नगर पालिका/ कैन्टोनमेन्ट/नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित देशी मदिरा दुकानों में गोदाम स्वीकृत किया जा सकेगा। ऐसी स्वीकृति में संभाग के उपायुक्त आबकारी की सहमति अनिवार्य होगी।

46.3 देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के लिये अतिरिक्त गोदाम स्वीकृत किये जाने पर वर्ष 2017–18 के लिये निम्नानुसार गोदाम अनुमति शुल्क प्रभारित की जायेगी:–

(1) नगर निगम/नगर पालिका/ कैन्टोनमेन्ट क्षेत्र में स्थित देशी/विदेशी मदिरा दुकान के लिए रुपये 75,000/–

(2) नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्रों मे स्थित देशी/विदेशी मदिरा दुकान के लिए रुपयें 50,000/–

46.4 वर्ष 2017–18 के लिये ऑफ श्रेणी की देशी मदिरा दुकानों को प्रारूप सी.एस.–2–ग (अहाता लायसेंस) पर निम्नानुसार लायसेंस शुल्क प्रभारित किया जावेगा :–

(1) नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्र में स्थित देशी मदिरा दुकान के लिए रुपये 50,000/–

(2) नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र मे स्थित देशी मदिरा दुकान के लिए रुपये 25,000/–

46.5 देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के गोदाम स्वीकृत किये जाने संबंधी आवेदन पत्र प्राप्त होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर निराकृत किया जाना आवश्यक होगा।

47. <u>मध्यप्रदेश राज्य में उत्पादित अंगूर से मध्यप्रदेश राज्य में निर्मित वाईन के फुटकर बिक्री की अनुमति</u>

राज्य शासन द्वारा घोषित वाईन नीति के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य में उत्पादित अंगूर से मध्यप्रदेश राज्य में ही विनिर्मित वाईन के विपणन के संबंध में कम्पनी रिटेल आउटलेट की भांति विनिर्माता इकाई द्वारा फ्रेंचाईजी/अधिकृत किये गये व्यक्ति को भी प्रत्येक जिला मुख्यालय पर व मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा चयनित/घोषित/पंजीकृत पर्यटन क्षेत्र/स्थानों पर भी ऐसी वाईन के फुटकर विक्रय के लिए एक या अधिक रिटेल आउट–लेट स्वीकृत किये जाने की अनुमति पूर्व निर्धारित शर्तों पर दी जा सकेगी। इन रिटेल आउटलेट पर वाईन की आपूर्ति विनिर्माणी (वाईनरी) से सीधे की जा सकेगी। जिले की विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान और बार के लायसेंसी को उसी जिले के रिटेल आउटलेट से ऐसी वाईन प्रदाय की जा सकेगी। इसकी वार्षिक लायसेंस फीस पूर्ववत रुपये 100/– रहेगी।

48. <u>पुनर्निष्पादन</u>

वर्ष 2017–18 के लिए सार्वजनिक रूप से ई–टेण्डर द्वारा निष्पादित किये जाने पर किसी भी मदिरा दुकान/एकल समूह का पुनर्निष्पादन, इस आधार पर आदेशित नहीं किया जायेगा कि उसके निष्पादन के समय उपस्थित कोई टेण्डरदाता, निष्पादन की प्रक्रिया में प्राप्त उच्चतम ऑफर के विरुद्ध अधिक ऑफर देने का इच्छुक होकर, निष्पादित की गयी मदिरा दुकान के पुनर्निष्पादन की अपेक्षा रखता हो।

49. लायसेंस अवधि के दौरान दुकान का पुनर्निष्पादन

लायसेंस अवधि के दौरान लायसेंस शर्तों के उल्लंघन, निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि जमा न करने अथवा किसी अन्य कारण से, यदि मदिरा दुकान/एकल समूह का लायसेंस निरस्त किए जाने की स्थिति बनती है तो ऐसी स्थिति में जिला समिति को उस मदिरा दुकान/एकल समूह को पुनः निष्पादित करने के अधिकार होंगे। एकल समूह की स्थिति में किसी एक मदिरा दुकान का लायसेंस निरस्त किये जाने की स्थिति निर्मित होने पर, उक्त एकल समूह की सभी मदिरा दुकानों का लायसेंस निरस्त किया जायेगा। लायसेंस निरस्त किए जाने के पश्चात मूल अनुज्ञप्तिधारी के उत्तरदायित्व पर, उस मदिरा दुकान/एकल समूह का पुनः निष्पादन ई-टेण्डर/टेंडर के माध्यम से किया जाएगा। मदिरा दुकान/एकल समूह का पुनः निष्पादन होने तक उसका विभागीय संचालन स्थानीय अधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से किया जाएगा। ई-टेण्डर/टेंडर के माध्यम से मदिरा दुकान/एकल समूह के पुनः निष्पादन अथवा विभागीय संचालन में, वर्ष 2017-18 के लिए निष्पादन उपरान्त प्राप्त वार्षिक मूल्य की तुलना में, जो भी राशि कम प्राप्त होगी, वह मूल अनुज्ञप्तिधारी से वसूली योग्य होगी। पुनः निष्पादन किस मूल्य पर अंतिम किया जाए, इसके लिए जिला समिति को मैदानी वास्तविकताओं के आधार पर निर्णय लेने के अधिकार होंगे।

50. मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों पर साईन बोर्ड

मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसी द्वारा मदिरा दुकान पर अधिक से अधिक 10 फुट लम्बे एवं 4 फीट चौड़े/ऊंचे आकार का एक साईन बोर्ड लगाया जायेगा जिस पर हिन्दी/अंग्रेजी में मोटे अक्षरों में केवल मदिरा दुकान का प्रकार, उसकी अवस्थिति, लायसेंस का क्रमांक, लायसेंस की अवधि तथा लायसेंसी का नाम अंकित होगा। इस बोर्ड पर "मदिरापान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" अंकित करना होगा।

51. शुष्क दिवस

वर्ष 2017-18 के लिए शासन द्वारा अधिसूचित अनुसार 3 शुष्क दिवस निम्नानुसार रहेंगे:-

51.1 15 अगस्त, 2017 (स्वतंत्रता दिवस)

51.2 02 अक्टूबर, 2017 (महात्मा गांधी जयंती)

51.3 26 जनवरी, 2018 (गणतंत्र दिवस)

(1) इसके अतिरिक्त कलेक्टर को प्रशासकीय तथा लोकहित में यह भी अधिकार होगा कि किन्ही भी अतिरिक्त 4 दिनों के लिए किसी भी स्थान की कोई एक या इससे अधिक मदिरा दुकानें अथवा तहसील या जिले की समस्त मदिरा दुकानें बन्द करने के आदेश प्रसारित करें।

(2) लोक सभा तथा विधान सभा एवं स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के साधारण (जनरल) और उप निर्वाचन के समय मतदान तथा मतगणना के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप राज्य शासन द्वारा आदेशित/निर्देशित व्यवस्थाओं के परिपालन में, मतदान क्षेत्र की मदिरा दुकानें अथवा मतगणना क्षेत्र की मदिरा दुकानें कलेक्टर द्वारा बन्द किया जाना आदेशित किया जा सकेगा।

टीप-- स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायतें और ग्राम पंचायत शामिल है। ऐसे समय पर सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों की मदिरा दुकानें बन्द रहेगी, जहां निर्वाचन हो,

(3) यदि उक्त निर्धारित शुष्क दिवसों के अतिरिक्त किसी अन्य दिवस को कलेक्टर के लिखित आदेश से मदिरा दुकानें बन्द की जाती हैं, तो उन मदिरा दुकानों के बन्द रहने की अवधि में संबंधित दुकान के लायसेंसी को मदिरा दुकान के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि में आनुपातिक छूट की पात्रता होगी।

52. अन्य कर एवं व्यवस्था

लायसेंस अवधि में यदि केन्द्र या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा किसी अधिनियम अथवा नियम के अन्तर्गत मादक पदार्थों पर कोई कर, फीस या चार्ज लगाया जायेगा जिसकी देयता अनुज्ञप्तिधारी पर आती हो तो, अनुज्ञप्तिधारी इस बाबत वार्षिक लायसेंस फीस अथवा निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि में

किसी छूट अथवा क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा और इस संबंध में उसकी कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। परंतु इस अतिरिक्त कर, फीस या चार्ज की प्रति पूर्ति के संबंध में राज्य शासन से अनुमति प्राप्त कर आबकारी आयुक्त द्वारा मदिरा की विक्रय दरों (M.S.P./M.R.P.) के पुनर्निर्धारण के संबंध में उचित निर्णय लिया जा सकेगा। इसी प्रकार राजस्व हित में मदिरा दुकानों के सुव्यवस्थित/विवेकपूर्ण संचालन में आ रही किसी प्रकार की कठिनाइयों के निराकरण के संबंध में शासन की पूर्वानुमति प्राप्त कर आबकारी आयुक्त आवश्यक निर्णय लेने के लिये अधिकृत होंगे।

53. <u>मद्य निषेध की नीति तथा प्राकृतिक विपत्तियों के फलस्वरूप दुकान बन्द करना</u>

राज्य में अथवा किसी पड़ोसी राज्य में मद्य निषेध की नीति के फलस्वरूप यदि कोई मदिरा दुकान/दुकानें बन्द की जाती हैं तो, इसके कारण लायसेंसी को शासन द्वारा कोई क्षति पूर्ति देय नहीं होगी। इसी प्रकार यदि पड़ोसी राज्य में मद्य निषेध के कारण अथवा किसी अन्य कारण से राज्य की किसी भी दुकान का पुनः निष्पादन करने का निर्णय लिया जाता है, तो ऐसा करने का अधिकार शासन को होगा तथा उस पर किसी लायसेंसी की आपत्ति मान्य नहीं की जायेगी और किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा छूट किसी भी आपत्तिकर्ता को देय नहीं होगी। यदि लायसेंस की अवधि में लायसेंसी को किसी दैवीय प्रकोप अथवा प्राकृतिक आपदा के फलस्वरूप किसी प्रकार की क्षति होती है, तो लायसेंसी को किसी तरह की क्षतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी।

54. <u>सामाजिक, राजनैतिक प्रदर्शनों, कानून व्यवस्था संबंधी कारणों के फलस्वरूप न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी में क्षतिपूर्ति स्वीकृत किया जाना।</u>

लायसेंस अवधि में सामाजिक, राजनैतिक प्रदर्शनों, कानून व्यवस्था संबंधी कारणों के फलस्वरूप किसी क्षेत्र विशेष की मदिरा दुकानें बन्द किये जाने के आदेश के कारण, यदि संबंधित लायसेंसी वर्ष के लिये देय वार्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी के समतुल्य मदिरा का प्रदाय नहीं ले पाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको मदिरा विक्रय की ऐसी हानि के संदर्भ में, समस्त स्थितियों का आंकलन कर समानुपातिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि की क्षतिपूर्ति का पात्र माना जा सकेगा। इस हेतु संबंधित जिले की जिला समिति द्वारा भेजे गये युक्तियुक्त एवं तथ्यात्मक प्रस्ताव पर राज्य शासन/आबकारी आयुक्त द्वारा समानुपातिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की क्षतिपूर्ति अथवा देय राशि से छूट दिये जाने का निर्णय लिया जा सकेगा।

55. <u>लायसेंस की अवधि में निष्पादन की शर्तों का प्रभावशील रहना</u>

देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन की ये सभी शर्तें, वर्ष 2017–18 के दौरान होने वाले पुनः निष्पादन की कार्यवाही के संबंध में भी यथावत प्रभावशील रहेंगी।

56. <u>अन्य व्यवस्थायें लागू रहना</u>

मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन एवं संचालन आदि के संबंध में पूर्ववर्ती वर्षो में प्रचलित अन्य समस्त प्रावधान, व्यवस्था एवं प्रक्रिया आदि जिनका उल्लेख उपरोक्त में नहीं किया गया है, वे सभी व्यवस्थाऐं, प्रावधान एवं प्रक्रिया पूर्ववत वर्ष 2017–18 के लिए लागू रहेंगे।

57. <u>बार लायसेंसों के संबंध में</u>

57.1 किसी नगरीय (नगर निगम/नगर पालिका) क्षेत्र से भिन्न स्थान पर स्थापित व संचालित ऐसे स्तरीय रेस्टोरेंट/होटल, जिनका निर्माण रेस्टोरेंट बार/होटल बार लायसेंस की स्वीकृति हेतु निर्धारित नॉर्म्स अनुसार किया गया है, को नियमानुसार उपयुक्त पाये जाने पर, वर्ष 2017–18 में नवीन होटल/रेस्टोरेंट बार लायसेंस की स्वीकृति का पात्र माना जायेगा।

57.2 वर्ष 2017–18 में बार लायसेंसों को उनके निकटवर्ती एक विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान से संबद्ध किया जायेगा। बार लायसेंसी की मांग पर तथा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी की अनुशंसा पर आबकारी आयुक्त एक अतिरिक्त निकटवर्ती विदेशी मदिरा दुकान से बार लायसेंस को सम्बद्ध करने की अनुमति देने हेतु अधिकृत रहेंगे।

57.3 वर्ष 2017–18 में बार लायसेंसी को संबंधित विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान से, विदेशी मदिरा के विक्रय के संबंध में जारी किये गये बिल बुक, जिसे संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित किया गया हो, पर यह प्रमाण पत्र मुद्रित कराया जायेगा कि संबंधित बिल के अन्तर्गत विक्रय की गई विदेशी मदिरा की बोतलों पर मुद्रित न्यूनतम विक्रय मूल्य पर 5 प्रतिशत की दर से वैट टैक्स का भुगतान अग्रिम किया गया है।

57.4 वर्ष 2017–18 में मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन निगम के स्वामित्व की इकाइयों में स्थित रेस्तरांओं/होटलों के अतिरिक्त, आई.टी.डी.सी. होटल, भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय/ **HRACC** द्वारा अभिप्रमाणित तीन सितारा एवं उससे उच्च श्रेणी के सितारा होटलों अथवा प्रमाणित हैरिटेज होटलों (**Heritage Hotels**) सहित सभी रेस्तरां बार (एफ.एल.–2), होटल बार (एफ.एल.–3), रिसोर्ट बार (एफ.एल.–3–क) एवं क्लब बार (एफ.एल.–4/4–क) लायसेंसियों को, उस जिले में जहां ऐसी होटल इकाई स्थित एवं संचालित है, के लिये नामांकित विदेशी मदिरा भाण्डागार से विदेशी मदिरा के सीधे प्रदाय की सुविधा दी जायेगी। जहां से वे लेबिल विशेष की न्यूनतम एक पेटी विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर) नियमानुसार स्पिरिट के मामले में 12 क्वार्ट बोतल तथा वाईन एवं बीयर के मामले में 12 क्वार्ट बोतल अथवा समतुल्य का प्रदाय उस लेबिल की प्रति बोतल घोषित न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य (**M.S.P.**) के आधार पर पेटी के लिये भुगतान योग्य राशि एवं उस पर देय वैट टैक्स के पृथक से किये गये भुगतान के आधार पर, प्रदाय की जायेगी।

57.5 मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन निगम के स्वामित्व की इकाइयों से भिन्न (कंडिका 57.4 में उल्लेखित) बार लायसेंसियों को यह विकल्प प्रस्तुत करने की भी सुविधा रहेगी कि वित्तीय वर्ष 2017–18 के प्रारंभ में लिखित आवेदन प्रस्तुत करने पर उन्हें संबंधित विदेशी मदिरा भाण्डागार के स्थान पर, उनके लायसेंस परिसर के निकटतम एक विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान से उनकी मांग अनुसार विदेशी मदिरा का क्रय करने की अनुमति दी जायेगी। बार लायसेंसी की मांग पर तथा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी की अनुशंसा पर आबकारी आयुक्त एक अतिरिक्त निकटवर्ती विदेशी मदिरा दुकान से बार लायसेंस को सम्बद्ध करने की अनुमति देने हेतु अधिकृत रहेंगे।

57.6 **वर्ष 2017–18 के लिए समस्त रेस्तरां, होटल, रिसोर्ट एवं व्यवसायिक क्लब बार लायसेंसों की वर्ष 2016–17 के लिये निर्धारित मिनिमम गारंटी में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर वर्ष 2017–18 के लिए मिनीमम गॉरंटी निर्धारित की जावेगी। ऐसे होटल/रेस्तरां जिनका मुख्य व्यवसाय मदिरा की बिक्री किया जाना ही पाया जाता है, ऐसे होटल/रेस्टोरेंट के लिये पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण होने पर 10 प्रतिशत से अधिक भी मिनिमम गारंटी का पुनर्निर्धारण आबकारी आयुक्त से अनुमोदन प्राप्त किया जाकर संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा किया जा सकेगा।**

57.7 वर्तमान में संचालित रेस्तरां, होटल, रिसोर्ट एवं क्लब बार लायसेंस वर्ष 2017–18 के लिए किस एक निकटतम विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान (एफ.एल.–1/एफ.एल.–1–कककक) से सम्बद्ध रहेगी, इसकी घोषणा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन के पूर्व करने का प्रयास किया जायेगा।

57.8 वर्तमान में संचालित रेस्टोरेंट, होटल, रिसोर्ट, क्लब बार लायसेंस के संबंध में, निकटवर्ती मदिरा दुकानों से फुटकर में बिक्री की जाने वाली मदिरा की दरों के सापेक्ष अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को रोकने के दृष्टिकोण से, न्यूनतम विक्रय मूल्य जिला कलेक्टर निर्धारित करने के लिये अधिकृत होंगे।

57.9 वर्ष 2017–18 के लिए रेस्टोरेंट, होटल, रिसोर्ट, क्लब बार अनुज्ञप्ति की स्वीकृति/पुनर्स्वीकृति व संचालन आदि के संबंध में वर्ष 2016–17 में प्रचलित अन्य समस्त प्रावधान, व्यवस्था एवं प्रक्रिया जिनका उल्लेख उपरोक्त में नहीं किया गया है, वे सभी व्यवस्थाऐं, प्रावधान एवं प्रक्रिया पूर्ववत लागू रहेंगी।

58. **आकस्मिक लायसेंस एवं उसकी लायसेंस फीस।**

विदेशी मदिरा के आकस्मिक लायसेंस (एफ.एल.–5) की स्वीकृति के आवेदन ऑन लाईन भी प्राप्त किये जायेंगे। आकस्मिक प्रयोजन से एक दिन (तिथि विशेष) के लिये (एफ.एल.–5) लायसेंस हेतु दैनिक लायसेंस फीस निम्नानुसार रहेगी :–

58.1 निजी स्थल (स्वयं के निवास) पर एक दिन (तिथि विशेष) के लिये विदेशी मदिरा के उपयोग हेतु रूपये 2000/– प्रति लायसेंस।

58.2 सार्वजनिक स्थल (जिसमें लॉजिंग एवं बोर्डिंग न हो, जैसे विवाह स्थल (मैरिज गार्डन)/सामुदायिक भवन) पर एक दिन (तिथि विशेष) के लिये विदेशी मदिरा के उपयोग हेतु रूपये 5000/– प्रति लायसेंस।

58.3 लॉजिंग एवं बोर्डिंग की सुविधा वाले नियमित भोजन विक्रय के केन्द्रों (होटल/रेस्टोरेंट) पर एक दिन (तिथि विशेष) के लिये विदेशी मदिरा के उपयोग हेतु रूपये 10,000/– प्रति लायसेंस।

59. वर्ष 2017–18 में स्वीकृत/जारी किये जाने वाले देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के सभी लायसेंस मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (यथा संशोधित) तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये एवं समय–समय पर संशोधित किये गये नियमों और समय–समय पर राज्य शासन, आबकारी आयुक्त व कलेक्टर द्वारा पारित आदेशों/अनुदेशों के अध्यधीन रहेंगे।

60 राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि अपरिहार्य स्थिति में, औचित्य को समझते हुये किसी भी जिले में या समस्त जिलों की मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन की प्रक्रिया को सम्पूर्ण/आंशिक रुप से समाप्त करते हुए, प्रोसेस फीस/शर्तो के पालन में जमा राशि को वापिस कर किसी भी अन्य प्रक्रिया/व्यवस्था से देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के व्यवस्थापन/पुनःव्यवस्थापन की कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी स्थिति में कोई भी क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

61. जिले की मदिरा दुकानों के नवीनीकरण/लॉटरी आवेदन पत्र एवं ई–टेण्डर द्वारा निष्पादन से संबंधित शर्तों के संबंध में तैयार किये गये विक्रय ज्ञापन की प्रति, रुपये 1000/– (रूपये एक हजार केवल) पृथक से भुगतान करने पर, संबंधित जिला आबकारी कार्यालय से उपलब्ध हो सकेगी।

62. **वर्ष 2017–18 में देशी/विदेशी मदिरा दुकानों पर पी.ओ.एस./डिजिटल पेमेन्ट मशीन ग्राहकों की सुविधा के लिए रखी जाना होगा।**

63 मध्यप्रदेश में नवीनीकरण/लॉटरी आवेदन पत्र/ई–टेंडर द्वारा मदिरा दुकानों/एकल समूहों के वर्ष 2017–18 के लिये निष्पादन हेतु जिलावार निष्पादंन स्थल निम्नांकित अनुसार रहेंगे।

वर्ष 2017–18 के लिये मध्यप्रदेश में नवीनीकरण/लॉटरी आवेदन पत्र एवं ई–टेण्डर द्वारा निष्पादन के स्थल

क्रमांक	जिले का नाम	निष्पादन स्थल
1	2	3
1	इन्दौर	कलेक्टोरेट, इन्दौर
2	बैतूल	कलेक्टोरेट, बैतूल
3	छिन्दवाड़ा	कलेक्टोरेट, छिंदवाड़ा
4	भिण्ड	कलेक्टोरेट, भिण्ड
5	नीमच	कलेक्टोरेट, नीमच
6	टीकमगढ़	संयुक्त कलेक्टोरेट, टीकमगढ़
7	सिंगरौली	कलेक्टोरेट, सिंगरौली

8	धार	कलेक्टोरेट, धार
9	भोपाल	कलेक्टोरेट, भोपाल
10	सिवनी	कलेक्टोरेट, सिवनी
11	ग्वालियर	कलेक्टोरेट, ग्वालियर
12	मन्दसौर	कलेक्टोरेट, मंदसौर
13	दमोह	नवीन कलेक्टोरेट, दमोह
14	सीधी	कलेक्टोरेट, सीधी
15	झाबुआ	कलेक्टोरेट, झाबुआ
16	सीहोर	कलेक्टोरेट, सीहोर
17	बालाघाट	नवीन कलेक्टोरेट परिसर, बालाघाट
18	मुरैना	कलेक्टोरेट, मुरैना
19	रतलाम	कलेक्टोरेट, रतलाम
20	छतरपुर	कलेक्टोरेट, छतरपुर
21	शहडोल	संयुक्त कलेक्टोरेट, शहडोल
22	अलीराजपुर	कलेक्टोरेट, अलीराजपुर
23	होशंगाबाद	कलेक्टोरेट, होशंगाबाद
24	मण्डला	कलेक्टोरेट, मण्डला
25	गुना	कलेक्टोरेट, गुना
26	उज्जैन	कलेक्टोरेट, उज्जैन
27	पन्ना	कलेक्टोरेट, पन्ना
28	अनूपपुर	कलेक्टोरेट, अनूपपुर
29	बड़वानी	कलेक्टोरेट, बड़वानी
30	राजगढ़	नवीन कलेक्टोरेट, राजगढ़ (ब्यावरा)
31	जबलपुर	कलेक्टोरेट, जबलपुर
32	दतिया	संयुक्त कलेक्टोरेट भवन, दतिया
33	शाजापुर	कलेक्टोरेट, शाजापुर
34	सागर	कलेक्टोरेट, सागर
35	उमरिया	कलेक्टोरेट, उमरिया
36	खरगोन	कलेक्टोरेट, खरगोन
37	रायसेन	कलेक्टोरेट, रायसेन
38	कटनी	कलेक्टोरेट, कटनी
39	शिवपुरी	कलेक्टोरेट, शिवपुरी
40	देवास	कलेक्टर कार्यालय देवास
41	सतना	कलेक्टोरेट, सतना
42	बुरहानपुर	कलेक्टोरेट, बुरहानपुर
43	विदिशा	कलेक्टोरेट, विदिशा
44	डिण्डोरी	कलेक्टोरेट, डिण्डोरी
45	श्योपुर	नवीन कलेक्टोरेट भवन, श्योपुर
46	आगर–मालवा	कलेक्टोरेट, आगर–मालवा

47	रीवा	कलेक्टोरेट, रीवा
48	खण्डवा	कलेक्टोरेट, खण्डवा
49	हरदा	कलेक्टोरेट, हरदा
50	नरसिंहपुर	न्यू कलेक्टोरेट, नरसिंह भवन, नरसिंहपुर
51	अशोकनगर	कलेक्टोरेट, अशोकनगर

(अरुण कोचर)
आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 फरवरी 2025—माघ 25, शक 1946

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2025

(दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक हेतु व्यवस्था)

क्र. 3—3—4—0001—2025—Sec—02—पांच (CT).— सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि वर्ष 2025—26 हेतु आबकारी व्यवस्था निम्नवत रहेगी :—

1. पवित्र क्षेत्रों में मदिरा दुकानों को बंद किया जाना :-

1.1 निम्न तालिका अनुसार प्रदेश के 13 नगरीय एवं 06 ग्रामीण निकायों में संचालित सभी मदिरा दुकानों को दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से बंद किया जाएगा :-

नगरीय एवं ग्रामीण निकायों की सूची	
क्र.	**नाम**
1	उज्जैन नगर निगम
2	ओंकारेश्वर नगर पंचायत
3	महेश्वर नगर पंचायत

4	मण्डलेश्वर नगर पंचायत
5	ओरछा नगर पंचायत
6	मैहर नगरपालिका
7	चित्रकूट नगर पंचायत
8	दतिया नगरपालिका
9	पन्ना नगरपालिका
10	मण्डला नगरपालिका
11	मुलताई नगरपालिका
12	मंदसौर नगरपालिका
13	अमरकंटक नगर पंचायत
14	सलकनपुर ग्राम पंचायत
15	बरमान कलाँ ग्राम पंचायत
16	लिंगा ग्राम पंचायत
17	बरमान खुर्द ग्राम पंचायत
18	कुण्डलपुर ग्राम पंचायत
19	बांदकपुर ग्राम पंचायत

दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से इन निकाय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के बार एवं वाईन आउटलेट के लायसेंस नहीं दिये जायेंगे एवं इनके संचालन की अनुमति भी नहीं होगी।

1.2 इन निकाय क्षेत्रों की बंद की जाने वाली मदिरा दुकानों को अन्यत्र विस्थापित नहीं किया जाएगा।

1.3 कंडिका क्रमांक-1.1 के अनुसरण में प्रभावित होने वाले जिलों में कंडिका क्रमांक-6.6 अनुसार नवीन परिगणित आरक्षित मूल्य पर जिले

की सभी मदिरा दुकानों/एकल समूहों को निर्धारित शर्तों एवं विहित प्रतिबंधों के अधीन नवीनीकरण की पात्रता रहेगी।

1.4 कंडिका क्रमांक-1.1 के अनुक्रम में, वर्ष 2024-25 में संचालित मदिरा दुकान/दुकानों के बंद होने से किसी वर्तमान मदिरा समूह के विभाजन की स्थितियां निर्मित होती है और उस समूह की कुछ दुकानें शेष रह जाती है, तो उन्हें उसी स्वरूप में नवीन परिगणित आरक्षित मूल्य पर नवीनीकरण का अवसर दिया जाएगा, अर्थात् ऐसी अवशेष मदिरा दुकानों को किसी अन्य समूह में शामिल कर उनका पुनर्गठन नहीं किया जाएगा।

1.5 जिले को नवीनीकरण की पात्रता प्राप्त न होने से, सम्पूर्ण जिले का निष्पादन ई-टेण्डर (ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन) के माध्यम से होने पर, पवित्र क्षेत्र के कारण बंद किये गये मदिरा समूह/समूहों की शेष मदिरा दुकान/दुकानों को भी किसी अन्य समूह में शामिल कर पुनर्गठन किया जा सकेगा।

1.6 कंडिका क्रमांक-1.3 एवं 6.6 के परिप्रेक्ष्य में निष्पादन इकाई के रूप में नवगठित जिलों मैहर, मउंगज एवं पांढुर्ना को उनके मूल जिले क्रमश: सतना, रीवा एवं छिंदवाड़ा के भाग के रूप में ही मान्य किया जाएगा।

2. मदिरा दुकान निष्पादन की प्रक्रिया :-

2.1 वर्ष 2025-26 हेतु प्रदेश के मदिरा समूहों का निष्पादन वर्ष की सम्पूर्ण अवधि अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक के लिए किया जाएगा।

2.2 वर्ष 2025-26 में प्रदेश के सभी जिलों की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों का निष्पादन प्रथमतः विगत वर्ष 2024-25 में प्रचलित समूहों में किया जाएगा।

2.3 प्रथमतः प्रदेश के समस्त जिलों में, ऐसे मदिरा दुकानों के एकल समूह जिनका पुनर्गठन किया गया हो, को छोड़कर शेष रहे कम्पोजिट मदिरा दुकान के एकल समूहों के वर्तमान अनुज्ञप्तिधारियों से वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य पर नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र ऑफलाइन/ऑनलाइन प्राप्त किये जाएंगे, साथ ही आवेदक अनुज्ञप्तिधारियों को ई-आबकारी पोर्टल पर तद्विषयक रूचि की अभिव्यक्ति भी करनी होगी।

2.4 जिन कम्पोजिट मदिरा दुकान/समूहों पर नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होंगे, उन कम्पोजिट मदिरा दुकान/समूहों पर अन्य इच्छुक सभी पात्र आवेदकों से निर्धारित आरक्षित मूल्य पर लॉटरी आवेदन ऑनलाइन/जिला आबकारी कार्यालय में ऑफलाइन आमंत्रित किये जाएंगे।

2.5 जिले में कम्पोजिट मदिरा दुकान/समूहों के लिए लॉटरी आवेदन पत्र आमंत्रित करने की दशा में किसी मदिरा दुकान/समूह पर एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन जिला निष्पादन समिति द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्राप्त समस्त आवेदनों को शामिल करते हुए लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

2.6 नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों तथा अन्य आवेदकों से प्राप्त लॉटरी आवेदन पत्रों को सम्मिलित करते हुये, समग्र में यदि जिले में संचालित कम्पोजिट मदिरा दुकान के समूहों में से, पुनर्गठित समूहों में निहित आरक्षित मूल्य को कम कर, शेष रहे आरक्षित मूल्य का 80 प्रतिशत अथवा उससे अधिक राशि के आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो ऐसी समस्त आवेदित कम्पोजिट मदिरा दुकान/समूहों का निष्पादन, जिला निष्पादन समिति द्वारा, पात्र आवेदकों के हित में किया जाएगा।

2.7 वर्तमान में रीवा, सतना एवं छिन्दवाड़ा जिले को विभाजित कर क्रमशः मऊगंज, मैहर एवं पाढुंर्ना नवीन जिले सृजित किये जा चुके हैं किन्तु वर्ष 2025-26 के निष्पादन हेतु प्रदेश के पुराने 52 जिलों को ही निष्पादन इकाई मान्य किया जाएगा।

नवीन जिला क्षेत्रों में संचालित मदिरा समूहों का निष्पादन पूववर्ती जिलों में शामिल मानकर ही किया जाएगा। नवीन जिलों में संचालित मदिरा दुकानों के सन्दर्भ में उन नवीन जिलों के कलेक्टर भी जिला निष्पादन समिति में सहयोजित किये जाएंगे। निष्पादन उपरांत नवीन जिला क्षेत्रों की मदिरा दुकानों का संचालन एवं प्रशासन उक्त नवीन जिलों के जिला कलेक्टरों के अधीन किया जाएगा।

2.8 जिन जिलों में कंडिका क्रमांक-2.6 के पालन में कम्पोजिट मदिरा दुकान समूहों पर नवीनीकरण के लिए प्राप्त आवेदन पत्र तथा अन्य आवेदकों के लॉटरी आवेदन पत्रों को सम्मिलित कर समग्र में वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य के राजस्व में निहित 80 प्रतिशत आरक्षित मूल्य से कम राशि के आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जायेगा और ऐसे जिलों के समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों/समूहों का निष्पादन निर्धारित आरक्षित मूल्य पर ई-टेण्डर (समान दुकान/दुकानों अथवा समूह/समूहों पर ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन साथ-साथ भी) आमंत्रित कर किया जाएगा।

2.9 वर्ष 2025-26 के लिए नवीनीकरण आवेदन तथा लॉटरी आवेदन पत्रों के माध्यम से निष्पादन की कार्यवाही उपरांत निष्पादन से शेष रहे कम्पोजिट मदिरा दुकानों/समूहों का निष्पादन वर्ष 2025-26 के निर्धारित आरक्षित मूल्य के विरूद्ध ई-टेण्डर (समान दुकान/दुकानों अथवा समूह/समूहों पर ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन साथ-साथ भी) आमंत्रित कर किया जाएगा।

2.10 मदिरा दुकानों/समूहों के निष्पादन की प्रक्रिया (नवीनीकरण/लॉटरी/ई-टेण्डर/ई-टेण्डर कम ऑक्शन) में भाग लेने हेतु समस्त प्रकार के आवेदकों(व्यक्ति/कंपनी/फर्म/लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) आदि) को ई-आबकारी पोर्टल पर कॉन्ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल के अंतर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। उक्त पंजीयन में पैन कार्ड (PAN) के आधार पर आवेदक की जानकारी का पोर्टल के माध्यम से स्वत: सत्यापन किया जाएगा।

2.11 मदिरा दुकानों के एकल समूहों के निष्पादन के संबंध में जारी की जाने वाली निविदा की शर्ते आबकारी आयुक्त द्वारा शासन के अनुमोदन से जारी की जाएंगी।

2.12 वर्ष 2025-26 के लिए कम्पोजिट मदिरा की दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित/अधिसूचित किये गये कार्यक्रम अनुसार एवं नियत स्थलों पर किया जायेगा।

3. मदिरा दुकानों की व्यवस्था :-

3.1 प्रदेश की समस्त मदिरा दुकानें (वाईन शॉप एवं एयरपोर्ट काउंटर को छोड़कर) कम्पोजिट शॉप होंगी, जिनमें देशी एवं विदेशी दोनों प्रकार की मदिरा विक्रय हेतु उपलब्ध रहेगी। समस्त मदिरा दुकानों पर देश के बाहर से आयातित BIO (Bottled In Origin) मदिरा का विक्रय भी अनुमत होगा।

3.2 वाईन शॉप पर वाईन एवं हेरिटेज मदिरा का विक्रय अनुमत रहेगा। इसी प्रकार एयरपोर्ट काउंटर पर भी हेरिटेज मदिरा का विक्रय अनुमत रहेगा।

3.3 प्रदेश की किसी भी मदिरा दुकान के परिसर में मदिरा सेवन की अनुमति नहीं होगी।

4. जिला निष्पादन समिति के कार्य, मदिरा दुकान के परिक्षेत्र का निर्धारण एवं विस्थापन :-

4.1 वर्ष 2024-25 की भाँति वर्ष 2025-26 में प्रत्येक जिले में जिला निष्पादन समिति गठित की जायेगी। जिला समिति मदिरा दुकानों का विस्थापन कर जिले में अन्य स्थान पर विस्थापित दुकान खोलने, मदिरा दुकान का पोटेंशियल क्षेत्र निर्धारित करने, मदिरा दुकानों का आरक्षित मूल्य निर्धारित करने, मदिरा दुकानों के एकल समूहों का गठन/पुनर्गठन करने, मदिरा दुकानों का शासन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निष्पादन करने आदि समस्त कार्य करेगी। इस हेतु आबकारी आयुक्त दिशा-निर्देश जारी कर सकेंगे।

4.2 जिला निष्पादन समिति सभी मदिरा दुकानों के अवस्थापन परिक्षेत्र का निर्धारण करेगी तथा जिले की सम्पूर्ण मदिरा दुकानों के अवस्थापन परिक्षेत्र की सूची निष्पादन से पूर्व घोषित करेगी।

4.3 निष्पादन के पूर्व जिला निष्पादन समिति द्वारा किसी मदिरा दुकान को विस्थापित कर जिले में अन्य स्थान पर खोलने का निर्णय आबकारी आयुक्त की पूर्व अनुमति के अधीन ही लिया जा सकेगा।

वर्तमान में कई जिलों में समान अथवा भिन्न समूहों की अनेक मदिरा दुकानें बहुत निकट स्थापित एवं संचालित है। आगामी वर्ष हेतु जिला निष्पादन समिति द्वारा उन्हें एक न्यूनतम व्यावहारिक दूरी पर स्थापित कराने के प्रयास किये जाने होंगे।

4.4 जिले में अन्य स्थान पर विस्थापित की गई मदिरा दुकान अथवा अपरिहार्य कारणों से बंद की गई मदिरा दुकान की सम्बद्धता (Correlation) का निर्धारण जिला निष्पादन समिति द्वारा किया जाएगा।

4.5 मदिरा दुकान के अवस्थापन परिक्षेत्र के अंतर्गत भी उसका स्थल परिवर्तनं आवश्यकता होने पर, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष के प्रथम माह अथवा निष्पादन दिनांक के आगामी 01 माह (जो भी अवधि बाद में पूर्ण हो) की अवधि में उस मदिरा दुकान हेतु आवंटित अवस्थापन परिक्षेत्र के अंतर्गत अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रस्तुत पूर्व सूचना के अधीन सामान्य प्रयुक्ति के नियमों की दृष्टि से उपयुक्त स्थल पर किया जा सकेगा।

उक्त अवधि के उपरांत आगामी 02 माह की अवधि तक आवश्यकता होने पर स्थल परिवर्तन जिला निष्पादन समिति द्वारा अनुमत किया जा सकेगा, किन्तु उक्त अवधि के पश्चात् इस प्रकार के परिवर्तन के लिए आबकारी आयुक्त की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

4.6 अपरिहार्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2025-26 में जिला समिति मदिरा दुकान बंद करने हेतु आबकारी आयुक्त को प्रस्तावित कर सकेगी। अंतिम निर्णय आबकारी आयुक्त के माध्यम से शासन स्तर से लिया जाएगा।

4.7 जिला समिति द्वारा निर्धारित स्थान पर नगर निगम/नगरीय निकाय द्वारा मदिरा दुकान के संचालन हेतु दुकान का निर्माण कराकर उपलब्ध करायी जाने पर, उक्त दुकान में मदिरा दुकान खोलने की अनिवार्यता रहेगी।

5. मदिरा की दुकानों के एकल समूह का पुनर्गठन :-

5.1 किसी मदिरा दुकान को बंद करने, उसे उसके परिक्षेत्र के बाहर विस्थापित कर, नवीन स्थल पर खोलने अथवा अन्य किसी कारण से भी अपरिहार्यता उत्पन्न होने की स्थिति में भौगोलिक निरंतरता एवं राजस्व हित के आधार पर मदिरा की दुकानों के एकल समूह के

गठन/पुनर्गठन/विघटन करने के संबंध में जिला निष्पादन समिति आबकारी आयुक्त की अनुमति के अधीन निर्णय ले सकेगी। ऐसे पुनर्गठित समूह का निष्पादन ई-टेण्डर (ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन) के माध्यम से ही किया जायेगा तथा इनका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

5.2 रीवा, सतना एवं छिन्दवाड़ा जिलों को विभाजित कर क्रमश: मउगंज, मैहर एवं पांढुर्ना नवीन जिले गठित किये गये हैं। इन जिलों में वर्तमान में प्रचलित किसी मदिरा समूह में शामिल दुकानें यदि एक से अधिक जिले की राजस्व सीमा में आती हो, तो उन समूहों का नवगठित जिलों की राजस्व सीमाओं के निर्धारण के अनुरूप पुनर्गठन किया जाये। आशय है कि किसी भी मदिरा समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानें एक से अधिक जिले की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत नहीं आनी चाहिए। ऐसे पुनर्गठित समूह का निष्पादन ई-टेण्डर (ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन) के माध्यम से ही किया जायेगा तथा इनका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

5.3 किसी जिले में नवीनीकरण/लॉटरी की कार्यवाही सम्पन्न होने के उपरांत नवीनीकरण/लॉटरी से शेष रही मदिरा दुकानों के समूहों का ई-टेण्डर (ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन) के विभिन्न चरणों में राजस्व हित में आवश्यकतानुसार एकल दुकानों/छोटे या बड़े समूह किसी भी रूप में पुनर्गठन किया जा सकेगा।

इस पुनर्गठन हेतु समूहों में शामिल दुकानों की भौगोलिक निरंतरता की अनिवार्यता नहीं रहेगी, ऐसा पुनर्गठन जिला समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमत किया जाएगा।

5.4 नवीनीकरण/लॉटरी से निष्पादन के अभाव में जिले की सम्पूर्ण मदिरा दुकानों का निष्पादन ई-टेण्डर (ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन) के माध्यम से वर्तमान में प्रचलित छोटे समूहों में अथवा राजस्व हित को दृष्टिगत रखते हुए जिलों से प्राप्त युक्तियुक्त प्रस्तावों के आधार पर आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदत्त अनुमति के अधीन एकल दुकानों अथवा बड़े समूहों में किया जा सकेगा।

5.5 भौगोलिक निरंतरता के आधार पर अधिकतम 04 मदिरा दुकानों तक का एकल समूह (आवश्यकतानुसार) राजस्व हित में जिला निष्पादन समिति द्वारा बनाया जा सकेगा। 04 से अधिक मदिरा दुकानों के समूह का पुनर्गठन आबकारी आयुक्त की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकेगा।

6. **वार्षिक आधार मूल्य का निर्धारण :-**

वर्ष 2024-25 के लिये प्रदेश की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों के वार्षिक आधार मूल्य का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :-

6.1 वर्ष 2024-25 में जिन एकल समूहों में सम्मिलित एक मदिरा दुकान से दूसरी मदिरा दुकान में, वार्षिक मूल्य में अन्तरण अनुमत किया गया है, तो ऐसा आदेश लागू होने के दिनांक से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लिए अन्तरण मानकर (भले ही लायसेंसी द्वारा आदेश जारी किये जाने के उपरान्त अन्तरण योग्य मदिरा का प्रदाय लिया गया हो अथवा नहीं), एकल समूहों में सम्मिलित मदिरा दुकानों का वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक आधार मूल्य पुनर्गणित किया जायेगा।

6.2 जिन एकल समूहों में वार्षिक मूल्य का ऐसा अन्तरण वर्ष 2024-25 में अनुमत नहीं किया गया है, ऐसे एकल समूह के साथ-साथ उस समूह में स्थित प्रत्येक मदिरा दुकान का वर्ष 2024-25 की ठेका अवधि के

लिये वार्षिक आधार मूल्य, वर्ष 2024-25 के लिये निष्पादित मूल्य के बराबर ही रहेगा।

6.3 वर्ष 2024-25 के लिये जिले के मदिरा दुकानों के एकल समूहों का निष्पादन किये जाने के पश्चात् यदि लायसेंस की अवधि में किसी मदिरा दुकान के एकल समूह का पुनः निष्पादन किया है, तो ऐसी मदिरा दुकान के एकल समूह का, वर्ष 2024-25 हेतु वार्षिक आधार मूल्य का पुनः निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :-

1. मूल निष्पादन उपरांत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मदिरा दुकान के संचालन अवधि का वार्षिक मूल्य,
2. लायसेंस निरस्तीकरण पश्चात् जितनी अवधि हेतु मदिरा दुकानों का विभागीय संचालन किया गया है तो, विभागीय संचालन में प्राप्त शुद्ध आय एवं उसी अवधि के लिए मूल निष्पादन में प्राप्त वार्षिक मूल्य में से जो अधिक हो,
3. पुनर्निष्पादन के पश्चात् पुनर्निष्पादित अवधि हेतु प्राप्त वार्षिक मूल्य।

उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1, 2 एवं 3 का योग वर्ष 2024-25 के लिए पुनर्गणित वार्षिक आधार मूल्य होगा और यदि पुनर्निष्पादन एक से अधिक बार होता है, तो उपरोक्तानुसार पुनः इस प्रक्रिया का पालन कर वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक आधार मूल्य परिगणित किया जायेगा।

6.4 मदिरा दुकान के विस्थापन उपरांत मदिरा दुकानों के वर्ष 2024-25 हेतु वार्षिक आधार मूल्य की गणना :-

6.4.1 जिले में किसी मदिरा दुकान को विस्थापित कर, अन्य स्थान पर दुकान खोलने की स्थिति में, विस्थापित दुकान के वर्ष 2024-25 हेतु वार्षिक आधार मूल्य का निर्धारण, जिले में जिस परिक्षेत्र/

स्थान पर विस्थापित दुकान खोली जानी है उसके समीपवर्ती दो मदिरा दुकानों के वर्ष 2024-25 के परिगणित वार्षिक आधार मूल्य के औसत के समतुल्य किया जायेगा।

6.4.2 अन्य स्थान पर विस्थापित दुकान के वर्ष 2024-25 के लिए नवीन स्थल पर परिगणित वार्षिक आधार मूल्य को विस्थापित की जा रही मदिरा दुकान के पूर्व स्थल पर वर्ष 2024-25 हेतु परिगणित वार्षिक आधार मूल्य में से कम कर, शेष रही राशि को विस्थापित मदिरा दुकान के पूर्व पोटेंशियल एरिया से संलग्न संचालित मदिरा दुकानों की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती (Inversely Proportional) पर विभाजित कर जोड़ा जायेगा।

6.4.3 किसी मदिरा दुकान को विस्थापित कर जिले में अन्य स्थान पर खोले जाने की स्थिति में यह ध्यान रखा जावेगा कि अन्य स्थान पर विस्थापित दुकान तथा जिले की शेष संचालित मदिरा दुकानों का परिगणित कुल वार्षिक मूल्य जिले के वर्ष 2024-25 के परिगणित वार्षिक मूल्य से कम न हो।

6.5 मदिरा दुकान को बंद करने की स्थिति में बंद मदिरा दुकान का वर्ष 2024-25 हेतु परिगणित वार्षिक आधार मूल्य का विभाजन :-

6.5.1 जिला निष्पादन समिति के प्रस्ताव उपरांत शासन की पूर्व अनुमति से यदि वर्ष 2025-26 हेतु किसी मदिरा दुकान को बंद करने का निर्णय लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में बंद की जाने वाली मदिरा दुकान के वर्ष 2024-25 हेतु परिगणित वार्षिक आधार मूल्य को, बंद की जा रही मदिरा दुकान के पोटेंशियल एरिया से संलग्न संचालित मदिरा दुकानों की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती (Inversely Proportional) आधार पर विभाजित कर जोड़ा जायेगा।

6.5.2 किसी मदिरा दुकान को बंद करने की स्थिति में यह ध्यान रखा जावेगा कि जिले की शेष संचालित मदिरा दुकानों का परिगणित कुल वार्षिक मूल्य जिले के वर्ष 2024-25 के परिगणित वार्षिक मूल्य से कम न हो।

6.6 वर्ष 2025-26 में पवित्र क्षेत्रों में बन्द की जाने वाली मदिरा दुकानों के वार्षिक आधार मूल्य का विभाजन एवं इन जिलों में शेष मदिरा दुकानों के आरक्षित मूल्य का निर्धारण :-

कण्डिका 1.1 अनुसार बन्द की जाने वाली मदिरा दुकानों के जिलों की शेष मदिरा दुकानों के वर्ष 2024-25 के आधार वार्षिक मूल्य की गणना कंडिका क्रमांक-6.1 से 6.5 में उल्लेखित सिद्धांतों के अनुसार की जाएगी। उपरोक्त आधार वार्षिक मूल्य की गणना के उपरांत उसमें कंडिका क्रमांक-07 में उल्लेखित आरक्षित मूल्य हेतु निर्धारित वृद्धि की जाएगी।

तदोपरान्त कण्डिका 1.1 अनुसार बंद की जाने वाली मदिरा दुकानों के वर्ष 2024-25 के कुल वार्षिक मूल्य को संबंधित जिले की शेष समस्त मदिरा दुकानों में उनके वार्षिक मूल्य के समानुपातिक रूप से अंतरित किया जाकर, अंतिम आरक्षित मूल्य की गणना की जायेगी।

उदाहरण :- यदि किसी जिले की समस्त मदिरा दुकानों का वर्ष 2024-25 का वार्षिक मूल्य कुल रूपये 500 करोड़ है एवं इनमें से बन्द हो रही मदिरा दुकानों का वर्ष 2024-25 का वार्षिक मूल्य रूपये 100 करोड़ है, ऐसी स्थिति में शेष वार्षिक मूल्य रूपये 400 करोड़ की मदिरा दुकानों के आरक्षित मूल्य की गणना निम्नानुसार की जायेगी :-

(क) प्रथमतः बन्द होने वाली मदिरा दुकानों के वर्ष 2024-25 के कुल वार्षिक मूल्य का जिले में शेष मदिरा दुकानों के वर्ष 2024-25 के

कुल वार्षिक मूल्य से प्रतिशत निकाला जायेगा, जो कि उक्त उदाहरण अनुसार रूपये (100x100)/400 यानि 25 प्रतिशत होगा।

(ख) उक्त उदाहरण में यदि किसी दुकान का वर्ष 2024-25 का वार्षिक मूल्य रूपये 10 करोड़ है तो उपरोक्त सिद्धान्त अनुसार एवं वर्ष 2024-25 के परिगणित वार्षिक आधार मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर उसका अंतिम आरक्षित मूल्य निम्नानुसार होगा :-

अंतिम आरक्षित मूल्य = (10x1.2)+(10x0.25) = 14.5 करोड़

7. आरक्षित मूल्य का निर्धारण :-

कम्पोजिट मदिरा दुकानों के वर्ष 2024-25 के परिगणित वार्षिक आधार मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर, **वर्ष** 2025-26 का आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाएगा।

8. वार्षिक मूल्य, वार्षिक लायसेंस फीस एवं न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि का निर्धारण :-

8.1 नवीनीकरण/लॉटरी द्वारा निष्पादित की गयी मदिरा दुकानों/एकल समूहों हेतु निर्धारित आरक्षित मूल्य ही उनका वार्षिक मूल्य होगा।

8.2 ई-टेण्डर (ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन) के माध्यम से निष्पादित मदिरा दुकानों/एकल समूहों हेतु ई-टेण्डर में स्वीकृत उच्चतम ऑफर की राशि उस मदिरा दुकान/एकल समूह का वार्षिक मूल्य होगा।

8.3 मदिरा दुकान/एकल समूह के कुल वार्षिक मूल्य का 5 प्रतिशत वार्षिक लायसेंस फीस होगी। शेष 95 प्रतिशत राशि संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह के लिए वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि निर्धारित होगी, जिसके विरूद्ध मदिरा प्रदाय अनुमत होगा। वार्षिक लायसेंस फीस के विरूद्ध मदिरा प्रदाय अनुमत नहीं होगा।

9. धरोहर राशि (Earnest Money Deposit), वार्षिक लायसेंस फीस एवं उनको जमा कराया जाना :-

वर्ष 2025-26 के लिये धरोहर राशि, वार्षिक लायसेंस फीस व उनको जमा करने की प्रक्रिया निम्नवत रहेगी :-

9.1 वर्ष 2025-26 की ठेका अवधि के लिए नवीनीकरण/लॉटरी/ई-टेण्डर (ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन साथ-साथ) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकानों के समूह/एकल समूहों के लिए धरोहर राशि (EMD) निम्नवत रहेगी :-

क्र.	मदिरा दुकानों के समूह/एकल समूहों का आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि (EMD)
1	10 करोड़ तक	आरक्षित मूल्य के 2 प्रतिशत राशि के आगामी 1 लाख के गुणांक में
2	10 करोड़ से अधिक	20 लाख +आरक्षित मूल्य की 10 करोड़ से अधिक शेष राशि के 1 प्रतिशत के आगामी 05 लाख के गुणांक में

9.2 नवीनीकरण हेतु निर्धारित धरोहर राशि (EMD) आवेदन पत्र के साथ ई-आबकारी पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करनी होगी।

9.3 ऑफलाइन लॉटरी आवेदन पत्र के साथ धरोहर राशि (EMD) ट्रेजरी में ई-चालान द्वारा जमा करानी होगी। लॉटरी आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम दिनांक तथा समय के पूर्व Success हुए ई-चालान के साथ ही लॉटरी आवेदन मान्य किया जाएगा।

9.4 ई-टेण्डर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने वाले लॉटरी आवेदन पत्र एवं ई-टेण्डर के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि (EMD), NIC के mptenders पोर्टल (https://mptenders.gov.in) पर ऑनलाइन देय होगी।

9.5 नवीनीकरण/लॉटरी/ई-टेण्डर (ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन) के माध्यम से निष्पादन होने पर सफल आवेदक/चयनित लॉटरीदाता/सफल निविदादाता की धरोहर राशि (EMD) वार्षिक लायसेंस फीस में समायोजित की जाएगी।

9.6 नवीनीकरण के माध्यम से निष्पादन की स्थिति में सफल आवेदक/चयनित लॉटरीदाता को वार्षिक लायसेंस फीस की शेष राशि निष्पादन की तिथि से 03 दिवस के अंदर ई-आबकारी पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करनी होगी। 03 दिवसों की गणना में निष्पादन की कार्यवाही का दिन एवं अवकाश के दिन (बैंक बंदी दिवस अथवा बैंक हड़ताल दिवस सहित, यदि कोई हो) को गणना में नहीं लिया जायेगा। नियत अवधि के अंतिम दिन से अभिप्राय उस दिनांक को रात्रि 12:00 बजे तक होगा।

9.7 नवीनीकरण/लॉटरी आवेदन पत्र के माध्यम से मदिरा दुकानों के निष्पादन की स्थिति में वार्षिक लायसेंस फीस की शेष राशि कंडिका क्रमांक-9.6 में वर्णित अवधि में जमा न किये जाने पर ऑफर निरस्त किया जाकर उसकी धरोहर राशि जब्त की जाएगी तथा ऐसी मदिरा दुकान के एकल समूह पुनः निष्पादन पर रखे जावेंगे।

9.8 ई-टेण्डर (ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन) के माध्यम से मदिरा दुकानों के निष्पादन की स्थिति में, वार्षिक लायसेंस फीस की शेष राशि निष्पादन की तिथि से 03 दिवस के अंदर अथवा दिनांक 31 मार्च, 2025 जो भी पहले हो तक, ई-आबकारी पोर्टल पर ऑनलाइन जमा

करानी होगी। 03 दिवसों की गणना में निष्पादन की कार्यवाही का दिन एवं अवकाश के दिन (बैंक बंदी दिवस अथवा बैंक हड़ताल दिवस सहित, यदि कोई हो) को गणना में नहीं लिया जायेगा। नियत अवधि के अंतिम दिन से अभिप्राय उस दिनांक को रात्रि 12:00 बजे तक होगा।

9.8.1 ई-टेण्डर (ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन) द्वारा मदिरा दुकानों के एकल समूहों का निष्पादन, दिनांक 29 मार्च के उपरांत होता है, तो ऐसी स्थिति में भी संबंधित कम्पोजिट मदिरा दुकानों के एकल समूहों की शेष वार्षिक लायसेंस फीस जमा कराये जाने हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा 03 बैंक कार्यकारी दिवस का समय एवं उक्त अवधि हेतु दुकान संचालन की कार्यकारी अनुमति दी जा सकेगी।

9.8.2 यदि 31 मार्च तक स्वीकृत निविदादाता द्वारा अवशेष वार्षिक लायसेंस फीस की राशि दिनांक 31 मार्च के उपरांत जमा करायी जाती है, तो भी उस समूह की दुकानों के लायसेंस वित्तीय वर्ष की सम्पूर्ण अवधि के लिए ही जारी किये जायेंगे और उसकी देयताएं भी वर्ष की सम्पूर्ण अवधि की ही होंगी।

9.9 ई-टेण्डर (ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन) के माध्यम से मदिरा दुकानों के निष्पादन की स्थिति में, वार्षिक लाइसेंस फीस की शेष राशि कण्डिका 9.8 में वर्णित अवधि में जमा न किये जाने पर ऑफर निरस्त किया जाकर उसकी धरोहर राशि जप्त की जाएगी और ऐसी मदिरा दुकान के एकल समूह पुनर्निष्पादन पर रखे जाएंगे। उक्त समूहों का पुनर्निष्पादन पूर्व निर्धारित आरक्षित मूल्य पर वर्तमान उच्चतम ऑफरदाता के उत्तरदायित्व पर किया जायेगा।

9.9.1 इस प्रकार का डिफाल्टर आवेदक ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और उसे सम्पूर्ण प्रदेश में निष्पादन के आगामी सभी चरणों में किसी भी प्रकार से भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

9.9.2 पुनर्निष्पादन हेतु दुकान को ई-टेण्डर (ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन) के आगामी शेष यथा उपलब्ध चरणों में सम्मिलित किया जाएगा।

9.10 असफल आवेदक/असफल लॉटरीदाता/असफल टेण्डरदाता द्वारा जमा धरोहर राशि (EMD), उसे वापस की जायेगी।

10. प्रतिभूति राशि (Security Deposit) एवं उसको जमा कराया जाना :-

10.1 वर्ष 2025-26 की ठेका अवधि के लिये प्रतिभूति राशि संबंधित मदिरा दुकानों के लिए प्राप्त वार्षिक मूल्य के 10 प्रतिशत के समतुल्य प्रभारित की जायेगी।

10.1.1 प्रतिभूति राशि, ई-आबकारी पोर्टल के माध्यम से जमा ई-चालान के द्वारा अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित व्यवसायिक बैंक/निजी क्षेत्र के अनुसूचित व्यवसायिक बैंक/मध्यप्रदेश राज्य के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा जारी **ई-बैंक गारंटी (e-BG)** के रूप में ही स्वीकार की जावेगी। प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत ई-बैंक गारंटी की वैधता अवधि कम से कम 30.04.2026 तक की होगी।

10.1.2 वर्ष 2025-26 हेतु सभी बैंक गारंटियां अनिवार्यत: **ई-बैंक** गारंटी के रूप में ही प्राप्त की जाएंगी। किसी अनुमत बैंक का नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड (NeSL) में पंजीकृत न होना या अन्य किसी कारण से ई-बैंक गारंटी (e-BG) प्रदाय

करने में सक्षम न होना उस बैंक की भौतिक बैंक गारंटी मान्य किये जाने का आधार नहीं होगा।

10.1.3 प्रतिभूति राशि के रूप में सावधि जमा (FDR) भी स्वीकार्य नहीं होगी। पूर्व वर्ष की जमा सावधि का नवीनीकरण भी मान्य नहीं किया जाएगा।

10.1.4 नवीनीकरण/लॉटरी/ई-टेण्डर (ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन) द्वारा चयनित आवेदक एवं सफल टेण्डरदाता व्यक्ति/भागीदारी फर्म/लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी)/कम्पनी/कंसोर्टियम के नाम से जारी अथवा पक्ष में स्वीकृत ई-बैंक गारण्टी ही स्वीकार की जायेगी।

सभी ई-बैंक गारंटियां विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी होने पर ही स्वीकार की जाएगी। उक्त बैंक गारंटियां किसी भी प्रयोजन के लिए अन्यत्र कहीं भी प्रस्तुत नहीं की जाएगी।

10.1.5 वर्ष 2025-26 की ठेका अवधि के लिए प्रस्तुत सम्पूर्ण प्रतिभूति की राशि के संबंध में आवेदक लायसेंसी को यह उल्लेखित एवं प्रमाणित करना होगा, कि उसके द्वारा संबंधित मदिरा दुकान के लिए प्रस्तुत प्रतिभूति राशि वर्ष 2025-26 की ठेका अवधि के दौरान संबंधित मदिरा दुकान के अतिरिक्त मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी जिले में उस आवेदक/ लायसेंसी के नाम से अथवा पार्टनरशिप में अथवा जिस कंपनी अथवा कन्सॉर्टियम (Consortium) में वह डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सदस्य हो, उसे स्वीकृत किसी भी अन्य मदिरा दुकान में की गई अनियमितताओं के कारण उद्भूत वसूलियों के संदर्भ में भी बंधनकारी होगी,

परन्तु इस प्रतिभूति राशि पर प्रथम भार उस ठेके का होगा, जिसके लिए वह प्रस्तुत की गई है।

10.1.6 प्रतिभूति की राशि ई-बैंक गारंटी के रुप में जमा करने की स्थिति में, बैंक द्वारा अपने पत्र में यह उल्लेखित एवं प्रमाणित करना होगा कि उनके द्वारा मदिरा दुकान/दुकानों के लिए प्रस्तुत प्रतिभूति राशि वर्ष 2025-26 की ठेका अवधि के दौरान संबंधित मदिरा दुकान/दुकानों के अतिरिक्त मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी जिले में उस आवेदक/ लायसेंसी के नाम से अथवा पार्टनरशिप में अथवा फर्म अथवा जिस कंपनी अथवा कन्सॉर्टियम (Consortium) में वह डायरेक्टर/बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सदस्य हो, उसे स्वीकृत किसी भी अन्य मदिरा दुकान/दुकानों में की गई अनियमितताओं के कारण उद्भूत वसूलियों के संदर्भ में भी बंधनकारी होगी। बैंक द्वारा ऐसा पत्र नियत मूल्य के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर तैयार कर जारी किया जायेगा।

10.1.7 प्रतिभूति राशि की ई-बैंक गारंटी अधिकतम 25,000/- रूपये के अध्यधीन रहते हुए, गारंटी राशि के 0.25% या भारतीय स्टॉम्प अधिनियम के अंतर्गत तत्समय प्रचलित दर के अनुसार आवश्यक मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर तैयार कराकर प्रस्तुत की जायेगी।

10.2 नवीनीकरण के माध्यम से मदिरा दुकान के निष्पादन की स्थिति में प्रतिभूति राशि जमा कराया जाना :-

कंडिका क्रमांक-10.1.1 के अनुक्रम में वर्ष 2025-26 में प्रतिभूति राशि के रूप में सिर्फ सायबर ट्रेजरी के माध्यम से जमा ई-चालान या अनुमत बैंकों की ई-बैंक गारंटी ही स्वीकार की जाना है। लायसेंसियों

द्वारा पूर्व में प्रस्तुत भौतिक बैंक गारंटी या सावधि जमा वर्ष 2025-26 हेतु स्वीकार्य नहीं होंगे एवं इनका किसी प्रकार का Extension Letter भी मान्य नहीं होगा।

अतः वर्ष 2024-25 के लायसेंसी द्वारा वर्ष 2025-26 हेतु नवीनीकरण करवाये जाने की स्थिति में निम्न व्यवस्था लागू होगी :-

10.2.1 वर्ष 2024-25 के लायसेंसी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रतिभूति राशि ई-बैंक गारंटी के रूप में होने पर लायसेंसी अपने नवीनीकरण आवेदन पत्र के साथ वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत प्रतिभूति राशि दिनांक 30.04.2026 तक के लिए जमा मान्य करने की सहमति प्रस्तुत करेगा।

नवीनीकरण आवेदक द्वारा ऐसी ई-बैंक गांरटी की वैधता दिनांक 30.04.2026 तक की वृद्धि किये जाने संबंधी बैंक के पत्र को संलग्न प्रस्तुत किया जायेगा। बैंक अपने पत्र में यह उल्लेखित एवं प्रमाणित करेगा कि वैधता अवधि की वृद्धि की अवधि में, उक्त ई-बैंक गांरटी यथावत संबंधित जिले के जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त के पक्ष में बंधक रहेगी। विभाग द्वारा उक्त पत्र का सत्यापन करवाया जाएगा।

नवीनीकरण की स्थिति में निर्धारित प्रतिभूति की अन्तर की राशि निष्पादन की तिथि से 10 दिवस की अवधि में जमा करना अनिवार्य होगा।

10.2.2 वर्ष 2024-25 के लायसेंसी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रतिभूति राशि ई-बैंक गारंटी के रूप में न होने पर लायसेंसी अपने नवीनीकरण आवेदन पत्र के साथ प्रतिभूति राशि संबंधी विहित औपचारिकताओं की यथासमय पूर्ति हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा।

नवीनीकरण की स्थिति में लायसेंसी, निष्पादन की तिथि से 10 दिवस की अवधि में निर्धारित प्रतिभूति राशि की 25 प्रतिशत राशि ई-चालान अथवा ई-बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत करेगा। इस स्थिति में उसे वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से लायसेंस जारी किया जाएगा।

लायसेंसी द्‌वारा अवशेष 75 प्रतिशत की प्रतिभूति राशि ई-चालान अथवा ई-बैंक गारंटी के रूप में दिनांक 15 अप्रैल, 2025 तक अनिवार्यत: प्रस्तुत की जाएगी।

लायसेंसी द्‌वारा अवशेष 75 प्रतिशत की प्रतिभूति राशि विनिर्दिष्ट अवधि में जमा नहीं कराये जाने पर उसके उत्तरदायित्व पर उक्त मदिरा दुकान/समूह का पुनर्निष्पादन किया जाएगा।

10.2.3 नवीनीकरण की स्थिति में कंडिका क्रमांक-10.2.2 में उल्लेखित शर्तों के अनुसार नवीन प्रतिभूति राशि प्राप्त होने के उपरांत ही वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत प्रतिभूति की राशि को निर्धारित शर्तों के अधीन मुक्त किया जाएगा या उसकी राशि का समायोजन वर्ष 2024-25 की अवशेष वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के विरूद्‌ध अनुमत किया जाएगा।

10.2.4 वर्ष 2025-26 की ठेका अवधि के लिये निर्धारित प्रतिभूति की राशि वर्ष 2024-25 के लिए जमा प्रतिभूति की राशि से अधिक रहने की स्थिति में अवशेष प्रतिभूति राशि निर्धारित अवधि में जमा करना आवश्यक होगा। प्रतिभूति की राशि ई-बैंक गारंटी के रूप प्रस्तुत करने पर उसकी वैधता अवधि कम से कम दिनांक 30.04.2026 तक की होगी।

10.3 लॉटरी आवेदन पत्र/ई-टेण्डर (ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन) के माध्यम से मदिरा दुकान के निष्पादन की स्थिति में प्रतिभूति राशि जमा कराया जाना :-

10.3.1 लॉटरी/ई-टेण्डर (ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन) के माध्यम से चयनित आवेदक/सफल टेण्डरदाता द्वारा वर्ष 2025-26 की ठेका अवधि के लिए सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जिसकी वैधता अवधि कम से कम, दिनांक 30.04.2026 तक की होगी, निष्पादन के दिनांक से 10 दिवस की अवधि में अथवा 31 मार्च, 2025 के पूर्व जो भी पहले आये प्रस्तुत की जाएगी।

यदि किसी मदिरा दुकान/समूह का वर्ष 2025-26 हेतु ई-टेण्डर (ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन) के माध्यम से निष्पादन उसी आवेदक के पक्ष में होता है, जो उस समूह का वर्ष 2024-25 का अनुज्ञप्तिधारी था, तो वह अपनी पूर्व वर्ष की प्रतिभूति राशि को ई-बैंक गारंटी होने की स्थिति में नवीनीकृत कराकर प्रस्तुत कर सकेगा।

10.3.2 संबंधित मदिरा दुकानों के समूह/एकल समूहों का लायसेंस, निर्धारित सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जमा हो जाने के पश्चात ही जारी किया जायेगा। जिन मदिरा दुकानों के एकल समूहों का निष्पादन दिनांक 26 मार्च 2025 के पश्चात की किसी तिथि को अंतिम होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिभूति की राशि निष्पादन तिथि से 05 दिवस की अवधि में अर्थात दिनांक 31 मार्च 2025 तक के बाद भी जमा करायी जा सकेगी किंतु प्रतिभूति की राशि जमा होने पर ही लायसेंस जारी किया जायेगा। ऐसी स्थिति में

लायसेंस सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष हेतु ही जारी किया जाएगा किन्तु मदिरा दुकान का संचालन न होने के लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगा, इसके लिए उसे किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी।

चयनित आवेदक/सफल टेण्डरदाता द्वारा प्रतिभूति की राशि विनिर्दिष्ट अवधि में जमा नहीं कराये जाने पर उसके उत्तरदायित्व पर उक्त मदिरा दुकान के एकल समूह का पुनर्निष्पादन किया जायेगा। पुनर्निष्पादन के फलस्वरुप जो भी खिसारा आयेगा उसकी वसूली संबंधित डिफाल्टर से भू-राजस्व के बकाया की भांति की जायेगी।

10.3.3 चयनित आवेदक /सफल टेण्डरदाता मदिरा दुकानों के निष्पादन के दिनांक से निर्धारित समयावधि में प्रतिभूति की देय राशि की 50 प्रतिशत राशि अग्रिम ई-आबकारी पोर्टल पर ऑनलाईन जमा कर, शेष 50 प्रतिशत प्रतिभूति राशि दिनांक 30 अप्रैल 2025 तक प्रस्तुत करने का आवेदन करता है, तो (इस प्रतिबंध के अधीन कि देय प्रतिभूति की 50 प्रतिशत अग्रिम ऑनलाईन जमा राशि, मुख्य राजस्व शीर्ष 0039 राज्य उत्पादन शुल्क में जमा करायी जाकर, उसका समायोजन माह मार्च 2026 में देय निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी के विरूद्ध आदेशित मान्य/किया जाये) आवेदक लायसेंसी के आवेदन को मान्य कर लायसेंस जारी किया जायेगा।

10.3.4 चयनित आवेदक/सफल टेण्डरदाता मदिरा दुकानों के समूह/एकल समूहों के निष्पादन के दिनांक से निर्धारित समयावधि में प्रतिभूति की देय राशि की 50 प्रतिशत राशि

अग्रिम ई-आबकारी पोर्टल पर ऑनलाइन जमा कर, प्रतिभूति की सम्पूर्ण राशि (अर्थात् 100 प्रतिशत राशि) दिनांक 30 अप्रैल, 2025 तक ई-बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत करता है, तो उपरोक्तानुसार प्रतिभूति राशि प्राप्त होने के उपरांत ई-आबकारी पोर्टल पर अग्रिम ऑनलाइन जमा प्रतिभूति की राशि का समायोजन जिला कार्यालय द्वारा स्वमेव संज्ञान लेकर अधिकतम एक माह में संबंधित अथवा आगामी पक्ष में देय निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी के विरूद्ध किया जाएगा।

10.3.5 चयनित आवेदक/सफल टेण्डरदाता द्वारा दिनांक 30 अप्रैल 2025 तक प्रतिभूति की शेष 50 प्रतिशत राशि प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में, उसे स्वीकृत लायसेंस निरस्त किया जाकर, जमा सम्पूर्ण राशि जप्त की जाएगी और डिफाल्टर लाइसेंसी के उत्तरदायित्व पर मदिरा एकल समूह के पुनर्निष्पादन की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। पुनर्निष्पादन के फलस्वरुप जो भी खिसारा आयेगा उसकी वसूली संबंधित डिफाल्टर से भू-राजस्व के बकाया की भांति की जायेगी।

10.4 प्रतिभूति की सम्पूर्ण राशि विनिर्दिष्ट अवधि में उपरोक्तानुसार जमा न कराये जाने की स्थिति में सफल ठेकेदार द्वारा जमा सम्पूर्ण राशि राजसात की जायेगी तथा उसके उत्तरदायित्व पर मदिरा दुकान के एकल समूह के पुनर्निष्पादन की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी एवं पुनर्निष्पादन के फलस्वरुप जो भी खिसारा आयेगा उसकी वसूली संबंधित से भू-राजस्व के बकाया की भांति की जायेगी।

10.5 शासन के राजस्व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपरिहार्य परिस्थिति में आबकारी आयुक्त, प्रतिभूति राशि जमा करने हेतु निर्धारित समयावधि में 15 दिवस तक की वृद्धि करते हुये, लायसेंस जारी करने की अनुमति देने हेतु अधिकृत होगें। किसी भी स्थिति में प्रतिभूति राशि जमा करने हेतु 30 अप्रैल के बाद का समय नहीं दिया जायेगा।

10.6 वर्ष 2025-26 की ठेका अवधि के लिए जमा की गई प्रतिभूति की राशि के प्रकार में किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कोई परिवर्तन चाहा जाता है, अर्थात् ऑनलाईन जमा राशि को ई-बैंक गारंटी (e-BG) अथवा ई-बैंक गारंटी को ऑनलाईन जमा राशि से प्रतिस्थापन करना चाहता है, तो संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी ऐसा करने के लिए अधिकृत होंगे।

किसी एकल समूह हेतु, प्रतिभूति प्रतिस्थापन की यह अनुमति वित्तीय वर्ष की अवधि में एक बार ही दी जाएगी। ऐसे प्रतिस्थापन में ई-चालान से जमा प्रतिभूति राशि का अनुज्ञप्तिधारी की न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी राशि के विरूद्ध समायोजन भी अनुमत होगा।

सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी द्वारा ऐसा प्रतिस्थापन अनुमत करने के पूर्व सुसंगत अभिलेखीय प्रमाण के साथ यह सुनिश्चित किया जावेगा कि प्रत्येक समय अनुज्ञप्तिधारी की निर्धारित प्रतिभूति राशि विभाग के पास निरंतर जमा रहे।

10.7 किसी मदिरा दुकान/समूह के वर्ष के दौरान पुनर्निष्पादन की स्थिति में उक्त दुकान/समूह हेतु वर्ष की शेष अवधि के लिए प्राप्त वार्षिक मूल्य के 10 प्रतिशत अथवा उस दुकान/समूह की न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी राशि की एक पक्ष की मांग, दोनों में से जो भी अधिक हो, के समतुल्य प्रतिभूति प्राप्त की जाएगी।

11. नवीनीकरण/लॉटरी/ई-टेण्डर प्रपत्र का मूल्य :-

11.1 वर्ष 2025-26 की ठेका अवधि के लिए नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का मूल्य प्रत्येक मदिरा दुकान के लिए 50,000/- रूपये के मान से रहेगा। लॉटरी आवेदन पत्र/ई-टेण्डर (ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन) प्रक्रिया में भाग लेने हेतु लॉटरी आवेदन पत्र/ई-टेण्डर फार्म का मूल्य प्रति समूह 30,000/- रूपये होगा (चाहे समूह में सम्मिलित दुकानों की संख्या एक से अधिक भी हो)।

11.2 नवीनीकरण/लॉटरी/ई-टेण्डर फार्म की राशि वापसी अथवा समायोजन योग्य नहीं होगी।

12. ई-टेण्डर द्वारा मदिरा दुकानों के निष्पादन की व्यवस्था एवं शर्तें :-

12.1 ई-टेण्डरिंग की प्रक्रिया आवश्यकतानुसार एक से अधिक चरणों में की जा सकेगी। ई-टेण्डरिंग NIC के mptenders पोर्टल (https://mptenders.gov.in) के माध्यम से की जावेगी।

12.2 ई-टेण्डर से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की व्यवस्था, टेण्डर में सम्मिलित होने की प्रक्रिया, प्रावधान, शर्तें तथा निर्बंधन आबकारी आयुक्त द्वारा शासन से अनुमोदन प्राप्त कर जारी किये जाएंगे।

13. निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि जमा करने एवं पाक्षिक प्रदाय की प्रशासनिक नियंत्रण की दृष्टि से व्यवस्था :-

13.1 मदिरा दुकानों के समूह/एकल समूहों के लिए परिगणित निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि 24 पाक्षिक किश्तों में वसूली योग्य होगी। ये किश्तें समान रूप से विभाजित नहीं होगी। वर्ष के प्रथम त्रैमास में वार्षिक मांग का 30 प्रतिशत, द्वितीय त्रैमास में वार्षिक मांग का 20 प्रतिशत तथा वर्ष के तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमासों में वार्षिक मांग

का क्रमशः 25 एवं 25 प्रतिशत भाग वसूल किया जायेगा। किसी भी त्रैमास में वसूली योग्य इस राशि को छः समान भागों में बांटा जाएगा। यदि यह राशि छः समान भागों में विभाज्य नहीं है, तो अविभाज्य शेष भाग को संबंधित त्रैमास की प्रथम पाक्षिक किश्त में समायोजित किया जाएगा।

13.2 मदिरा दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों को किसी पक्ष की देय निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि, ई-आबकारी (सायबर ट्रेजरी) इन्टीग्रेशन के माध्यम से ई-वालेट में जमा करनी होगी। अनुज्ञप्तिधारियों को ई-वालेट के माध्यम से जमा की गई राशि का न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि में समायोजन करना होगा। समायोजन की इस दिनांक को ही आगामी संदर्भो के लिए जमा दिनांक मान्य किया जायेगा।

13.3 न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि में समायोजित की गयी राशि पर निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के समतुल्य देशी तथा/अथवा विदेशी मदिरा का प्रदाय देशी/विदेशी मदिरा भण्डागार से अनुमत होगा।

13.4 मदिरा दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा किसी पक्ष की निर्धारित पाक्षिक मांग से अधिक राशि जमा किए जाने पर वह राशि स्वतः ही उस दुकान के आगामी पक्षों में समायोजित होगी।

13.5 मदिरा दुकानों के एकल समूह/समूहों की दुकानों का पृथक-पृथक एवं स्वतंत्र अस्तित्व रहेगा, किन्तु मदिरा दुकानों के समूह/एकल समूहों की किसी भी एक या एक से अधिक दुकानों की पाक्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि बकाया रहने पर, वह बकाया संपूर्ण मदिरा दुकानों के एकल समूह/समूहों की बकाया मानी जाएगी।

13.6 ई-वालेट व्यवस्था प्रभावी हो जाने के कारण, चालान की भूमिका समाप्त हो जाने से पोर्टल पर उपलब्ध प्रदाय योग्य समस्त राशि में से लायसेंसी द्वारा आवश्यकतानुसार राशि पर प्रदाय लिया जा सकेगा

अर्थात एक चालान पर आंशिक प्रदाय अथवा एक से अधिक चालानों पर एक साथ प्रदाय भी लिया जा सकेगा।

13.7 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पोर्टल पर डिमांड क्रियेट कर संबंधित समस्त भुगतान पूर्ण कर लेने के बाद देशी एवं विदेशी मद्यभाण्डागार से 03 दिवस के अंदर मदिरा का प्रदाय लेना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी को उसके द्वारा क्रियेट डिमांड हेतु जमा न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि की 0.5 प्रतिशत राशि डिफाल्टर के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त अनियमितता 07 दिवस के उपरांत भी जारी रहने की स्थिति में उक्त राशि की 0.1 प्रतिशत डिफाल्टर राशि प्रतिदिन के मान से अतिरिक्त रूप से प्रभारित की जायेगी।

13.8 किसी एकल समूह में सम्मिलित समस्त दुकानों की उस पक्ष तक की देय प्रगामी सम्पूर्ण राशि उस पक्षान्त तक जमा न किये जाने की स्थिति में, उस समूह की समस्त दुकानों का प्रदाय पक्षान्त के आगामी दिवस से ही पोर्टल द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जायेगा किन्तु पोर्टल पर पूर्व से ही बनाई गयी डिमान्ड पर प्रदाय अनुमत होगा।

13.9 किसी एकल समूह में सम्मिलित समस्त दुकानों की उस पक्ष तक की देय प्रगामी सम्पूर्ण राशि उस पक्षान्त तक जमा न किये जाने की स्थिति में, वह समूह पोर्टल पर डिफाल्टर प्रदर्शित होगा। संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को पक्ष समाप्ति के आगामी दिवस पर ही संबंधित लायसेंसी को लायसेंस निरस्तीकरण हेतु नोटिस जारी करना होगा।

13.10 किसी एकल समूह में सम्मिलित समस्त दुकानों की उस पक्ष तक की देय प्रगामी सम्पूर्ण राशि उस पक्षान्त की समाप्ति के पूर्व या पक्षान्त से 07 दिवस के भीतर भुगतान किये जाने की स्थिति में जमा की गई

राशि पर मदिरा का प्रदाय अनुमत होगा एवं प्रदाय हेतु चालान की जमा दिनांक का कोई बंधन नहीं होगा।

वित्तीय वर्ष के अंतिम पक्ष में दिनांक 25 मार्च, 2026 के पश्चात जमा राशि के विरुद्ध मदिरा प्रदाय की पात्रता नहीं होगी। दिनांक 25 मार्च, 2026 को जमा चालानों पर दिनांक 27 मार्च, 2026 तक (अवकाश के दिनों को छोड़कर) ही मदिरा प्रदाय दिया जायेगा।

आवश्यकता को देखते हुए, उन अनुज्ञप्तिधारियों को जो आगामी वर्ष में भी निरंतर रहेंगे, सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर आबकारी आयुक्त मदिरा प्रदाय की अनुमति संबंधी उक्त अवधि में 30 मार्च तक की वृद्धि कर सकेंगे।

13.11 पक्षांत से 07 दिवस समाप्ति के उपरांत भी न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि अवशेष रहने की स्थिति में, इस प्रकार के प्रथम डिफाल्ट पर तदानुसार अवशेष न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि पर 1 प्रतिशत की राशि के समतुल्य डिफाल्टर राशि प्रभारित होगी। आगामी पक्षों में उक्त समूह के इसी स्वरूप के डिफाल्ट की पुनरावृत्ति होने पर, हर पुनरावृत्ति के साथ डिफाल्टर राशि की दर में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि होती जाएगी। उक्त डिफाल्टर राशि पर मदिरा का प्रदाय नहीं होगा तथा उक्त राशि न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि में भी समायोजित नहीं होगी। उक्त डिफाल्टर राशि की वसूली उपरांत ही आगामी प्रदाय अनुमत होगा।

वर्ष के अंतिम पक्ष हेतु 31 मार्च, 2026 की स्थिति में अवशेष न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि पर डिफाल्टर राशि प्रभारित की जाएगी।

13.12 किसी मदिरा दुकान की उस पक्ष तक की देय शेष राशि उस पक्षान्त से 07 दिवस उपरान्त भुगतान किये जाने की स्थिति में प्रदाय अनुमत नहीं होगा एवं यह राशि नगद में समायोजित होगी। प्रदाय संबंधी यह

प्रतिबंध संबंधित समूह के वित्तीय वर्ष के प्रथम डिफाल्ट पर लागू नहीं होगा। उपरोक्तानुसार डिफाल्ट एक से अधिक बार होने की स्थिति में नगद में समायोजित राशि के विरूद्ध आबकारी आयुक्त द्वारा मदिरा प्रदाय की अनुमति दी जा सकेगी।

आबकारी आयुक्त द्वारा, नगद में समायोजित राशि के विरूद्ध मदिरा प्रदाय की यह अनुमति, संदर्भित राशि से संबंधित पक्ष की समाप्ति से आगामी 02 माह तक की अवधि में ही दी जा सकेगी।

13.13 किसी एकल समूह में सम्मिलित समस्त दुकानों की उस पक्ष तक की देय प्रगामी सम्पूर्ण राशि उस पक्षान्त से 07 दिवस तक आंशिक रूप से जमा किये जाने एवं ठीक आगामी पक्ष की समाप्ति से पूर्व पूर्ण रूप से जमा किये जाने की स्थिति में, पक्षान्त से 07 दिवस की अवधि में जमा की गई राशि प्रदाय योग्य होगी एवं प्रदाय हेतु चालान की जमा दिनांक का कोई बंधन नही होगा।

13.14 किसी एकल समूह में सम्मिलित समस्त दुकानों की उस पक्ष तक की देय प्रगामी सम्पूर्ण राशि उस पक्षान्त से 07 दिवस तक पूर्ण जमा न किये जाने की स्थिति में संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी दिये गये नोटिस के अनुक्रम में, उक्त लायसेंसी के उतरदायित्व पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही करेंगे एवं राशि जमा न होने की स्थिति में आगामी पक्ष के अंत तक लायसेंस निरस्तीकरण किया जा सकेगा। यदि अवशेष न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी राशि लायसेंस निरस्तीकरण के पूर्व सम्पूर्ण जमा हो जाती है तो लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही स्वतः समाप्त हो जावेगी।

13.15 लायसेंस निरस्तीकृत वाले समूह का पुनर्निष्पादन, टेण्डर लाईव होने के पूर्व लायसेंसी द्वारा उसकी सम्पूर्ण अवशेष न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी

राशि जमा कराई जाकर एवं शेष सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष की अवधि हेतु अवशेष न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के 1 प्रतिशत राशि के समतुल्य डिफाल्टर राशि का भुगतान करने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा उक्त लायसेंस के संचालन को पूर्ववत अनुमत किया जा सकेगा।

इस दौरान यदि किसी अवधि के लिए लायसेंसी दुकान के संचालन से वंचित रहता है, तो वह अवधि किसी भी रूप में छूट के रूप में मान्य नहीं होगी।

13.16 प्रशासनिक कारणों से एवं भविष्य में मदिरा दुकानों के पुनर्निष्पादन की आशंका कम किये जाने के दृष्टिकोण से, राजस्व हित में मदिरा दुकानों का संचालन वर्तमान लायसेंसी द्वारा किया जा सके, ऐसे प्रकरणों में स्थानीय परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में शासन राजस्व को सुरक्षित रखने हेतु पाक्षिक प्रदाय संबंधी बन्धनों से छूट देने हेतु आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश अधिकृत होंगे।

13.17 देशी/विदेशी मदिरा भाण्डागार से एक ही लायसेंसी की समान मार्ग पर स्थित मदिरा दुकानों के एक से अधिक परमिट को एक ही वाहन पर प्रदाय किया जा सकेगा।

13.18 जनरल क्लाजेज एक्ट (साधारण खण्ड अधिनियम) की धारा 7 के अनुसार, यदि मध्यप्रदेश में लागू किसी अधिनियम के अन्तर्गत किसी कार्य को करने के लिए कोई निश्चित तिथि या अवधि के अंतिम दिवस में कार्यालय बंद हो और यदि उसके अगले कार्यकारी दिवस में वह कार्य किया जाता है तो, उस कार्य को समय पर किया जाना माना जाएगा। तदानुसार यदि पक्ष के अंतिम दिवस/दिवसों में निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत घोषित अवकाश में बैंक बंद रहता है, जिसके कारण पक्ष के अंति□म कार्यकारी दिवस में न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि जमा न की जाकर उसके बाद आने वाले कार्यकारी

दिवस में जमा की जाती है, तो ऐसी जमा न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि को पूर्ववर्ती पक्ष में जमा न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि मानकर कार्यवाही की जायेगी।

14. मदिरा का उठाव :-

14.1 मदिरा के फुटकर लायसेंसी को उसकी मदिरा दुकान के लिए प्रत्येक त्रैमास हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के विरूद्ध 85 प्रतिशत ड्यूटी राशि (BIO मदिरा की समायोजन योग्य बोतल फीस की राशि सम्मिलित) की देशी/विदेशी मदिरा का प्रदाय लिया जाना अनिवार्य होगा अर्थात् उसे अधिकतम 15% की सीमा तक ही ड्यूटी राशि नगद में समायोजन कराने की अनुमति होगी।

14.2 प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति पर इसका परीक्षण कर 85% राशि की सीमा से कम राशि की मदिरा का प्रदाय लिये जाने की स्थिति में इस प्रकार अवशेष न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि की 2.5% राशि के बराबर की शास्ति देय होगी। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास की शास्ति की राशि संबंधित त्रैमास की समाप्ति से 20 दिन के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा।

14.3 वर्ष हेतु निर्धारित सम्पूर्ण न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के विरूद्ध मदिरा के उठाव का दिनांक 27 मार्च तक की स्थिति में परीक्षण किया जाकर उस अवधि में 85 प्रतिशत उठाव किये जाने की स्थिति में पूर्व में जमा शास्ति की राशि अवशेष न्यूनतम प्रत्याभूत राशि की मांग के विरूद्ध समायोजित की जाएगी।

15. मदिरा दुकानों से विक्रय योग्य मदिरा का स्वरूप :-

15.1 मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी केवल बोतल बंद देशी मदिरा, भारत में निर्मित एवं बोतल बंद विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर) एवं विदेश में निर्मित एवं मूल में बोतल बंद (Bottled in Origin) आयातित विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर) का ही संग्रह एवं विक्रय, अनुज्ञप्त दुकान से कर सकेगा।

15.2 आबकारी आयुक्त द्वारा किसी क्षेत्र विशेष/मदिरा दुकान/दुकानों हेतु ऐसे विदेशी मदिरा एवं बीयर के ब्राण्ड्स की सूची निर्धारित की जा सकेगी, जिसका स्कंध विक्रय हेतु रखना संबंधित फुटकर विक्रेता को अनिवार्य होगा।

16. आवेदक जो मादक द्रव्यों की अनुज्ञप्ति हेतु अयोग्य रहेंगे :-

ऐसे आवेदक (आवेदक से तात्पर्य व्यक्ति, सोल प्रोपराइटर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी अथवा कन्सॉर्टियम है), मादक द्रव्यों की अनुज्ञप्ति हेतु अयोग्य रहेंगे :-

16.1 कोई भी व्यक्ति, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो।

16.2 कोई भी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/फर्म का भागीदार/लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का भागीदार/कन्सॉर्टियम का संचालक जो स्वतः अथवा जमानतदार की हैसियत से आबकारी विभाग की किसी राशि का बकायादार हो।

16.3 वर्ष 2024-25 का अनुज्ञप्तिधारी जिसके द्वारा उसके लायसेंस की माह जनवरी 2025 के प्रथम पक्षांत तक की संपूर्ण देय वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि न चुकाई गई हो।

16.4 वर्ष 2024-25 का अनुज्ञप्तिधारी, जिसकी निजी स्वामित्व की अथवा फर्म के भागीदार, कंपनी के संचालक/शेयर होल्डर के रूप में आंशिक

स्वामित्व की एक भी मदिरा दुकान/समूह की अनुज्ञप्ति के निरस्तीकरण अथवा पुनर्निष्पादन के आदेश राज्य के किसी भी जिले में किये गये हों, वह मध्यप्रदेश के किसी भी जिले में संचालित मदिरा दुकान/समूह के लिये किसी भी रीति से निष्पादन/पुनर्निष्पादन की कार्यवाही में भाग लेने के लिये अपात्र होगा।

16.5 राजस्व संबंधी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या Trademarks Act, 1999 या भारतीय न्याय संहिता, 2023 (क्रमांक 45 सन् 2023) की धाराओं 345 से 350, एवं 178 से 188 के अधीन या नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिकसब्सटेंसेस अधिनियम, 1985 अथवा इन अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के गंभीर उल्लंघन करने का दोषी रहा हो और ऐसे अपराधों के लिए किसी दांडिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया हो।

16.6 कोई भी व्यक्ति जो मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (2) एवं धारा 49 (क) के तहत दोषी रहा हो तथा उसे न्यूनतम 01 वर्ष की सजा हुई हो ।

16.7 यदि निष्पादित मदिरा दुकानों की अनुज्ञप्ति की संचालन अवधि के दौरान कण्डिका 16.5 व 16.6 की अनर्हता पैदा होती है तो वह ठेका चलाने का पात्र नहीं रहेगा। परन्तु ऐसी स्थिति में संबंधित मदिरा दुकान का अंतरण (हस्तांतरण) सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक 6 के अन्तर्गत किसी पात्र व्यक्ति के पक्ष में निर्धारित अंतरण फीस जमा करायी जाकर किया जा सकेगा।

17. **ड्यूटी दरें :-**

देशी/विदेशी मदिरा की ड्यूटी दरें निम्नानुसार रहेंगी :-

17.1 देशी मदिरा ड्यूटी दर :-

वर्ष 2025-26 में 25 डिग्री अण्डरप्रूफ तेजी की देशी मदिरा मसाला, 50 डिग्री अण्डरप्रूफ तेजी की देशी मदिरा प्लेन एवं 60 डिग्री अण्डरप्रूफ की देशी मदिरा की ड्यूटी दर एक समान रुपये 385/- प्रति प्रूफ लीटर रहेगी।

17.2 विदेशी मदिरा ड्यूटी दरें :-

वर्ष 2025-26 में विदेशी मदिरा की ड्यूटी EDP आधारित Ad-valorem रहेगी। इस व्यवस्था में विदेशी मदिरा की मान्य EDP अनुसार स्लैब में EDP के निर्धारित प्रतिशत पर ड्यूटी परिगणित की जाएगी। सभी विदेशी मदिराओं पर उसकी EDP के आधार पर पिछले स्लैब तक की Cumulative ड्यूटी + पिछले स्लैब से अंतर की EDP पर स्लैब हेतु निर्धारित प्रतिशत से ड्यूटी परिगणित कर प्रभारित की जाएगी।

EDP अनुसार Ad-valorem आधारित ड्यूटी की गणना निम्नानुसार होगी :-

क्र.	EDP (प्रति पेटी)	पिछले स्लैब तक की Cumulative ड्यूटी + स्लैब की न्यूनतम EDP से अंतर पर प्रभारित ड्यूटी %
1	900 तक	370%
2	900 से अधिक एवं 1000 तक	360%
3	1000 से अधिक एवं 1100 तक	350%
4	1100 से अधिक एवं 1200 तक	340%
5	1200 से अधिक एवं 1500 तक	310%
6	1500 से अधिक एवं 1800 तक	280%

7	1800 से अधिक एवं 2400 तक	240%
8	2400 से अधिक एवं 3200 तक	200%
9	3200 से अधिक एवं 4500 तक	160%
10	4500 से अधिक एवं 6000 तक	120%
11	6000 से अधिक एवं 8000 तक	80%
12	8000 से अधिक	50%

उक्त तालिका अनुसार ड्यूटी की गणना के उदाहरण निम्नानुसार है :-

उदाहरण-1: 850/- रूपये EDP होने की स्थिति में, स्लैब में निर्धारित 370% की दर से कुल ड्यूटी राशि रूपये 3,145/- (850x3.7) परिगणित होगी।

उदाहरण-2: 960/- रूपये EDP होने की स्थिति में, पिछले स्लैब की निर्धारित 370% की दर से ड्यूटी राशि रूपये 3,330/- (900x3.7) एवं पिछले स्लैब से EDP की अतिरिक्त राशि रूपये 60/- (960-900) पर वर्तमान स्लैब की निर्धारित ड्यूटी 360% के आधार पर अतिरिक्त 216/- रूपये (60x3.6) जोड़ा जाकर, इस प्रकार कुल ड्यूटी राशि रूपये 3,546/- परिगणित होगी।

उदाहरण-3: 2,000/- रूपये EDP होने की स्थिति में, पिछले स्लैब तक की Cumulative ड्यूटी राशि रूपये 6,150/- (3330+360+350+340+930+840) एवं पिछले स्लैब से EDP की अतिरिक्त राशि रूपये 200/- पर वर्तमान स्लैब की निर्धारित ड्यूटी 240% के आधार पर अतिरिक्त 480/- रूपये (200x2.4) जोड़ा जाकर, इस प्रकार कुल ड्यूटी राशि रूपये 6,630/- परिगणित होगी।

17.2.1 वर्ष 2025-26 के लिये मदिरा दुकानों से मानक सीलबन्द बोतल/कैन 650 मि.ली., 500 मि.ली. एवं 330 मि.ली.(समकक्ष)

में विक्रय की जाने वाली बीयर एवं ड्राफ्ट बीयर पर ड्यूटी प्रति पेटी घोषित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 130 प्रतिशत रहेगी।

17.2.2 कैग में दी जाने वाली ड्राफ्ट बीयर पर ड्यूटी 80/- रूपये प्रति बल्क लीटर रहेगी।

17.2.3 वाईन (विदेशी मदिरा) पर ड्यूटी दर 110/- रूपये प्रति बल्क लीटर होगी। मध्यप्रदेश राज्य में कृषकों द्वारा उत्पादित अंगूर का उपयोग कर, मध्यप्रदेश में निर्मित वाईन पर ड्यूटी दर पूर्ववत शून्य रहेगी।

17.2.4 **Low Alcoholic Beverage (रेडी टू ड्रिंक) पेय :-** 10 प्रतिशत (V/V) तक एल्कोहल शक्ति वाले ऐसे Low Alcoholic Beverage (रेडी टू ड्रिंक) पेय की EDP (प्रतिकेस अधिकतम 9.0 बल्क लीटर तक) न्यूनतम रूपये 700/- से कम नहीं रखी जाएगी एवं ऐसी रेडी टू ड्रिंक मदिरा पर ड्यूटी 750/- रूपये प्रति प्रूफ लीटर की दर से प्रभारित की जाएगी।

निर्यात हेतु Low Alcoholic Beverage (रेडी टू ड्रिंक) में एल्कोहल की मात्रा की अधिकतम सीमा को आबकारी आयुक्त द्वारा शिथिल किया जा सकेगा।

17.2.5 रक्षा सेवाओं को प्रदाय की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर देय ड्यूटी, सिविलियन्स के लिये देय ड्यूटी की, रम के लिये 30 प्रतिशत तथा अन्य विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर) के लिये 45 प्रतिशत रहेगी ।

17.2.6 मध्यप्रदेश में विक्रय हेतु 15,000/- रूपये से अधिक EDP (12 बोतल हेतु) वाली मदिरा की एक पेटी में 06 बोतल (4.5 बल्क लीटर) भी अनुमत होगा।

17.2.7 मध्यप्रदेश में विक्रय हेतु न्यूनतम 7,000/- रूपये प्रति बोतल एवं उससे अधिक MSP वाली मदिरा के लिए विदेशी मदिरा मद्यभाण्डागार से प्रदाय की इकाई बोतल भी हो सकेगी।

18. EDP का निर्धारण :-

18.1 विदेशी मदिरा (IMFL) की समस्त श्रेणियों (स्पिरिट, बीयर, वाईन एवं रेडी टू ड्रिंक्स) के लिए मदिरा विनिर्माताओं को उस ब्राण्ड/लेबिल हेतु प्रदेश के सभी सीमावर्ती राज्यों में घोषित न्यूनतम EDP से 10 प्रतिशत अधिक की सीमा तक ही EDP घोषित करने की अनुमति होगी।

18.2 BIO मदिरा की समस्त श्रेणियों (स्पिरिट, बीयर, वाईन एवं रेडी टू ड्रिंक्स) के लिए मदिरा विनिर्माताओं को उस ब्राण्ड/लेबिल हेतु प्रदेश के सभी सीमावर्ती राज्यों में घोषित न्यूनतम EDP से 10 प्रतिशत अधिक की सीमा तक ही (समस्त ड्यूटी एवं बोतल फीस को सम्मिलित करते हुए) EDP घोषित करने की अनुमति होगी।

उक्तानुसार घोषित EDP में सम्मिलित किये गये समस्त घटकों (Assessable Value/CIF, फीस, शुल्क, मार्जिन इत्यादि) का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।

18.3 EDP का निर्धारण आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश के अनुमोदन के अधीन रहेगा। औचित्यपूर्ण आधार पर आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश प्रस्तुत EDP में संशोधन हेतु विनिर्माता को निर्देशित कर सकेंगे।

18.4 किसी विदेशी मदिरा (IMFL/BIO) लेबिल की प्रदेश में EDP अनुमोदित कराये जाने के उपरांत, किसी निकटवर्ती राज्य में कंडिका क्रमांक-18.1 एवं 18.2 में उल्लेखित सीमा से कम की EDP अनुमोदित कराई जाती

है, तो उस विनिर्माता द्वारा प्रदेश में भी उक्त लेबिल की अपनी EDP का पुनर्निर्धारण करवाया जाना अनिवार्य होगा।

अन्यथा की स्थिति में संबंधित ब्राण्ड/लेबिल का EDP अनुमोदन निरस्त कर दिया जाएगा।

19. आयातित विदेशी मदिरा (BIO) पर चुकाई गई बोतल फीस का समायोजन :-

वर्ष 2025-26 में BIO स्पिरिट मदिरा पर प्रति बोतल 750/- रूपये बोतल फीस प्रभारित की जाएगी किन्तु फुटकर मदिरा विक्रेता को न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि में 600/- रूपये प्रति बोतल का समायोजन ही अनुमत होगा।

20. संचालन एवं व्यवस्थापन व्यय का निर्धारण :-

वर्ष 2025-26 हेतु देशी मदिरा, विदेशी मदिरा (स्पिरिट, बीयर, वाईन एवं रेडी टू ड्रिंक्स) तथा BIO हेतु व्यवस्थापन एवं संचालन व्यय निम्नानुसार रहेगा :-

20.1 देशी मदिरा हेतु संचालन एवं व्यवस्थापन व्यय 33 प्रतिशत परिगणित कर निर्धारण किया जायेगा।

20.2 विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं रेडी टू ड्रिंक्स) एवं BIO (बीयर छोड़कर) हेतु संचालन एवं व्यवस्थापन व्यय प्रति पेटी EDP 1400 तक 25%, 1401 से 8000 तक 23% एवं 8000 से अधिक पर 20% परिगणित कर निर्धारण किया जायेगा।

20.3 वर्ष 2025-26 में विदेशी मदिरा (बीयर एवं BIO बीयर) हेतु संचालन एवं व्यवस्थापन व्यय 40% परिगणित कर निर्धारण किया जायेगा।

21. MSP एवं MRP के निर्धारण की प्रक्रिया एवं मुद्रण/अंकन :-

राज्य शासन द्वारा नापतौल विभाग की अपेक्षाओं के अनुरूप अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (MRP) के निर्धारण की गणना एवं अनुचित व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा के कारण लागत से कम मूल्य पर मदिरा का विक्रय न हो, इस दृष्टि से न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य (MSP) का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा :-

21.1 देशी मदिरा हेतु :-

वर्ष 2025-26 के लिए देशी मदिरा मसाला, प्लेन एवं 60 यूपी मदिरा की न्यूनतम एवं अधिकतम विक्रय दरों का निर्धारण निम्न आधार पर लागत राशियों को जोड़ते हुये किया जायेगा:-

1. घोषित/मान्य प्रति पेटी एक्स डिस्टलरी प्रदाय दर
2. प्रति पेटी निर्धारित आबकारी ड्यूटी
3. वार्षिक लायसेंस फीस (ड्यूटी की राशि का 5.263 प्रतिशत)
4. व्यवस्थापन/संचालन व्यय (उपरोक्त क्रमांक 1, 2 एवं 3 के योग का 33%)

उपरोक्तानुसार क्रमांक 1 से 4 तक के योग को पेटी में नगों की संख्या से विभाजित कर आगामी रूपये 1/- के गुणांक में परिगणित कर देशी मदिरा की प्रत्येक किस्म एवं धारिता की बोतल के न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य (MSP) का निर्धारण किया जायेगा।

21.2 विदेशी मदिरा हेतु :-

वर्ष 2025-26 के लिए विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर) की न्यूनतम एवं अधिकतम विक्रय दरों का निर्धारण निम्न आधार पर लागत राशियों को जोड़ते हुये किया जाएगा :-

1. घोषित/मान्य प्रति पेटी एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर
2. प्रति पेटी निर्धारित आबकारी ड्यूटी (Ad-valorem स्लैब अनुसार)
3. वार्षिक लायसेंस फीस (ड्यूटी की राशि का 5.263 प्रतिशत)
4. परिवहन शुल्क (एक्स विदेशी मदिरा गोदाम कीमत का 8 प्रतिशत)
5. व्यवस्थापन/संचालन व्यय (उपरोक्त क्रमांक 1 से 4 तक के योग पर स्पिरिट, वाईन एवं रेडी टू ड्रिंक्स में प्रति पेटी EDP के आधार पर 25% से 20% एवं बीयर में 40%)

उपरोक्तानुसार क्रमांक 1 से 5 तक के योग को पेटी में नगों की संख्या से विभाजित कर आगामी रूपये 1/- के गुणांक में परिगणित कर विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन तथा बीयर) की प्रत्येक किस्म एवं धारिता की बोतल के न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य (MSP) का निर्धारण किया जायेगा।

21.3 देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन तथा बीयर) की प्रत्येक किस्म एवं धारिता की बोतल के परिगणित एवं निर्धारित न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य (MSP) में 15 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर उसका अधिकतम विक्रय मूल्य (MRP) परिगणित एवं निर्धारित किया जायेगा। MRP को रूपये 1/- के उच्चतर गुणांक में रखा जायेगा।

BIO मदिरा हेतु MRP का निर्धारण 10/- रूपये के आगामी गुणांक में किया जाएगा। MRP में 10% वैट शामिल है, यह अंकित किया जायेगा।

21.4 विदेशी मदिरा (स्पिरिट) की 180 एम.एल. धारिता की बोतल का न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य (MSP) तथा देशी मदिरा मसाला (25 यूपी) की 180 एम.एल. धारिता वाली पैट की बोतल के न्यूनतम

फुटकर विक्रय मूल्य (MSP) के बीच का अंतर न्यूनतम रूपये 15/- रखा जायेगा।

21.5 विदेशी मदिरा विनिर्माणी (एफ.एल.-9, एफ.एल.-9-ए, बी-3, 9-ए ऑफ बी-3) बाहरी निर्माता केन्द्रीय भाण्डागार (एफ.एल.-10-ए), लायसेंसी एवं मूल में बोतल बन्द आयातित विदेशी मदिरा के लिए केन्द्रीय गोदाम (एफ.एल.-10-बी) लायसेंसी) के उनके विदेशी मदिरा स्पिरिट यथा व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, वोदका, जिन तथा वाईन, रेडी टू ड्रिंक (Low Alcoholic Beverages) पेय व बीयर आदि उत्पादों की घोषित एवं आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए मान्य की गई प्रतिपेटी एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दरों एवं उसके आधार पर न्यूनतम फुटकर विक्रय (MSP) एवं अधिकतम फुटकर विक्रय दर (MRP) के अनुमोदन पश्चात वर्ष की अवधि में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव 06 माह के अंतराल के पश्चात ही विचारणीय होगा।

आवेदक/ विनिर्माता इकाई के आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों/ कारणों पर विचारोपरांत आबकारी आयुक्त द्वारा इस अवधि के पूर्व भी EDP परिवर्तन हेतु अनुमति दी जा सकेगी। ऐसे प्रत्येक आवेदन में 10,000/- रूपये प्रति लेबल/ब्राण्ड आवेदन शुल्क प्रभारित किया जाएगा, जो कि किसी भी रूप में वापसी योग्य नहीं होगा।

22. न्यूनतम एवं अधिकतम विक्रय दरों का पालन :-

22.1 मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान का लायसेंसी न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य (MSP) एवं अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (MRP) अथवा उस के बीच की कोई राशि, विक्रय दर के रूप में उपभोक्ता से वसूल कर सकेगा।

22.2 निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP) से कम मूल्य पर एवं निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य (MRP) से अधिक मूल्य पर मदिरा का विक्रय किया जाना, गंभीर अनियमितता मानकर प्रथम बार में प्रकरण दिनांक को उक्त दुकान की 01 दिवस हेतु देय न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के समतुल्य राशि की तथा पश्चातवर्ती उल्लघंन पर संबंधित मदिरा दुकान की प्रकरण दिनांक को 02 दिवस हेतु देय न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के समतुल्य राशि की शास्ति आरोपित की जाएगी। एक ही दुकान में 03 बार से अधिक उल्लघंन होने पर उसका लायसेंस निरस्त किया जा सकेगा।

22.3 वर्ष की शेष अवधि के लिये लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही के फलस्वरूप, यदि ऐसी मदिरा दुकान किसी समूह में सम्मिलित है, तो उक्त समूह की समस्त मदिरा दुकानों का लायसेंस भी वर्ष की शेष अवधि के लिये निरस्त किया जायेगा।

23. देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था :-

23.1 वर्ष 2025-26 के लिए देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था हेतु 01 वर्ष के लिये निविदा पारदर्शी रूप से प्रदेश के आसवकों के मध्य जिलेवार ई-टेण्डर के माध्यम से बुलाई जाएगी।

23.2 देशी मदिरा प्रदाय क्षेत्र आवंटन हेतु जिलेवार प्रतिभूति के स्थान पर इकाई को आंवटित क्षेत्रों की कुल राशि की समेकित प्रतिभूति भी ली जा सकेगी।

23.3 आसवकों को वर्ष 2025-26 हेतु उन्हें आवंटित प्रदाय क्षेत्रों में समान शर्तों एवं दरों पर वर्षांत के उपरांत आगामी 06 माहों के लिए प्रदाय जारी रखने हेतु आदेशित किया जा सकेगा, जो उनके लिए बंधनकारी होगा।

23.4 वर्ष 2025-26 में देशी मदिरा की दो किस्में मसाला (25 डिग्री यूपी) एवं प्लेन (50 डिग्री यूपी) पूर्ववत प्रचलन में रहेंगी। इसके अतिरिक्त कम शक्ति की मदिरा के रूप में 60 डिग्री यूपी तेजी की देशी मदिरा की नवीन श्रेणी प्रारंभ की जाएगी।

23.5 देशी मदिरा मसाला (25 डिग्री यूपी) "रंगीन", देशी मदिरा प्लेन (50 डिग्री यूपी) मदिरा "रंगहीन" तथा कम तेजी की 60 डिग्री यूपी वाली देशी मदिरा भी "रंगहीन" होगी।

23.6 सभी श्रेणियों की देशी मदिरा का प्रदाय 180 एम.एल.एवं 90 एम.एल. की धारिता में ही दिया जाएगा।

पूर्व वर्ष में प्रचलित 750 एम.एल. एवं 375 एम.एल. धारिता का प्रदाय नगण्य होने के कारण आगामी वर्ष से नहीं रहेगा।

23.7 देशी मदिरा की भराई, ब्राण्ड नाम सहित पूर्वानुसार शब्द "देशी मदिरा" व "म0प्र0 आबकारी" तथा बोतल की धारिता उत्कीर्ण की हुई कांच एवं पैट की बोतलों में की जायेगी।

23.8 प्रदेश के चिन्हित जिलों में देशी मदिरा का प्रदाय एसेप्टिक पैकेजिंग (टैट्रा पैक) इत्यादि में अनिवार्य किया जाएगा। देशी मदिरा की 180 एम.एल. की धारिता का प्रदाय पैट एवं एसेप्टिक पैकेजिंग (टैट्रा पैक) में किया जा सकेगा, परन्तु 90 एम.एल. धारिता का प्रदाय सिर्फ पैट में ही अनुमत होगा।

23.9 देशी मदिरा के प्रदायकर्ता को अपनी देशी मदिरा बॉटलिंग इकाई सी.एस.-1बी में QR कोड हेतु उपयुक्त क्षमता का स्कैनर आवश्यक रूप से स्थापित करना होगा।

23.10 देशी मदिरा मद्यभाण्डागार में निर्धारित न्यूनतम स्कंध न रखने पर शास्ति अधिरोपण की प्रक्रिया प्रचलन में है। न्यूनतम स्कंध न रखने पर पेनाल्टी की गणना, औसत स्कंध के आधार पर न करते हुए प्रदाय

हेतु लंबित राशि/मांग एवं लंबित अवधि के आधार पर किये जाने की व्यवस्था ई-आबकारी पोर्टल के माध्यम से लागू की जाएगी।

23.11 देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था हेतु विस्तृत निविदा प्रक्रिया एवं शर्तों का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा शासन अनुमोदन से किया जाएगा।

24. देशी मदिरा भाण्डागार पर वर्षान्त में अवशेष देशी मदिरा स्कंध का निराकरण :-

24.1 बहिर्गामी अनुज्ञप्तिधारी, प्रदाय अनुबंध अवधि की समाप्ति उपरांत उसे आवंटित प्रदाय क्षेत्रों के देशी मदिरा भाण्डागारों पर अवशेष अविक्रित मदिरा स्कंध को आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर की अनुमति के अधीन, स्वंय के उत्तरदायित्व पर अपनी इकाई परिसर में वापिस ले जा सकेगा।

24.2 अंतर्गामी अनुज्ञप्तिधारी यदि बहिर्गामी अनुज्ञप्तिधारी से उसे आवंटित प्रदाय क्षेत्रों के भाण्डागारों में अनुबंध अवधि समाप्ति उपरांत अवशेष अविक्रित मदिरा स्कंध, क्रय करता है तो, अंतर्गामी अनुज्ञप्तिधारी को स्वीकृत प्रदाय दर, बहिर्गामी अनुज्ञप्तिधारी को स्वीकृत प्रदाय दर से कम होने पर, बहिर्गामी अनुज्ञप्तिधारी, अंतर्गामी अनुज्ञप्तिधारी को स्वीकृत प्रदाय दर से ही भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

24.3 अंतर्गामी अनुज्ञप्तिधारी यदि बहिर्गामी अनुज्ञप्तिधारी से, उसे आवंटित प्रदाय क्षेत्रों के भाण्डागारों में अनुबंध अवधि समाप्ति उपरांत अवशेष अविक्रित मदिरा स्कंध, क्रय करता है तो, अंतर्गामी अनुज्ञप्तिधारी को स्वीकृत प्रदाय दर, बहिर्गामी अनुज्ञप्तिधारी को स्वीकृत प्रदाय दर से अधिक होने पर उसके द्वारा बहिर्गामी अनुज्ञप्तिधारी को पुरानी दरों से भुगतान किया जायेगा तथा अंतर की राशि, राजस्व शीर्ष में जमा करना अनिवार्य होगी।

24.4 अंतर्गामी तथा बहिर्गामी अनुज्ञप्तिधारी के बीच स्कंध के अंतरण या भुगतान के संबंध में विवाद का निर्णय आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो उभयपक्ष पर बंधनकारी होगा।

25. विदेशी मदिरा का प्रदाय :-

25.1 विदेशी मदिरा की आपूर्ति इस व्यवस्था के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से भी की जा सकेगी, जैसा कि इस संबंध में राज्य शासन द्वारा आदेशित किया जाये।

25.2 वैट (VAT) के भुगतान की व्यवस्था मध्यप्रदेश VAT अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बने नियमानुसार होगी।

26. ड्राफ्ट बीयर के विक्रय/प्रदाय के संबंध में :-

26.1 लूज अर्थात् गैर बोतल बंद ड्राफ्ट बीयर का प्रदाय, रेस्तरां बार (एफ.एल.-2), Low Alcoholic Beverage Bar, होटल बार (एफ.एल.-3), रिसोर्टबार (एफ.एल.-3-क), सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.-4), सैनिक कैन्टीन क्लब बार (एफ.एल.-8) लायसेंसी तथा आकस्मिक लायसेंस (एफ.एल.-5) को दिया जा सकेगा।

उक्त प्रदाय नियत ड्यूटी के अग्रिम भुगतान के विरूद्ध जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर, उत्पादन इकाई के भारसाधक अधिकारी द्वारा जारी किये गये परिवहन पारपत्र पर उत्पादन इकाई से सीधे खपत के बिन्दु के लिये किया जायेगा।

ड्राफ्ट बीयर का प्रदाय 20, 30, 50 एवं 70 लीटर के कन्टेनर में ही किया जायेगा। कन्टेनर पर विभाग द्वारा निर्धारित Excise Adhesive Label (EAL) अनिवार्यतः चस्पा किया जायेगा और उसका

हिसाब पृथक से पंजी में संधारित किया जायेगा। सभी प्रकार के लायसेंसियों को ड्राफ्ट बीयर की प्राप्ति पर उसमें लगे Excise Adhesive Label (EAL) को निर्धारित मोबाईल एप अथवा ऑनलाईन पद्धति के माध्यम से आमद किया जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु विस्तृत प्रक्रियात्मक निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेंगे।

26.2 ड्राफ्ट बीयर के निर्माता द्वारा आवश्यकता अनुसार ड्राफ्ट बीयर विक्रय करने वाले अनुज्ञप्तिधारी को कार्बन डाय-ऑक्साइड फिल्टर स्वयं के व्यय पर उपलब्ध कराया जायेगा।

27. सम्पूर्ण वार्षिक न्यूनतम ड्यूटी राशि जमा होने के बाद मदिरा का प्रदाय :-

मदिरा दुकानों के समूह/एकल समूहों की निर्धारित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि सम्पूर्ण रूप से जमा हो जाने के उपरांत, वर्ष की शेष अवधि में संबंधित दुकान को मदिरा का प्रदाय दिये जाने के लिये अतिरिक्त रूप से वार्षिक लायसेंस फीस जमा कराये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। लायसेंसी को उसकी मांग अनुसार मदिरा का प्रदाय ई-आबकारी पोर्टल के माध्यम से जमा देय ड्यूटी की राशि के विरूद्ध दिया जायेगा। प्रदाय की जाने वाली मदिरा की मात्रा की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी, किन्तु इस संबंध में सामान्य लायसेंस शर्त 29 के प्रावधान लागू होंगे।

28. मदिरा स्कंध का एक मदिरा दुकान से अन्य मदिरा दुकान में स्थानांतरण :-

28.1 किसी मदिरा दुकान पर अनुज्ञप्तिधारी की आवश्यकता से अधिक मदिरा संग्रहित होने पर, उसे उसी जिले की अन्य मदिरा दुकान में

स्थानांतरण करने की स्वीकृति जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दी जाने की व्यवस्था रहेगी, परंतु जिस अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जिस पक्ष में किसी अन्य मदिरा दुकान को स्टॉक ट्रांसफर किया जाता है उसे उसी पक्ष में देशी या विदेशी मदिरा गोदाम से उसी लेबल/ब्रांड की मदिरा उठाने की अनुमति नहीं होगी।

28.2 इस प्रकार के स्थानांतरण से मदिरा स्कंध प्राप्त करने वाली मदिरा दुकान के लिये निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के विरूद्ध प्रत्येक त्रैमास में 85 प्रतिशत ड्यूटी राशि की मदिरा का प्रदाय लिया जाना अनिवार्य होगा तथा स्थानांतरण से प्राप्त मदिरा स्कंध को इस अनिवार्य प्रदाय के विरूद्ध समायोजित नहीं किया जायेगा।

28.3 मदिरा स्कंध का एक मदिरा दुकान से अन्य मदिरा दुकान में स्थानांतरण करने पर, इस तरह का स्थानांतरण किसी एक समूह की ही दो दुकानों के मध्य होने पर देशी मदिरा, विदेशी मदिरा (स्पिरिट एवं वाईन) पर प्रति पेटी रूपये 50/- तथा बीयर पर प्रति पेटी रूपये 20/- की दर से तथा ऐसा स्थानांतरण दो भिन्न समूहों की मदिरा दुकानों के मध्य होने पर देशी मदिरा, विदेशी मदिरा (स्पिरिट एवं वाईन) पर प्रति पेटी रूपये 75/- तथा बीयर पर प्रति पेटी रूपये 40/- की दर से परिवहन फीस देय होगी, जो अनुज्ञप्तिधारी से अग्रिम जमा करायी जायेगी।

29. एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों में परस्पर वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी का अन्तरण :-

एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों के वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी में समूह की एक मदिरा दुकान से समूह की अन्य मदिरा दुकान

में अधिकतम 20 प्रतिशत के अन्तरण (Transfer) की अनुमति लायसेंस अवधि में दी जा सकेगी। इसके अन्तर्गत वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की जितनी राशि अंतरित की जावेगी, उसकी 1 प्रतिशत राशि का भुगतान अंतरण शुल्क के रूप में पृथक से अनुमति/आदेश प्राप्ति पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को जमा करना होगा। वर्ष के दौरान अंतरित की गई न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि वर्ष की समाप्ति तक किसी भी प्रकार से पुनरावर्तित (reversible) नहीं की जा सकेगी।

30. मदिरा दुकानों का संचालन :-

30.1 प्रदेश की समस्त मदिरा दुकानों पर Point of Sale (POS) मशीनें स्थापित की जायेंगी एवं POS मशीन के माध्यम से समस्त प्रकार की मदिरा बोतल पर चस्पा Excise Adhesive Label (EAL) को अनिवार्यतः स्कैन कर ही बिलिंग एवं विक्रय किया जायेगा।

POS मशीन के माध्यम से विक्रय अनिवार्य किये जाने के उपरांत उसका उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में प्रथम 03 उल्लंघन पर 25,000/- रूपये प्रति प्रकरण शास्ति आरोपित की जाएगी। 03 से अधिक बार उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में ऐसी आगामी प्रत्येक पुनरावृत्ति पर शास्ति में 5,000/- रूपये प्रति प्रकरण उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाएगी।

तदविषयक विस्तृत निर्देश शासन अनुमोदन उपरांत पृथक से प्रसारित किये जाएंगे।

30.2 इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सिस्टम के माध्यम से मदिरा की बोतल लेबिल तक ट्रैक एंड ट्रेस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। इस हेतु विनिर्माणी इकाइयों को स्वयं के व्यय पर आवश्यक व्यवस्थाएं करनी होगी।

30.3 किसी अन्य संस्था अथवा एजेंसी द्वारा किसी भी फुटकर मदिरा विक्रय दुकान/बार, थोक मदिरा विक्रय अनुज्ञप्ति अथवा मदिरा विनिर्माणी इकाई का संचालन बिना अनुज्ञापन प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बंद नहीं किया जाएगा अथवा उसे सील नहीं किया जाएगा।

आबकारी विभाग के अधिकारी अथवा अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी को छोड़कर अन्य किसी अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्त परिसर का निरीक्षण बिना अनुज्ञापन प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के नहीं किया जाएगा एवं ऐसे प्रत्येक निरीक्षण कार्यवाही की अनिवार्यत: वीडियोग्राफी करायी जाएगी।

31. देशी/विदेशी मदिरा मद्यभाण्डागार संबंधी प्रावधान :-

31.1 प्रदेश के सभी देशी एवं विदेशी मदिरा मद्यभाण्डागारों पर वर्तमान में प्रचलित राजस्व तालों के स्थान पर Biometric e-Lock का उपयोग प्रारंभ किया जाएगा।

31.2 विदेशी मदिरा मद्यभाण्डागारों पर मदिरा की लोडिंग/अनलोडिंग व्यवस्था हेतु दरों का निर्धारण राज्य स्तर से किया जाएगा।

निर्धारित दर अनुसार लोडिंग/अनलोडिंग की पारिश्रमिक राशि का भुगतान प्रदाय प्राप्तकर्ता फुटकर मदिरा विक्रय अनुज्ञप्तिधारी एवं संबंधित विनिर्माता द्वारा ठेकेदार/श्रमिकों को ऑनलाईन व्यवस्था के द्वारा किया जाएगा।

31.3 प्रदेश के विदेशी मदिरा मद्यभाण्डागारों को स्मार्ट वेयरहाउस में परिवर्तित किया जाएगा। इस हेतु Vertical Stacking, Fire-retarding System, Mobile Application Based Vehicle Receipt इत्यादि नवीन तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।

31.4 वर्ष 2025-26 से कांच के लिए 0.1 प्रतिशत एवं कैन/पैट के लिए 0.05 प्रतिशत परिवहन हानि अनुमत होगी।

31.5 बॉटलिंग इकाइयों द्वारा विदेशी मदिरा मद्यभाण्डागारों पर स्कंध भेजने हेतु डिमाण्ड का एवं मदिरा दुकान लायसेंसी द्वारा प्रदाय हेतु आवश्यक डिमाण्ड का स्वत: अनुमोदन (Auto Approval) किया जाएगा। सुचारू प्रदाय व्यवस्था हेतु पोर्टल पर आवश्यक वेलीडेशन लागू किये जाएंगे।

32. अवशेष मदिरा स्कंध का निराकरण :-

32.1 लायसेंस अवधि समाप्त होने पर मदिरा के फुटकर विक्रय की दुकान के लायसेंसी को दुकान पर शेष बचे मदिरा स्कंध को आगामी वर्ष के लायसेंसी को सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक-25 के प्रावधानों के अन्तर्गत अंतरित/निराकृत करना होगा। इस अंतरित/निराकृत मदिरा स्कंध पर वर्ष में भुगतान की गयी ड्यूटी की राशि का समायोजन, आगामी वर्ष की निर्धारित न्यूनतम ड्यूटी राशि में मान्य नहीं होगा। यदि आगामी वर्ष में लायसेंसी को ऐसे अवशेष मदिरा स्कंध पर ड्यूटी के अन्तर की राशि का भुगतान करना पड़ता है, तो केवल ऐसी ड्यूटी के अन्तर की राशि उसकी आगामी वर्ष की देय निर्धारित न्यूनतम ड्यूटी राशि के विरूद्ध समायोजन योग्य होगी। ड्यूटी कम किये जाने पर ड्यूटी के अंतर की राशि वापसी योग्य नहीं होगी।

सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी अपने जिले के अंतर्गत इस तरह के मदिरा अंतरण की अनुमति दे सकेंगे।

32.2 यदि लायसेंसी को लायसेंस अवधि की समाप्ति पर उसी जिले में कोई अन्य मदिरा दुकान आवंटित नहीं होती है, लेकिन किसी अन्य जिले में मदिरा दुकान आवंटित होती है, तो उसे अथवा मदिरा दुकान का आवंटन न होने की स्थिति में किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी को, दोनों की

सहमति के आधार पर दिनांक 30 अप्रैल तक प्राप्त ऐसे प्रस्ताव पर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा अंतरण की अनुमति दी जा सकेगी।

32.3 मदिरा परिवहन की स्थिति में अवशेष मदिरा स्कंध देशी मदिरा, विदेशी मदिरा (स्पिरिट एवं वाईन) पर 75/- रूपये प्रतिपेटी तथा बीयर पर 40/- रूपये प्रतिपेटी की दर से परिवहन फीस प्रभारित की जायेगी।

33. एयरपोर्ट पर विदेशी मदिरा काउंटर :-

भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एयरपोर्ट के समान अन्य व्यवसायिक उड़ानें संचालित करने वाले एयरपोर्ट पर भी विदेशी मदिरा काउंटर हेतु अनुज्ञप्ति दी जा सकेगी। आगमन एवं प्रस्थान (दोनों द्वार) पर एक-एक काउण्टर खोलने की अनुमति दी जा सकेगी।

34. भाँग दुकानों का निष्पादन :-

34.1 वर्ष 2025-26 के लिये फुटकर विक्रय की भाँग, भाँगघोटा एंव भाँग मिठाई अनुज्ञप्तियों के निष्पादन हेतु आरक्षित मूल्य, वर्ष 2024-25 की लायसेंस फीस में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर निर्धारित होगा। भाँग दुकानों के निष्पादन की प्रक्रिया के संबंध में आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा पृथक से निर्देश जारी किए जायेंगे।

34.2 भाँग ड्यूटी प्रदाय दर भाँग विक्रय अनुज्ञप्तिधारी के लिये 200/- रूपये प्रति किलोग्राम एवं औषधि निर्माणकर्ता अनुज्ञप्तिधारी के लिये 300/- रूपये प्रति किलोग्राम रहेगी।

34.3 भाँग प्रदाय व्यवस्था में पूर्व प्रचलित व्यवस्था के स्थान पर राज्य में भाँग लाने, गोदाम पर संग्रहित करने, भाँग की सफाई उपरांत 05-05 कि.ग्रा. की थैलियाँ बनाने संबंधी समस्त कार्यो के लिए प्रक्रिया

निर्धारित कर इस हेतु दरें टेण्डर के माध्यम से आमंत्रित करने की कार्यवाही की जाएगी।

उपरोक्तानुसार भाँग की थोक आपूर्ति हेतु आपूर्तकों के चयन एवं प्राप्त दरों का अनुमोदन आबकारी आयुक्त द्वारा किया जाएगा।

34.4 भाँग की फुटकर प्रदाय व्यवस्था ई-आबकारी पोर्टल के इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सिस्टम के माध्यम से की जाएगी।

35. बार लायसेंस के संबंध में व्यवस्था :-

पूर्व प्रचलित व्यवस्था में नवीन संशोधित प्रावधान निम्नानुसार रहेंगे :-

35.1 कंडिका क्रमांक-01 के अनुक्रम में पवित्र घोषित निकायों की सीमा अंतर्गत दिनांक 01.04.2025 से किसी भी श्रेणी के बार संचालित नहीं किये जाएंगे।

35.2 वर्ष 2025-26 में रेस्तरां बार की एक नवीन श्रेणी Low Alcoholic Beverage Bar प्रारंभ की जाएगी। इस लायसेंस के अंतर्गत रेस्तरां में सिर्फ बीयर, वाईन एवं रेडी टू ड्रिंक (RTD) श्रेणी की विदेशी मदिरा जिसमें अल्कोहल की अधिकतम सीमा 10% V/V तक ही हो, का सेवन अनुमत होगा और स्पिरिट (स्पिरिट की समस्त किस्म) का सेवन वर्जित तथा प्रतिबंधित रहेगा।

35.2.1 इस Low Alcoholic Beverage Bar की वार्षिक लायसेंस फीस उस स्थान हेतु रेस्तरां बार लायसेंस (एफ.एल.-2) की प्रचलित वार्षिक लायसेंस फीस का 50 प्रतिशत होगी।

35.2.2 इस लायसेंस को प्राप्त करने हेतु रेस्तरां के पास न्यूनतम एक तल पर 1000 वर्गफीट का एयर कंडीशन्ड कवर्ड

डाइनिंग एरिया होना चाहिए। शेष मापदण्ड एवं अहर्ताकारी शर्तें रेस्तरां बार लायसेंस (एफ.एल.-2) के समकक्ष रहेंगी।

35.3 एफ.एल.-2, Low Alcoholic Beverage Bar, एफ.एल.-2एए, एफ.एल.-3, एफ.एल.-3-ए, एफ.एल.-4 बार लायसेंसों में बीयर जिसकी EDP प्रति पेटी रूपये 575/-, स्प्रिट (व्हिस्की) जिसकी EDP प्रति पेटी रूपये 1200/-, स्प्रिट (रम, वोदका, जिन आदि) एवं वाईन जिसकी EDP प्रति पेटी रूपये 500/- तथा रेडी टू ड्रिन्क (प्रति पेटी अधिकतम 9 बल्क लीटर) जिसकी EDP प्रति पेटी रूपये 700/- से कम न हो, विक्रय/प्रदाय किया जायेगा।

परन्तु Low Alcoholic Beverage Bar में सिर्फ बीयर, वाईन एवं रेडी टू ड्रिंक (RTD) का विक्रय/प्रदाय अनुमत रहेगा।

35.4 **रिसोर्ट बार (एफ.एल.-3ए) लायसेंस के मापदण्डों में संशोधन :-**

वर्ष 2025-26 से रिसोर्ट बार (एफ.एल.-3ए) के नवीन लायसेंस उन्हीं इकाइयों को स्वीकृत किये जा सकेंगे, जो राष्ट्रीय उद्यान या वन अभ्यारण्य की अधिसूचित सीमा से 20 कि.मी. की परिधि के अंदर तो हो, परन्तु किसी नगर निगम की सीमा से 05 कि.मी., नगर पालिका की सीमा से 03 कि.मी. और नगर पंचायत की सीमा से 01 कि.मी. के अंदर न आती हो।

35.5 बार लायसेंसों में अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यवस्था के परीक्षण हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अन्य अधिकारियों के अलावा कलेक्टर द्वारा नामित संबंधित नगरीय निकाय के फायर अधिकारी को भी शामिल किया जाता है।

वर्ष 2025-26 से आवेदक बार इकाई के संबंधित नगरीय निकाय में फायर अधिकारी न होने की स्थिति में कलेक्टर द्वारा अन्य किसी नगरीय निकाय के फायर अधिकारी को भी नामित किया जा सकेगा।

35.6 रेस्तरां में उपलब्ध खुले क्षेत्र को भी अतिरिक्त तल के रूप में मान्य किया जाना :-

वर्तमान में रेस्तरां बार (एफ.एल.-2) लायसेंस को अपने डाइनिंग एरिया के अतिरिक्त अन्य तलों और खुली छत पर भी बार संचालन की अनुमति है। ऐसे अतिरिक्त तल हेतु न्यूनतम 500 वर्गफीट का क्षेत्रफल आवश्यक होता है और प्रत्येक अतिरिक्त तल हेतु 10 प्रतिशत अधिक लायसेंस फीस देय होती है।

वर्ष 2025-26 से यह पात्रता अतिरिक्त तल एवं खुली छत के साथ-साथ रेस्तरां में उसी तल पर उपलब्ध खुले स्थान को भी उन्ही शर्तों पर दी जा सकेगी। यह पात्रता रेस्तरां बार (एफ.एल.-2) के साथ-साथ Low Alcoholic Beverage Bar को भी होगी।

35.7 मदिरा प्रदाय हेतु बारों को प्राथमिक रूप से उनकी निकटवर्ती एक मदिरा दुकान से एवं द्वितीयक रूप से क्रमशः निकटवर्ती अन्य 02 मदिरा दुकानों से संलग्न किया जाएगा। बार लायसेंसी सामान्यतः अपनी प्राथमिक रूप से संलग्न मदिरा दुकान से मदिरा प्राप्त करेगा, लेकिन लायसेंसी द्वारा वांछित लेबिल/ब्राण्ड की मदिरा प्राथमिक रूप से संलग्न दुकान पर उपलब्ध न होने की स्थिति में लायसेंसी की उक्त लेबिल/ब्राण्ड की मांग उससे संलग्न द्वितीयक दुकानों पर क्रमशः अग्रेषित हो जाएगी, जहां से वह मदिरा अभिप्राप्त कर सकेगा।

35.7.1 उपरोक्त प्रक्रिया ई-आबकारी पोर्टल की इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन के माध्यम से स्वचालित रूप से सम्पन्न होगी। बार लायसेंसी द्वारा मदिरा दुकान लायसेंसी को मदिरा क्रय की राशि का भुगतान भी अनिवार्यतः ऑनलाइन ही किया जाएगा।

35.7.2 बार लायसेंसी द्वारा वांछित लेबिल/ब्राण्ड की मदिरा उससे संलग्न प्राथमिक एवं द्वितीयक मदिरा दुकानों पर उपलब्ध न होने की स्थिति में उसके द्वारा वह मदिरा सीधे विदेशी मदिरा मद्यभाण्डागार से निर्धारित MSP एवं उस पर देय वैट (VAT) टैक्स के पृथक से किये गये अग्रिम भुगतान उपरांत अभिप्राप्त की जा सकेगी।

35.8 सभी श्रेणी के बार लायसेंसियों को बार में मदिरा की प्रचलित विक्रय दरें ई-आबकारी पोर्टल पर अद्यतन अपलोड रखनी होंगी।

बार लायसेंसियों को उनके द्वारा क्रय एवं विक्रय की गई मदिरा की मात्रा की जानकारी प्रतिदिन ई-आबकारी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

35.9 कार्यपालिक अधिकारियों द्वारा बार के निरीक्षण हेतु GPS आधारित मोबाईल एप्लीकेशन की व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी।

35.10 वर्ष 2025-26 में सभी श्रेणी के बार लायसेंसियों की e-KYC किया जाना अनिवार्य होगा।

35.11 वर्ष 2025-26 से नवीन बार आवेदक हेतु आवेदन शुल्क रूपये 10,000/- रहेगा।

35.12 बार लायसेंसों की लायसेंस फीस एवं अन्य संबंधित शर्तें वर्ष 2024-25 के अनुसार यथावत रहेंगी।

36. बारों की न्यूनतम गारंटी के संबंध में :-

36.1 वर्ष 2025-26 हेतु बार लायसेंसों की मिनिमम गारंटी (एम.जी.) में वृद्धि नहीं की जायेगी।

36.2 त्रैमासिक आधार पर लायसेंसी द्वारा निर्धारित मिनिमम गारंटी (न्यूनतम विक्रय परिमाण) के समतुल्य विदेशी मदिरा (स्पिरिट व

बीयर) क्रय न किये जाने की स्थिति में संबंधित कलेक्टर द्वारा ऐसी कम क्रय की गई विदेशी मदिरा (स्पिरिट/वाईन) की मात्रा पर 250/- रूपये प्रति प्रूफ लीटर तक और विदेशी मदिरा (बीयर) पर 35/- रूपये प्रति बल्क लीटर तक की दर से त्रैमासिक शास्ति अधिरोपित की जाएगी।

36.3 प्रदेश की किसी भी बार इकाई द्वारा सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष की अवधि में निर्धारित मिनिमम गारंटी के समतुल्य विदेशी मदिरा क्रय न किये जाने की स्थिति में उस पर आरोपित की जाने वाली शास्ति उस बार इकाई की संदर्भित वर्ष हेतु निर्धारित वार्षिक लायसेंस फीस से अधिक नहीं हो सकेगी।

36.4 राज्य शासन द्वारा अधिसूचित Force Majeure के कारण बारों का संचालन प्रभावित होने की स्थिति में जिला कलेक्टर से प्राप्त युक्तियुक्त प्रस्ताव के आधार पर राज्य शासन के अनुमोदन के अधीन आबकारी आयुक्त द्वारा बारों हेतु निर्धारित न्यूनतम गारंटी का उठाव न होने पर अधिरोपित होने वाली शास्ति में छूट दी जा सकेगी।

न्यूनतम गारंटी संबंधी शेष व्यवस्था यथावत रहेंगी।

37. प्रासंगिक अनुज्ञप्ति (एफ.एल.5) :-

वर्ष 2025-26 से व्यवसायिक किस्म के आयोजनों हेतु प्रासंगिक अनुज्ञप्ति (एफ.एल.5) की लायसेंस फीस की पृथक श्रेणी रहेगी।

व्यवसायिक किस्म के कार्यक्रमों/आयोजनों अर्थात् ऐसे कार्यक्रम/आयोजन जिनमें प्रवेश, निर्धारित शुल्क के भुगतान के आधार पर दिया जाता है, के दौरान मदिरा का उपयोग अनुमत करने के लिए प्रासंगिक अनुज्ञप्ति (एफ.एल.5) की लायसेंस फीस निम्नवत रहेगी :-

क्र.	कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या	लायसेंस फीस
1	अधिकतम 500 तक	25 हजार
2	500 से लेकर अधिकतम 01 हजार तक	50 हजार
3	01 हजार से लेकर अधिकतम 02 हजार तक	75 हजार
4	02 हजार से लेकर अधिकतम 05 हजार तक	01 लाख
5	05 हजार से अधिक	02 लाख

38. मदिरा दुकानों एवं बार लायसेंसों से बिक्री का समय :-

38.1 मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की साफ-सफाई तथा मदिरा के प्रारंभिक संग्रह, आमद, विक्रय एवं अंतिम संग्रह के दैनिक लेखे की पंजियों को पूर्ण/संधारित किये जाने के लिये मदिरा दुकानें प्रातः 8:30 बजे से खोली जायेंगी। प्रातः 8:30 बजे से प्रातः 9:30 बजे तक का समय लेखा संधारण के लिए एवं मदिरा विक्रय का समय प्रातः 9:30 बजे से रात्रि में 11:30 बजे तक रहेगा।

38.2 रेस्टोरेन्ट, पर्यटन, होटल, रिसोर्ट तथा क्लब बार लायसेंस के अन्तर्गत परिसर में विदेशी मदिरा की बिक्री का समय प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 11:30 बजे तक एवं उपभोग का समय रात्रि 12:00 बजे तक रहेगा।

38.3 रेस्टोरेन्ट, पर्यटन, होटल, रिसोर्ट तथा क्लब बार लायसेंस (एफ.एल.-2, Low Alcoholic Beverage Bar, 2एए, 3, 3ए, 3एए एवं 4) के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित समय के उपरान्त बार संचालन हेतु अनुमति चाही जाती है, तो 5,000/- रूपये प्रतिदिन अतिरिक्त फीस लेकर, लायसेंस के अन्तर्गत परिसर में विदेशी मदिरा की बिक्री एवं उपभोग हेतु 02 घंटे की अतिरिक्त समयावधि दी जायेगी। यह विशिष्ट अनुमति उल्लेखित लायसेंसों हेतु वित्तीय वर्ष में अधिकतम 08 दिवस हेतु दी जा सकेगी। यह अनुमति कलेक्टर के विवेकाधीन रहेगी।

38.4 राज्य शासन अथवा स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में दुकानों के निर्धारित खुलने अथवा बंद होने के समय में कोई परिवर्तन किये जाने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी देय न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि एवं लायसेंस फीस में छूट का पात्र नहीं होगा।

39. कम्पोजिट मदिरा दुकानों/एकल समूहों का पुनर्निष्पादन :-

39.1 लायसेंस अवधि के पूर्व, किसी चयनित आवेदक द्वारा, निर्धारित समय सीमा में आवश्यक राशियां जमा न करने, विहित प्रावधानों का उल्लंघन करने या अन्य किसी कारण से यदि किसी मदिरा दुकान/एकल समूह के पुनर्निष्पादन की स्थिति निर्मित होती है, तो ऐसी स्थिति में जिला निष्पादन समिति द्वारा उसका पुनर्निष्पादन ई-टेण्डर या शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा।

ऐसा पुनर्निष्पादन किये जाने की स्थिति में आरक्षित मूल्य का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :-

(i) मदिरा दुकान/समूह के निष्पादन के उपरांत यदि सफल आवेदक/निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण वार्षिक लायसेंस फीस जमा कर दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा दिया गया एवं स्वीकृत उच्चतम ऑफर, उक्त मदिरा दुकान/समूह का पुनर्निष्पादन हेतु आरक्षित मूल्य होगा।

(ii) मदिरा दुकान/समूह के निष्पादन के उपरांत यदि सफल आवेदक/निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण वार्षिक लायसेंस फीस जमा नहीं की जाती है, तो ऐसी स्थिति में वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित मूल आरक्षित मूल्य ही पुनर्निष्पादन के लिए उक्त मदिरा दुकान/समूह का आरक्षित मूल्य होगा।

39.2 लायसेंस अवधि के दौरान लायसेंस शर्तों के उल्लंघन, निर्धारित न्यूनतम ड्यूटी राशि जमा न करने अथवा किसी अन्य कारण से, यदि मदिरा दुकान के एकल समूह का लायसेंस निरस्त किए जाने की स्थिति बनती है तो ऐसी स्थिति में मूल अनुज्ञप्तिधारी के उत्तरदायित्व पर, उस मदिरा दुकान के एकल समूह का पुनर्निष्पादन, लायसेंस अवधि की शेष रही अवधि के लिए ई-टेण्डर या शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा। उस मदिरा दुकान के एकल समूह को पुनः निष्पादित करने के अधिकार जिला निष्पादन समिति को होंगे।

39.3 एकल समूह की किसी एक मदिरा दुकान का लायसेंस निरस्त किये जाने की स्थिति निर्मित होने पर, उक्त एकल समूह की सभी मदिरा दुकानों का लायसेंस निरस्त किया जायेगा। मदिरा दुकान के एकल समूह का पुनर्निष्पादन होने तक उसका संचालन विभागीय रूप से अथवा उसके स्थान पर ऐसी रीति से जैसा कि आबकारी आयुक्त निर्धारित करें, किया जा सकेगा।

39.4 वर्ष 2025-26 की लायसेंस अवधि में पुनर्निष्पादन की स्थिति निर्मित होने पर इस हेतु कम्पोजिट मदिरा दुकानों/एकल समूहों का आरक्षित मूल्य, वर्ष 2025-26 की शेष अवधि (अर्थात् वह अवधि जिस हेतु उस मदिरा दुकान/समूह को पुनर्निष्पादित किया जा रहा है) का वार्षिक मूल्य (वार्षिक लायसेंस फीस समानुपातिक रूप से एवं न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि आनुपातिक रूप से का योग) के समतुल्य होगा।

पुनर्निष्पादन की कार्यवाही में टेण्डर में प्रकाशित निविदा अवधि एवं सफल निविदादाता के पक्ष में मदिरा दुकान/समूह स्वीकृत किये जाने की अवधि में भिन्नता होने की स्थिति में, निविदादाता को प्रस्तुत वार्षिक मूल्य में इस अवधि हेतु छूट की पात्रता होंगी, जिसकी गणना वार्षिक लायसेंस फीस हेतु समानुपातिक रूप से एवं न्यूनतम प्रत्याभूत

ड्यूटी राशि हेतु आनुपातिक रूप से की जाएगी। स्वीकृति दिनांक के दिवस को वार्षिक मूल्य निर्धारण हेतु गणना में लिया जाएगा।

39.5 पुनर्निष्पादन की कार्यवाही में यदि शासन को कोई हानि होती है अथवा खिसारा परिगणित होता है, तो ऐसी हानि/खिसारे की राशि उच्चतम ऑफरदाता से भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी। यदि द्वितीय बार पुनर्निष्पादन की स्थिति निर्मित होती है, तो ऐसी स्थिति में आकलित हानि/खिसारे की राशि के लिए प्रथम निष्पादन के उच्चतम ऑफरदाता का संयुक्त उत्तरदायित्व रहेगा तथा प्रथम पुनर्निष्पादन का उच्चतम ऑफरदाता, इस प्रकार द्वितीय पुनर्निष्पादन के कारण उत्पन्न अंतर की राशि (हानि/खिसारे) हेतु, संयुक्त रूप से उत्तरदायी होगा। यही सिद्धांत एवं प्रक्रिया आगामी पुनर्निष्पादनों हेतु भी प्रभावी रहेगी।

39.6 वर्ष 2025-26 हेतु मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन की उपरोक्त सभी शर्तें, वर्ष 2025-26 के दौरान होने वाले मदिरा दुकानों के पुनः निष्पादन की कार्यवाही के संबंध में भी यथावत प्रभावशील रहेंगी।

40. लायसेंस का हस्तांतरण :-

40.1 वर्ष 2025-26 के लिये किसी कम्पोजिट मदिरा दुकान के लायसेंसी द्वारा निष्पादन उपरांत किसी अपरिहार्य परिस्थिति में उसकी मदिरा दुकान का अन्तरण, लायसेंस की शेष अवधि के लिये किसी अन्य पात्र आवेदक के पक्ष में किया जाता है, तो ऐसा अन्तरणकर्ता (मूल लायसेंसी) अंतरण उपरांत भी, उक्त मदिरा दुकान के वार्षिक मूल्य आदि का भुगतान करने के लिए बाध्य रहेगा। साथ ही वह आवेदक जिसके नाम लायसेंस का हस्तांतरण किया जायेगा (अंतरणग्रहीता) भी

उक्त मदिरा दुकान के वार्षिक मूल्य आदि का सम्यक भुगतान करने एवं लायसेंस की शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य रहेंगे।

मदिरा दुकान के लायसेंस के ऐसे हस्तांतरण के लिए उस मदिरा दुकान के वर्ष 2025-26 के वार्षिक मूल्य के 1 प्रतिशत राशि के समतुल्य हस्तांतरण फीस देय होगी, जो हस्तांतरण पूर्व अग्रिम ज़मा करायी जायेगी।

40.2 किसी कम्पोजिट मदिरा दुकान हेतु सफल अथवा चयनित आवेदक/टेण्डरदाता/लायसेंसी की मृत्यु की स्थिति में संबंधित मदिरा दुकान का अन्तरण लायसेंसी के वैध वारिस अर्थात उसकी पत्नी अथवा उसके पारिवारिक सदस्य के पक्ष में किया जा सकेगा। ऐसा अंतरण अनुमत करने की स्थिति में अंतरणग्रहीता उक्त मदिरा दुकान के वार्षिक मूल्य आदि का सम्यक भुगतान करने एवं लायसेंस की शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य रहेगा। ऐसी मदिरा दुकान के लायसेंस के हस्तांतरण के लिए किसी भी रूप में कोई हस्तांतरण फीस देय नहीं होगी।

41. मदिरा विनिर्माण इकाईयों से सम्बन्धित प्रावधान :-

41.1 मदिरा विनिर्माण इकाईयों की वार्षिक लायसेंस फीस वर्ष 2024-25 में प्रचलित अनुसार यथावत रहेगी।

41.2 मदिरा विनिर्माण इकाईयों पर प्रभारित की जाने वाली पर्यवेक्षण प्रभार की राशि वर्ष 2024-25 में प्रचलित अनुसार यथावत रहेगी।

41.3 प्रदेश के विदेशी मदिरा विनिर्माताओं/आयतकों (स्पिरिट) हेतु लेबिल पंजीयन संबंधी व्यवस्था एवं फीस वर्ष 2024-25 के अनुरूप यथावत रहेगी।

41.4 वर्तमान में प्रदेश के बीयर विनिर्माताओं (बी-3) हेतु प्रति लेबल पंजीयन फीस 2.20 लाख रुपये निर्धारित है। वर्ष 2025-26 हेतु प्रति लेबल

पंजीयन शुल्क यथावत रखते हुए बीयर विनिर्माता इकाइयों (बी-3) द्वारा एकमुश्त लेबल पंजीयन फीस रूपये 25 लाख भुगतान करने पर किसी भी संख्या तक लेबलों का पंजीयन कराया जा सकेगा।

41.5 वर्ष 2025-26 में मदिरा विनिर्माता इकाई/आयतकों द्वारा आवेदन किये जाने पर उसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विदेशी मदिरा मद्यभाण्डागारों पर अवशेष स्कंध को लेबिल पंजीयन का नवीनीकरण कराये बिना भी अधिकतम वित्तीय वर्ष के प्रथम माह (अप्रैल) में प्रदाय की अनुमति होगी।

41.5.1 प्रदाय की यह अनुमति अवशेष लेबिल की मदिरा के समाप्त हुए सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष की अवधि में प्रदाय किये गये स्कंध की 2 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधीन रहेगी।

41.5.2 ऐसे अवशेष ब्राण्ड/लेबिल की मदिरा हेतु, विनिर्माता इकाई द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में घोषित EDP ही इस एक माह की अवधि में EDP के रूप में मान्य होगी और उत्पाद पर प्रभारित ड्यूटी, MSP/MRP का निर्धारण आदि के संबंध में नवीन वित्तीय वर्ष के प्रावधान लागू होंगे।

41.6 **बॉटलिंग फीस में संशोधन :-**

वर्ष 2025-26 में मध्यप्रदेश में विक्रय हेतु बॉटलिंग फीस निम्नानुसार रहेगी :-

क्र.	**इकाई का प्रकार**	**वर्ष 2025-26 हेतु संशोधित बॉटलिंग फीस**
1	स्थानीय विदेशी मदिरा (स्पिरिट) विनिर्माता (FL-9)	रू.6 प्रति प्रू.ली.
2	फ्रेंचाईजी/सबलीजी विदेशी मदिरा (स्पिरिट) विनिर्माता (FL-9A)	रू.24 प्रति प्रू.ली.

3	स्थानीय बीयर विनिर्माता (B-3)	रू.3 प्रति ब.ली.
4	फ्रेंचाईजी/सबलीजी बीयर विनिर्माता (FL-9A of B-3)	रू.12 प्रति ब.ली.

41.7 वर्ष 2025-26 में प्रदेश की मदिरा विनिर्माणी इकाइयों का आधुनिकीकरण एवं तकनीकी उन्नयन किया जाएगा। सभी विनिर्माणी इकाइयों को पर्याप्त संख्या में डिजीटल एल्कोमीटर रखना अनिवार्य होगा।

42. विशेष मदिराओं (Special liquors) के संबंध में :-

वर्ष 2025-26 में विशेष मदिराओं (Special liquors) के निर्माण, भण्डारण, निर्यात, आयात एवं विक्रय की अनुमति, विदेशी मदिरा बॉटलिंग इकाइयों को भी दी जा सकेगी।

43. हेरीटेज मदिरा :-

हेरीटेज मदिरा संबंधी नीति एवं व्यवस्था वर्ष 2024-25 में प्रचलित अनुसार यथावत रहेगी। हेरीटेज मदिरा विनिर्माणी इकाइयों द्वारा निर्मित हेरीटेज मदिरा को वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य शासन के वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) से मुक्त रखा जाएगा।

44. प्रदेश में उत्पादित फलों से प्रदेश में निर्मित वाईन संबंधी प्रावधान :-

44.1 राज्य शासन द्वारा घोषित अंगूर प्रसंस्करण नीति के अन्तर्गत प्रदेश में फलोद्यान विस्तार एवं फल प्रसंस्करण को बढ़ावा देने एवं किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रदेश में उत्पादित अंगूर एवं जामुन

के अतिरिक्त अन्य फलों तथा प्रदेश में उत्पादित एवं संग्रहित शहद (Honey) से निर्मित वाईन का निर्माण अनुमत रहेगा।

44.2 मध्यप्रदेश में उत्पादित अंगूर से मध्यप्रदेश में निर्मित वाईन को आबकारी शुल्क से वित्तीय वर्ष 2026-27 तक के लिए मुक्त रखा गया है। यह छूट अन्य फलों तथा शहद (Honey) से निर्मित वाईन पर भी लागू होगी।

44.3 प्रदेश में उत्पादित फलों/शहद से प्रदेश में वाईन विनिर्माण करने वाली इकाइयों को उनके परिसर में वाईन के फुटकर विक्रय के लिए एक रिटेल आउटलेट स्वीकृत किया जा सकेगा।

आगंतुकों/पर्यटकों हेतु वाईनरी परिसर में वाईन टेवर्न (वाईन टेस्टिंग सुविधा) की अनुमति होगी।

44.4 उपरोक्त श्रेणी की वाईन विनिर्माण इकाइयां वाईन के विपणन हेतु प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों, एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों तथा मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा चयनित/घोषित/पर्यटन क्षेत्र/स्थलों पर ऐसी वाईन के फुटकर विक्रय के लिए एक या अधिक कम्पनी रिटेल आउटलेट पूर्व निर्धारित शर्तों के अधीन संचालित कर सकेगी।

कंडिका क्रमांक-02 के अनुक्रम में पवित्र घोषित निकायों की सीमा अंतर्गत दिनांक 01.04.2025 से वाईन के रिटेल आउटलेट संचालन की अनुमति नहीं होगी।

44.5 वाईन के विपणन हेतु कम्पनी रिटेल आउटलेट की भाँति विनिर्माता वाईनरी द्वारा फ्रेंचाईजी/अधिकृत किये गये व्यक्ति द्वारा भी उक्त स्थलों पर वाईन के रिटेल आउटलेट का संचालन किया जा सकेगा।

44.6 ऐसे सभी वाईन रिटेल आउटलेट की वार्षिक लायसेंस फीस 10,000/- रूपये रहेगी।

44.7 इन रिटेल आउटलेट पर वाईन की आपूर्ति विनिर्माणी (वाईनरी) से सीधे की जा सकेगी। जिले की कम्पोजिट मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान और बार के लायसेंसी को उसी जिले के रिटेल आउटलेट से ऐसी वाईन प्रदाय की जा सकेगी।

44.8 वाईन के रिटेल आउटलेट से जिले की ही कम्पोजिट मदिरा दुकान को वाईन प्रदाय करने हेतु, मदिरा स्कंध को एक मदिरा दुकान से अन्य मदिरा दुकान में स्थानांतरण की प्रकिया अनुसार, प्रदाय दिये जाने की अनुमति होगी। इस प्रकार के स्थानांतरण पर कंडिका क्रमांक-28.3 में उल्लेखित किसी प्रकार की परिवहन फीस प्रभारित नहीं होगी।

44.9 वाईन महोत्सव हेतु वर्ष में प्रत्येक नगर निगम में अधिकतम 02 दिवस के लिये Occasional Licence दिया जा सकेगा, जिसकी लायसेंस फीस 1,000/- रूपये प्रतिदिन होगी।

45. अन्य कर एवं व्यवस्था :-

लायसेंस अवधि में यदि केन्द्र या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा किसी अधिनियम अथवा नियम के अन्तर्गत मादक पदार्थों पर कोई कर, फीस या चार्ज लगाया गया जिसकी देयता अनुज्ञप्तिधारी पर आती हो तो, अनुज्ञप्तिधारी इस बाबत वार्षिक लायसेंस फीस अथवा निर्धारित न्यूनतम ड्यूटी राशि में किसी छूट अथवा क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा और इस संबंध में उसकी कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। परंतु इस अतिरिक्त कर, फीस या चार्ज जिसमें 1 प्रतिशत स्त्रोत पर आयकर की कटौती शामिल नहीं होगी, की प्रतिपूर्ति के संबंध में राज्य शासन से अनुमति प्राप्त कर आबकारी आयुक्त द्वारा मदिरा की विक्रय दरों (MSP/MRP) के पुनर्निर्धारण के संबंध में उचित निर्णय लिया जा सकेगा।

46. मद्य निषेध की नीति के फलस्वरूप दुकान बन्द करना :-

राज्य में मद्य निषेध की नीति के फलस्वरूप यदि कोई मदिरा दुकान/दुकानें बन्द की जाती हैं, तो इसके कारण लायसेंसी को कोई क्षतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी।

47. दैवीय प्रकोप, प्राकृतिक आपदा एवं अन्य कारणों से वार्षिक मूल्य में छूट :-

47.1 लायसेंस अवधि में दैवीय प्रकोप, प्राकृतिक आपदा एवं अन्य कारणों से वैधानिक प्राधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24(1) के अंतर्गत स्थापित मदिरा दुकानें बन्द किये जाने के आदेश के कारण अनुज्ञप्तिधारी को उस मदिरा दुकान के वार्षिक मूल्य (वार्षिक लायसेंस फीस में समानुपातिक + न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि में आनुपातिक) में छूट का पात्र माना जा सकेगा। छूट की गणना हेतु उस त्रैमास में देय वार्षिक मूल्य को ही आधार माना जाएगा।

47.2 उपर्युक्त परिस्थितियों में लायसेंस अवधि में भॉग दुकानों को बंद करने के आदेश वैधानिक प्राधिकारी द्वारा दिए जाते है, तो इस प्रकार बंद रखी गई भॉग, भॉग घोटा एंव भॉग मिठाई दुकानों को उनकी वार्षिक लायसेंस फीस में समानुपातिक रूप से छूट की पात्रता रहेगी।

47.3 उपर्युक्त परिस्थितियों में लायसेंस अवधि में बार को बंद करने के आदेश वैधानिक प्राधिकारी द्वारा दिए जाते है, तो इस प्रकार बंद रखी गई अवधि हेतु बार लायसेंसी को वार्षिक लायसेंस फीस में समानुपातिक छूट की पात्रता रहेगी। उपर्युक्त अवधि के लिये उसकी निर्धारित न्यूनतम गारंटी में समानुपातिक रूप से कमी की जायेगी।

47.4 उपरोक्त सभी छूटों के संबंध में जिला समिति द्वारा भेजे गये युक्तियुक्त एवं तथ्यात्मक प्रस्ताव के आधार पर, आबकारी आयुक्त की अनुशंसा पर राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार अनुमत छूट की राशि का समायोजन मदिरा दुकानों को उसी अथवा आगामी पक्ष में देय न्यूनतम ड्यूटी राशि के विरूद्ध एवं बार/ भॉग दुकानों को आगामी अवधि में देय वार्षिक लायसेंस फीस के विरूद्ध किया जा सकेगा।

48. शुष्क दिवस :-

48.1 लायसेंस अवधि के लिए शासन द्वारा अधिसूचित अनुसार 3 शुष्क दिवस निम्नानुसार रहेंगे :-

15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस)

02 अक्टूबर (महात्मा गांधी जयंती)

26 जनवरी (गणतंत्र दिवस)

इसके अतिरिक्त कलेक्टर को प्रशासकीय तथा लोकहित में यह भी अधिकार होगा कि किन्ही भी अतिरिक्त 4 दिनों के लिए किसी भी स्थान की कोई एक या इससे अधिक मदिरा दुकानें अथवा तहसील या जिले की समस्त मदिरा दुकानें बन्द करने के आदेश प्रसारित कर सकेंगे।

48.2 लोक सभा तथा विधान सभा एवं स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के साधारण और जनरल उप निर्वाचन के समय मतदान और मतगणना के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप राज्य शासन द्वारा आदेशित/निर्देशित व्यवस्थाओं के परिपालन में, मतदान क्षेत्र की मदिरा दुकानें अथवा मतगणना क्षेत्र की मदिरा दुकानें कलेक्टर द्वारा बन्द किया जाना आदेशित किया जा सकेगा।

स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत (नगर परिषद), जनपद पंचायत, जिला पंचायतें और ग्राम पंचायत शामिल है। ऐसे समय पर सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों की मदिरा दुकानें बन्द रहेगी, जहाँ निर्वाचन हो,

48.3 यदि उक्त निर्धारित शुष्क दिवसों के अतिरिक्त किसी अन्य दिवस को कलेक्टर के लिखित आदेश से मदिरा दुकानें बन्द की जाती हैं, तो उन मदिरा दुकानों के बन्द रहने की अवधि में संबंधित दुकान के लायसेंसी को मदिरा दुकान के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि में आनुपातिक तथा लायसेंस फीस में समानुपातिक छूट की पात्रता होगी।

49. अन्य व्यवस्थाएँ लागू रहना :-

वर्ष 2024-25 में प्रचलित वे समस्त प्रावधान जिनका समावेश वर्ष 2025-26 की आबकारी व्यवस्था में पृथक से नहीं किया गया है, यथावत प्रभावी बने रहेगे। राजस्व हित एवं प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार आबकारी आयुक्त द्वारा शासन अनुमोदन के अधीन प्रावधानों में आवश्यक परिवर्तन किये जा सकेंगे।

50. अनुज्ञप्ति का अधिनियम, नियम एवं निर्देशों के अध्ययधीन होना :-

निष्पादन अवधि में स्वीकृत/जारी किये जाने वाले मदिरा की फुटकर बिक्री के सभी लायसेंस मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम,1915 (यथा संशोधित) तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये एवं समय-समय पर संशोधित किये गये नियमों और समय-समय पर राज्य शासन, आबकारी आयुक्त व कलेक्टर द्वारा पारित आदेशों/अनुदेशों के अध्यधीन रहेंगे।

51. क्षतिपूर्ति के संबंध में राज्य शासन के अधिकार :-

राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि अपरिहार्य स्थिति में, औचित्य को समझते हुये किसी भी जिले में या समस्त जिलों में मदिरा दुकानों की निष्पादन की प्रक्रिया को सम्पूर्ण/आंशिक रुप से समाप्त करते हुए, प्रोसेस फीस/शर्तों के पालन में जमा राशि को वापिस कर किसी भी अन्य प्रक्रिया/व्यवस्था से मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के व्यवस्थापन/पुनःव्यवस्थापन की कार्यवाही कर सके। ऐसी स्थिति में कोई भी क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

52 अन्य बिन्दु :-

52.1 स्पिरिट/माल्ट के Maturation/Ageing एवं Wooden Cask/Barrel में भण्डारण संबंधी नियम बनाये जाएंगे।

52.2 औद्योगिक इकाइयों को मेडीकल उपयोग के लिए आवश्यक परिशोधित स्पिरिट हेतु जारी किये जाने वाले लायसेंस (आर.एस.-2ए एवं आर.एस.-2बी) की वैधता अवधि को 01 वर्ष के स्थान पर, आवश्यकतानुसार 01 से अधिक वर्ष (अधिकतम 05 वर्ष) तक किया जाएगा।

निर्धारित वार्षिक लायसेंस फीस तदानुसार समेकित रूप से अग्रिम प्राप्त की जाएगी।

52.3 ई-आबकारी पोर्टल से जारी परिवहन परमिट (TP) के स्थान पर e-TP की व्यवस्था लागू की जा सकेगी।

52.4 मदिरा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु, उसके सैम्पल्स के विधिवत रसायनिक परीक्षण की दृष्टि से मुख्यालय ग्वालियर स्थित विभाग की शासकीय रसायनशाला का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन किया जाएगा

तथा भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर के संभागीय कार्यालयों में उन्नत तकनीकों/मशीनों से सुसज्जित रसायनशालाएं स्थापित की जाएगी।

इन रसायनशालाओं में विभागीय कार्यपालिक स्टॉफ को प्रशिक्षण भी दिया जा सकेगा।

53. ई-आबकारी व्यवस्था :-

विभाग में ई-आबकारी व्यवस्था प्रचलन में रहेगी। यह व्यवस्था NIC द्वारा निर्मित/विकसित एवं विभागीय गतिविधियों के End-to-End Computerization से संबंधित है। इस व्यवस्था को क्रियान्वित करने हेतु सभी संबंधित पक्षों यथा विनिर्माता इकाइयाँ, फुटकर अनुज्ञप्तिधारी आदि को आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर अनिवार्यतः करनी होगी।

54. आबकारी नीति के अनुरूप अधिनियम/नियम/विनियम आदि में परिवर्तन :-

इस आबकारी नीति में किये गये प्रावधानों, जिनका प्रभाव मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम ,1915 या आबकारी से संबंधित नियमों/विनियमों पर पड़ता है, के अनुरूप अधिनियम/नियम/विनियमों में संशोधन कर अधिसूचित किया जाकर राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। इस नीति में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ समस्त प्रयोजनों के लिए वही मान्य होगा, जो मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों में परिभाषित हो।

उपरोक्त आबकारी व्यवस्था के अनुसार सर्वसंबंधित द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना शर्मा, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.

राज्य शासन द्वारा घोषित किये गये पवित्र नगर एवं पवित्र क्षेत्रों की सूची निम्नानुसार है :-

1/ ओमकारेश्वर, जिला खण्डवा

2/ मण्डला नगर, जिला मण्डवा

3/ पन्ना नगर, जिला पन्ना

4/ दतिया, जिला दतिया

5/ जबलपुर नगर,(आस्था नगरी) जिला जबलपुर

6/ चित्रकूट जिला सतना (पवित्र क्षेत्र)

7/ मैहर, जिला सतना (पवित्र क्षेत्र)

8/ सलकनपुर जिला सीहोर (पवित्र क्षेत्र)

9/ अमरकंटक जिला अनुपपुर (अधिसूचित क्षेत्र)

10/ महेश्वर, जिला खरगौन (अधिसूचित क्षेत्र)

11/ उज्जैन , जिला उज्जैन (अधिसूचित क्षेत्र)

Scanned with OKEN Scanner

मध्यप्रदेश शासन

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

मंत्रालय

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2004

क्रमांक एफ 2–1–2004/छै:– राज्य शासन खण्डवा जिले के नगर पंचायत ओंकारेश्वर द्वारा ओंकारेश्वर नगर के अधिसूचित क्षेत्र को एतद्द्वारा पवित्र घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

हस्ता./–
(एन.एस.भटनागर)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग.

पृ क्रमांक एफ 2–1–2004/छै: भोपाल, दिनांक 12 फरवरी, 2004

प्रतिलिपि:–

1. शासन के समस्त विभाग.
2. सचिव, मान. मुख्यमंत्रीजी.
3. समस्त विभागाध्यक्ष.
4. समस्त संभागायुक्त.
5. समस्त कलेक्टर.
6. निज सचिव, मान. मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण.
7. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर.
8. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर.
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ओंकारेश्वर, जिला खण्डवा.
10. नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल को राजपत्र में प्रकाशनार्थ.

हस्ता./–
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग.

Scanned with OKEN Scanner

{मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)में प्रकाशित}

क्रमांक 563 भोपाल, शनिवार, दिनांक 26 नबम्वर 2005—अग्रहायण 5, शक 1927

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 नबम्वर 2005

क्रमांक एफ 2–1–2004/छै:— मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 2–1–2004/छै:, दिनांक 12 फरवरी 2004 में आंशिक संशोधन करते हुए, ओंकारेश्वर के जवाहर वार्ड क्र. 15 में स्थित ग्राम डुहिक्या को छोड़कर नगर पंचायत सीमा क्षेत्र मे स्थित शेष सम्पूर्ण क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित करता है, पवित्र नगरी क्षेत्र की सीमाएं निम्नानुसार रहेंगी :—

1. पूर्व दिशा— ओंकारेश्वर परियोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन बांध.
2. पश्चिम दिशा— नर्मदा कावेरी नदी संगम.
3. उत्तर दिशा— कावेरी नदी.
4. दक्षिण दिशा— वन भुमि एवं वार्ड क्र. 15 में स्थित ग्राम डुहिक्या.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

हस्ता./—
(जी. एस. खैरवार)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग.

Scanned with OKEN Scanner

मध्यप्रदेश शासन

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

मंत्रालय

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2008

क्रमांक एफ 2–2/2008/छै:.–राज्य शासन, मण्डला जिले के मण्डला नगर तथा तथा बैतूल जिले के मुलताई नगर को एतद्द्वारा पवित्र घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

हस्ता./–
(प्रभा चौधरी)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग।

पृ. क्र. एफ 2–2/2008/छै: भोपाल, दिनांक 21 जनवरी, 2008

प्रतिलिपि :–

1. शासन के समस्त विभाग।
2. सचिव, मान. मुख्यमंत्रीजी।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. समस्त कमिश्नर।
5. समस्त कलेक्टर।
6. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर।
7. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मण्डला/बैतूल मध्यप्रदेश।
9. नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल को राजपत्र में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

हस्ता./–
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग.

Scanned with OKEN Scanner

मध्यप्रदेश शासन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक–एफ 7/9/05/छः/803

भोपाल, दिनांक 24.5.05

प्रति,

1. समस्त संभागीय आयुक्त
2. समस्त जिला कलेक्टरर्स

मध्यप्रदेश

विषय :– शासन संधारित मंदिरों/देवस्थानों की भूमियों/सम्पत्तियों की सुरक्षा।

शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कतिपय जिलों में शासन संधारित मंदिरों की भूमियों/सम्पत्तियों का लोक न्यास अधिनियम 1951 के अन्तर्गत ट्रस्ट गठन कर भूमियों/सम्पत्तियों के स्वत्वाभिलेख में दर्ज "प्रबंधक कलेक्टर" की प्रविष्टि को निरस्त कर भूमियों/सम्पत्तियों को अनाधिकृत रूप से अपहृत (अफरा–तफरी) की जा रही है।

2/–इस विषय में म.प्र. शासन भू–अभिलेख तथा बन्दोबस्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 745/369/73 भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 1974 का अवलोकन करें, जिसमें शासकीय भूमियों का इस प्रकार अनाधिकृत रूप से अपहरण किये जाने से बचाने एवं सुव्यवस्था को दृष्टिगत कर कलेक्टर का नाम प्रबंधक की हैसियत से अंकित करने के निर्देश दिए हैं।

3/– अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि शासन संधारित मंदिरों/सम्पत्तियों की संभाग एवं जिला स्तर पर समीक्षा करें। यदि कहीं प्रबंधक के रूप में कलेक्टर शब्द हटाने की स्थिति पाई जाती है, तो तत्काल विधि अनुसार कार्यवाही कर शासन संधारित मंदिर/देवस्थानों की भूमियों/सम्पत्तियों की सुरक्षा करें।

शासन को की गई कार्यवाही से एक माह के अन्दर अवगत करायें।

(अमर सिंह)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

पृ क्र.एफ 7/9/05/छः/804

भोपाल, दिनांक 24.5.05

प्रतिलिपि–

1. आयुक्त भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. औकाफ कमिश्नर, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अमर सिंह)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

Scanned with OKEN Scanner

मध्यप्रदेश शासन

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

मंत्रालय

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 19 मई 2008

क्रमांक एफ 2–4/2008/छै:.–राज्य शासन, पन्ना जिले के पन्ना नगर को एतद्द्वारा पवित्र घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

हस्ता./–
(प्रभा चौधरी)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग.

पृ. क्र. एफ 2–4/2008/छै:

भोपाल, दिनांक 19 मई, 2008

प्रतिलिपि :–

1. शासन के समस्त विभाग।
2. सचिव, मान. मुख्यमंत्रीजी।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. समस्त कमिश्नर।
5. समस्त कलेक्टर।
6. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर।
7. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत पन्ना, मध्यप्रदेश।
9. नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल को आगामी राजपत्र में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

हस्ता./–
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग.

Scanned with OKEN Scanner

मध्यप्रदेश शासन
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
मंत्रालय

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2008

क्रमांक एफ 2–12/2008/छै:.–राज्य शासन, दतिया को एतद्द्वारा पवित्र नगरी घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

हस्ता./–
(प्रभा चौधरी)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग।

पृ. क्र. एफ 2--12/2008/छै:

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2008

प्रतिलिपि :–

1. शासन के समस्त विभाग।
2. सचिव, मान. मुख्यमंत्रीजी।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. समस्त कमिश्नर।
5. समस्त कलेक्टर।
6. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर।
7. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दतिया, मध्यप्रदेश।
9. नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल को आगामी राजपत्र में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

हस्ता./–
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग.

Scanned with OKEN Scanner

मध्यप्रदेश शासन

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

मंत्रालय

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2008

क्रमांक एफ 2–1/2008/छः.–राज्य शासन, जबलपुर नगर को आस्था नगरी घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./–
(प्रभा चौधरी)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग।

पृ. क्र. एफ 2–2/2008/छैः भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2008

प्रतिलिपि :–

1. शासन के समस्त विभाग।
2. सचिव, मान. मुख्यमंत्रीजी।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. समस्त कमिश्नर।
5. समस्त कलेक्टर।
6. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर।
7. आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर।

हस्ता./–
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग.

Scanned with OKEN Scanner

मध्यप्रदेश शासन

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

मंत्रालय

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2009

क्रमांक एफ 2–14/2008/छः.—राज्य शासन, सतना जिले की चित्रकूट नगर पंचायत तथा मैहर नगरपालिका और सीहोर जिले की सलकनपुर ग्राम पंचायत को एतद्द्वारा पवित्र क्षेत्र घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

हस्ता./–
(प्रभा चौधरी)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग।

पृ. क्र. एफ 2–14/2008/छैः

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2009

प्रतिलिपि :–

1. शासन के समस्त विभाग।
2. सचिव, मान. मुख्यमंत्रीजी।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. समस्त कमिश्नर।
5. समस्त कलेक्टर।
6. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर।
7. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत चित्रकूट, जिला सतना।
9. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, मैहर जिला सतना।
10. सरपंच ग्राम पंचायत सलकनपुर, जिला सीहोर।
11. नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल को आगामी राजपत्र में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

हस्ता./–
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग.

Scanned with OKEN Scanner

मध्यप्रदेश शासन

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

मंत्रालय

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 2–47/2010/छः.–राज्य शासन, खरगौन जिले के मण्डलेश्वर नगर सीमा को पवित्र घोषित करते हुए निम्नलिखित मंदिरों, जिनकी चतुर्सीमा निम्नानुसार है, के आस–पास के 100 मीटर क्षेत्र को एतदद्वारा पवित्र क्षेत्र घोषित करता है :–

1. छप्पन देव मंदिर (मण्डलेश्वर शिवालय)

पूर्व	पुलिया
पश्चिम	आबादी
उत्तर	कसरावद–मण्डलेश्वर मार्ग
दक्षिण	नाला

2. गुप्तेश्वर मंदिर

पूर्व	पुलिया
पश्चिम	आबादी
उत्तर	छप्पनदेव मंदिर
दक्षिण	नाला

3. श्रीराम मंदिर

पूर्व	शंकर मंदिर
पश्चिम	टोकेश्वर मंदिर
उत्तर	खेड़ापति हनुमान मंदिर
दक्षिण	नर्मदा नदी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

हस्ता./–
(एस.एन.तिवारी)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग.

Scanned with OKEN Scanner

{मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार में प्रकाशित}
क्रमांक 562 भोपाल, शनिवार, दिनांक 9 दिसम्बर 2011–अग्रहायण 5, शक 1933

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2011

क्रमांक एफ 6–59–2010/छै:.–राज्य शासन, भगवान पशुपतिनाथ मंदिर, मंदसौर की 100 मीटर त्रिज्या के निम्नानुसार क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित करता है :–

1. पूर्व दिशा – कैफेटेरिया
2. पश्चिम दिशा –गायत्री मंदिर
3. उत्तर दिशा – शिवना नदी का तट
4. दक्षिण दिशा – पार्किंग ऐरिया (मंदिर)

2.पवित्र क्षेत्र में अडा,मांस मछली एवं मंदिरा का क्रय–विक्रय निषेध किया जाता है. पशु–पक्षियों के प्रति क्रूरता की रोकथाम की जाती है एवं पशुवध प्रतिबंधित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

हस्ता./–
(राजेश प्रसाद मिश्रा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग.

Scanned with OKEN Scanner

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

मंत्रालय

" अधिसूचना "

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 2–1/2012/छै:.–राज्य शासन, जबलपुर जिले के ग्वारीघाट को पवित्र क्षेत्र घोषित करते हुए, निम्नलिखित क्षेत्र जिनकी चतुर्सीमा निम्नानुसार है को पवित्र क्षेत्र घोषित करता है :–

पूर्व की ओर श्मशान घाट

पश्चिम की ओर ग्वारीघाट

उत्तर की ओर खंदारी नाला

दक्षिण की ओर नर्मदा नदी का किनारा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./–
(राजेन्द्र सिंह)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग।

पृ. क्र. एफ 2–1/2012/छ: भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. शासन के समस्त विभाग
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्रीजी
3. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश
4. समस्त संभागायुक्त/कलेक्टर, मध्यप्रदेश
5. अपर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय
6. नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, भोपाल
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जबलपुर, मध्यप्रदेश

हस्ता./–
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग.

Scanned with OKEN Scanner